प्रस्तावना

मेरे कार्यकाल के दिनांक 1.5.2007 से आरंभ होने वाले प्रथम वर्ष में मैंने यह सीखा है कि इस संस्था का संजीवनी रक्त (life blood) वे हजारों शिकायतें हैं, जो पीड़ित व्यक्ति भेजते हैं जिनकी विधि अनुसार जांच की जाकर पीड़ितों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है, तथा दोषी लोकसेवक- जिनमें मंत्री, अधिकारी एवं कर्मचारी हैं- के विरूद्ध समुचित आदेश दिये जाते हैं एवं निर्दोष लोकसेवक को परिवाद में लगाये आरोप से मुक्त घोषित किया जाता है। इससे प्रशासन की छवि सुधरती है एवं लोकतंत्र के मुख्य लक्षण सुशासन एवं जवाबदेही दृष्टिगोचर होती है ।

राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय, किसी न किसी प्रशासनिक आदेश या लोकसेवक/लोक प्राधिकारी के कृत्यों से प्रभावित होता है, वह लोकसेवक/लोक प्राधिकारी की अकर्मण्यता (inaction) से भी प्रभावित होता है; जैसे भूमि का पट्टा नहीं दिया, राशन कार्ड बनाने के प्रार्थना के निस्तारण में विलम्ब किया, पेंशन नहीं दी गई, चिकित्सालय में इलाज नहीं किया लापरवाही बरती गई, निर्माण कार्य में गड़बड़ी की गई, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, रिश्वत मांगी गई, ठेके की निविदा गुपचुप में निकाल दी गई अथवा बाद में शर्तो में परिवर्तन कर दिया गया, विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया, नियुक्तियों में घोटाला किया गया आदि आदि । ऐसे सब प्रशासनिक आदेश, निर्णय, कृत्य एवं अकमर्ण्यता या चूक की शिकायतें ही इस संस्था में जांच हेतु प्रस्तुत होती हैं। इस प्रकार यह संस्था आम लोगों की परेशानियों एवं समस्याओं का निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

यह संस्था प्राप्त शिकायतों की कितनी तत्परता एवं निष्पक्षता से जांच करती है, इससे ही इस संस्था की उपयोगिता का पता चलता है ।

कानून में इस संस्था द्वारा गोपनीय जांच की जाने की व्यवस्था है, जिसका लाभ यह है कि निर्दोष लोकसेवक को समाज में अपमानित नहीं होना पड़ता है तथा शिकायतकर्ता को, जिस व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत की गई है, उससे एकाएक कोई भय नहीं होता है ।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(4) के अन्तर्गत लोकायुक्त का यह वैधानिक दायित्व है कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के संपादन के संबंध में एक समेकित प्रतिवेदन, प्रति वर्ष महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत करे और धारा 12(5) में यह प्रावधान है कि महामहिम राज्यपाल वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति, स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेंगे ।

यह 23वां वार्षिक समेकित प्रतिवेदन है । यह प्रतिवेदन 1.4.2004 से 26.11.2004, 27.11.2004 से 30.4.2007 तथा 1.5.2007 से 31.3.2008 तक की कालावधि का है । 1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री एम.सी.जैन के कार्यकाल से संबंधित है । 27.11.2004 से 30.4.2007 की कालावधि में लोकायुक्त का पद रिक्त रहा है । 1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि मेरे कार्यकाल से संबंधित है।

1999-2000 से 26.11.2004 तक की कालावधि में प्रति वर्ष निपटाये गये परिवादों की तुलना में **1.5.2007 से 31.3.2008 की 11 माह की कालावधि में कहीं अधिक 3040 परिवादों का निपटारा किया गया है ।** इसी प्रकार 1996-97 से 26.11.2004 की कालावधि की तुलना में 1.5.2007 से 31.3.2008 तक की 11 माह की कालावधि में कहीं अधिक 138 प्रकरणों में अनुतोष दिलाया गया ।

विगत पांच वर्ष में विभिन्न विभागों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि **भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग की अधिक शिकायतें क्रमशः पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।** अतः राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस संबंध में गंभीरता से विचार करे व इन विभागों की कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन करवाकर शिकायतों के कारणों को दूर करने का प्रयास करें।

इस संस्था के बारे में आम लोगों को समुचित जानकारी दिये जाने के लिये **हमारे द्वारा विभिन्न जिलों में जाकर जिलास्तरीय अधिकारियों एवं गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन किया गया ।** इन बैठकों में लोकायुक्त संस्थान के महत्व, अधिकारक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी

दी गई तथा सभी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी इस संस्थान के बारे में आम लोगों को समुचित जानकारी देने आग्रह किया गया । बैठकों में जिला कलेक्टरों से आग्रह किया गया कि वे कलेक्ट्रेट में आम जनता की सूचना के लिये एक बोर्ड लगवाएं जिसमें यह सूचना अंकित की जावे कि वे लोकसेवकगण द्वारा पद के दुरूपयोग करने एवं भ्रष्टाचार करने संबंधी शिकायतों के स्वतंत्र व निष्पक्ष अन्वेषण के लिए लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत कर सकते हैं । बैठकों में आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने व राजकीय कार्य में अधिकतम पारदर्शिता अपनाये जाने का भी सुझाव दिया गया ।

लोकायुक्त का पद ग्रहण करने के कुछ समय पश्चात् तक मैंने यह महसूस किया कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1973) को बनाये जाने के उद्देश्य, इस अधिनियम की कई कमियों के कारण, प्राप्त नहीं पाये हैं । इसमें दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में कई ऐसे बहुत से अधिकारी/लोकसेवक/ लोककृत्यकारी सम्मिलित नहीं हैं जो कि सरकार/स्थानीय निकायों/निगमों की सेवा में हैं या उनके वेतनभोगी हैं । इस संबंध में मेरे द्वारा एक विस्तृत अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक: एफ.1(4)एलएएस/2007/6155 दिनांक 4.10.2007 माननीया मुख्यमंत्री को लिखा गया था ।

मुझे यह लिखते हुए दु:ख है कि भ्रष्टाचार व पद के दुरूपयोग की शिकायतों पर इस सचिवालय के निर्देशों के पश्चात् भी संबंधित विभागों द्वारा या तो **तत्परता से जांच नहीं की गई** अथवा इस सचिवालय के हस्तक्षेप के पश्चात् जांच करने पर व आरोप प्रमाणित होने पर भी निर्णय लेने में **अत्यधिक विलम्ब किया गया** । इससे न केवल सुशासन की अवधारणा पर कुठाराघात होता है बल्कि इससे भ्रष्टाचार व पद के दुरूपयोग से पीड़ित होकर शिकायत प्रस्तुत करने वाले शिकायतकर्ताओं के मनोबल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे आम लोगों में अच्छा संदेश नहीं जाता व कानून को अपनी मुट्ठी में समझने वाले भ्रष्ट लोकसेवकों के हौसले बुलन्द हो जाते हैं।

लोगों का कानून के शासन में व प्रशासन में विश्वास बना रहे, इसके लिये आवश्यक है कि भ्रष्टाचार व पद के दुरूपयोग की शिकायतों को गंभीरता से लिया जावे, उन पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जावे व आरोप प्रमाणित पाये जाने पर संबंधित दोषी लोकसेवक को दण्डादिष्ट किये जाने में अधिक देरी न की जावे।

भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के उन्मूलन के लिये कटिबद्ध होना आवश्यक है। इसके लिये बहुमुखी प्रयासों की आवश्यकता है । हमें भ्रष्टाचार व पद के दुरूपयोग की शिकायतों पर तत्परता से व कठोरता से कार्यवाही करनी चाहिए । साथ ही दूसरे उपाय के रूप में राजकीय कार्यो में जवाबदेही तय करने व अधिकतम पारदर्शिता अपनाने पर जोर देना चाहिए । उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में समुचित संशोधन कर एवं लोकायुक्त सचिवालय को स्वतंत्र अन्वेषण टीम प्रदान किया जाकर, इस संस्था को सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता है ।

(जी.एल.गुप्ता)
लोकायुक्त

अध्याय-1

लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि

लोकायुक्त संस्था की अवधारणा की कल्पना सर्वप्रथम स्केण्डीनेवियन देशों में की गई। आधुनिक ऑम्बुड्समैन की जड़ें स्वीडन के जस्टिस ऑम्बुड्समैन (ऑम्बुड्समैन फोर जस्टिस) में ढूँढी जा सकती है, जहां इस संस्था की स्थापना सन् 1809[1] में की गई थी । स्वीडिश शब्द 'औम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्बता, अकुशलता, अपारदर्शिता एवं स्थिति के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया है । यह संस्था 20वीं शताब्दी में तब तक विस्तार नहीं पा सकी जब तक कि स्केण्डिनेवियन देशों -फिनलैण्ड (1919), डेनमार्क (1955) एवं नॉर्वे (1962) में इसे नहीं अपना लिया गया । ऑम्बुड्समैन संस्था की लोकप्रियता 1960 के दशक के पूर्व में तब काफी बढ़ी जब राष्ट्रमण्डल एवं अन्य यूरोपियन देशों में इसकी स्थापना की गई । उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैण्ड (1968), यूनाइटेड किंगडम (1967), अधिकतर कनाडियन प्रदेश (1967), तन्जानिया (1968), इजराइल (1971), प्यूर्टो रिको (1977), ऑस्ट्रेलिया (1977 संघीय स्तर पर एवं 1972-1979 राज्य स्तर पर), फ्रांस (1973), पूर्तगाल (1975), ऑस्ट्रिया (1977), स्पेन (1981) एवं नीदरलैण्ड (1981) । इसके अतिरिक्त 7 ऑम्बुड्समैन के कार्यालय अफ्रीका में, 17 एशिया में (भारत को छोड़ कर), 11 ऑस्ट्रेलिया एवं पैसिफिक में, 10 कैरेबियन एवं लैटिन अमेरिकन देशों में, 41 यूरोपियन देशों में, 6 कनाडा में एवं 10 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किये गये। इतने देशों में ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना ने जवाबदेह, पक्षपातरहित, पारदर्शी सुशासन प्रदान करने में इसके महत्व को साबित किया है ।

उपर्युक्त परिदृश्य में एक ऐसी एजेन्सी की आवश्यकता महसूस की गई जिसके द्वारा किया गया प्रशासन का पुनरावलोकन सस्ता, शीघ्र, स्वतंत्र एवं पक्षपात रहित हो । यह एजेन्सी स्केन्डीनेवियन एवं अन्य देशों में प्रचलित **ऑम्बुड्समैन** और भारत में कई राज्यों में स्थापित **लोकायुक्त संस्था** के सिवाय दूसरी कोई नहीं हो सकती । श्री पी.वी.गजेन्द्रगढ़कर, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पुस्तक *''ला, लिबर्टी एण्ड सौशल जस्टिस''* में यह बात दृढ़तापूर्वक कही है कि जब तक हम ऑम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधान मण्डलीय प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक समस्या का प्रभावकारी रूप से निदान नहीं हो सकेगा ।

लोकायुक्त संस्था एक प्रभावकारी एवं दक्ष प्रशासन, जो भ्रष्टाचार एवं अनुचित आचरण से मुक्त हो, दिलवाना संभव करती है । मूलतः सरकारी कर्मचारियों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग करने की आदत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, और साधारण व्यक्तियों, जिनके

---

1 इन्टरनेशनल ऑम्बुड्समैन इन्स्टीट्यूट, एडमॉन्टन अलबर्टा, कनाडा द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ।

पास सरकारी या राजनीतिक दबाव या पहुंच नहीं होती, को न्याय दिलाने के लिये लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त संस्था का सृजन विधानमण्डल के अधिनियम के द्वारा किया गया है ।

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने भी ***''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस आफ सिटिजन्स ग्रीवेन्सेज''*** विषयक अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार की व्याप्ति, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदन शून्यता के विरूद्ध प्राय: उभरने वाले जन आक्रोश पर विचार किया और जन अभियोग निवारण के लिये तथा दुर्व्यवस्था से उद्‌भूत हुई भ्रष्टाचार या अन्याय का अधिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिये लोकपाल तथा लोकायुक्त की कानूनी संस्थाओं की सिफारिश की थी । कई बार के प्रयासों के बावजूद अभी तक भी केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल संस्था की स्थापना नहीं हो पाई है । अभी हाल ही द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने अपनी चौथी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रावधान किये जाने की अनुशंसा की है ।

जहां तक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का प्रश्न है, सबसे पहिले लोकपाल संस्था की स्थापना उड़ीसा राज्य में वर्ष 1970 में की गई थी, परन्तु 1995 में लोकपाल अधिनियम पुन: प्रवृत किया गया। महाराष्ट्र में वर्ष 1972, बिहार में वर्ष 1974, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977, मध्य प्रदेश में वर्ष 1981, आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1983, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1983, कर्नाटक में वर्ष 1984, आसाम में वर्ष 1986, गुजरात में वर्ष 1988, दिल्ली में वर्ष 1995, पंजाब में वर्ष 1996, केरल में वर्ष 1998 एवं हरियाणा में वर्ष 1997 में इस संस्था की स्थापना की गई । हरियाणा राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को वर्ष 2002 में पुन: प्रवृत्त किया गया । छत्तीसगढ़ व उत्तराखण्ड राज्य में भी वर्ष 2002 में इस संस्था की स्थापना की गई। पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2007 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की जा चुकी है।

हमारे राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (1963) ने अपने प्रतिवेदन में 'औम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी जिसका कार्य सरकार की कार्यपालिक कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही या तो अवैध हो या अन्यायपूर्ण, मनमानी अथवा विद्यमान नियमों या स्थापित पूर्वोदाहरणों की घोर उल्लंघनकारी तथा उन मामलों, जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट अभिकथन सन्निहित हो, में अन्वेषण करना हो । उसकी अधिकारिता का प्रसार समस्त मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों, उप मंत्रियों, सिविल सेवकों तथा राज्य की सेवा में कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों के, जहां तक उस हैसियत में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का संबंध है, कार्यो तक होना था, परन्तु विधि न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्व कोई क्षेत्राधिकार नही था । यद्यपि जन अभियोगों की देखभाल के लिये राज्य में जन अभियोग निराकरण विभाग का एक अलग तंत्र पहले से ही विद्यमान था, किन्तु सरकार के विद्यमान तंत्र में किसी ऐसी व्यवस्था का उपबन्ध नहीं था, जिसमें मंत्रियों, सचिवों और कतिपय अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की शिकायतों की जांच और अन्वेषण किया जा सके ।

अतएव, जनता में विश्वास और संतोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये और स्वच्छ, ईमानदार और सक्षम प्रशासन प्रदान करने के लिये मंत्रियों, सचिवों और कतिपय अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध, पद के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार, आदि की शिकायतों को देखने और उनमें अन्वेषण करने के लिये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया ।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये **1973 का राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश सं. 3 24 जनवरी, 1973** को प्रख्यापित किया गया था तथा 25 जनवरी, 1973 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । यह अधिसूचित किया गया था कि यह अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत होगा । इस अध्यादेश को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम संख्या 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई थी । यह अधिनियम भी उसी तारीख से अर्थात् 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत हुआ समझा गया जिस तारीख को अध्यादेश प्रवृत हुआ था ।

1.2 प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रशासनिक स्थिति निम्नानुसार है :-

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	सचिव	1	9.	सहायक	1
2.	उप सचिव	1	10.	कनिष्ठ लेखाकार	1
3.	सहायक सचिव	1	11.	वरिष्ठ लिपिक	3
4.	निजी सचिव	2	12.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1
5.	अनुभागाधिकारी	2	13.	कनिष्ठ लिपिक	7
6.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	14.	जमादार	2
7.	निजी सहायक	1	15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10
8.	आशुलिपिक	2	16.	तामील कुनिन्दा	2
				योग:-	**38**

प्रतिवेदन अवधि में कार्मिक विभाग के पत्र कमांक: प.6(1)का/क-3/93, जयपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2005 **परिशिष्ट-'ए'** द्वारा इस सचिवालय के एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, एक आशुलिपिक एवं दो तामील कुनिन्दा के अस्थाई पदों को स्थाई किया गया है ।

इसके पश्चात् इस सचिवालय के सभी पद स्थाई हो गये थे, परन्तु बजट निर्णायक समिति वर्ष 2006-2007 द्वारा दो स्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तत्समय रिक्त पदों को

समाप्त कर दिया गया । जबकि उक्त अवधि में लोकायुक्त का पद रिक्त होने के कारण इन पदों नहीं भरा जा सका था।

यह उल्लिखित किया जाना उचित होगा कि लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित एक स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था है। इस अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों एवं सेवा शर्तो के संबंध में कोई भी निर्णय लोकायुक्त से परामर्श किये जाने के पश्चात् ही लिया जा सकता है । धारा 14 निम्नवत् है:-

''14. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों का कर्मचारीवर्ग--(1) इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने क लिये, लोकायुक्त, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा या किसी उप-लोकायुक्त को अथवा लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी नियुक्तियां करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वर्ग, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते एवं लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी, जैसी कि लोकायुक्त से परामर्श के पश्चात् विहित की जायं।''

चतुर्थ श्रेणी के उक्त दो स्थाई पद समाप्त किये जाने के समय लोकायुक्त का पद रिक्त था। स्पष्ट है कि बजट निर्णायक समिति द्वारा उक्त वैधानिक प्रावधान का ध्यान नहीं रखा गया है।

ऐसा नहीं है कि बजट निर्णायक समिति ने ऐसा पहली बार किया है, बल्कि पूर्व में भी उसके द्वारा वरिष्ठ निजी सहायक एवं सहायक के पदों को लोकायुक्त के पदासीन होते हुए भी बिना पूर्व में परामर्श किये ही समाप्त कर दिया गया था, जिन्हें बाद में सरकार के पत्र कमांक: एफ.6(8)कार्मिक-क-3/शिकायत/विभाग/99 जयपुर दिनांक 7.5.2001 द्वारा पुनर्जीवित किया गया । बजट निर्णायक समिति को अधिनियम के उक्त वैधानिक प्रावधान को, कोई भी निर्णय लेने से पूर्व, दृष्टिगत रखना चाहिए ।

राज्य सरकार को चाहिए कि **वह धारा 14 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उक्त समाप्त किये गये दो स्थाई चतुर्थ श्रेणी के पदों को पुनर्जीवित करने के आदेश प्रसारित करे** और बजट निर्णायक समिति को यह स्थाई आदेश प्रदान करे कि वह लोकायुक्त संस्था के कर्मचारीवर्ग के संबंध में कोई भी निर्णय बिना लोकायुक्त के पूर्व परामर्श के न ले ताकि लोकायुक्त सचिवालय की स्वतंत्र संस्था की छवि को कोई आंच न आये और आम लोगों का इस संस्था में विश्वास बना रहे ।

वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 एवं 2008-2009 का बजट एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट-ए-1** में दिया गया है ।

1.3 अन्वेषण की अधिकारिता

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता दी गई है । अधिनियम की धारा 2(i) में दी गई लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार लोकायुक्त को निम्न के विरूद्ध अन्वेषण करने की अधिकारिता है :-

1. राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य (मुख्य मंत्री के अतिरिक्त, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री या उप-मंत्री,
2. राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति,
3. जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख और उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान तथा उप-प्रधान और राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 37) के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष,
4. नगरपालिका परिषद का प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 38) के अधीन या उसके द्वारा गठित या गठित समझी गयी किसी समिति का अध्यक्ष,
5. प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उनका वेतन भोगी है, अर्थात्:-
   - (क) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राज पत्र में राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित किया जाय,
   - (ख) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),
   - (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यूनत राज्य सरकार द्वारा धारित है,
   - (घ) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है ।

अधिनियम की धारा 2(i)(iv)(क) के अन्तर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं **परिशिष्ट-'ए-2'** में दी गई हैं ।

1.4 जांच व अन्वेषण करने की प्रकिया

''दोषी लोकसेवक को दण्ड और निर्दोष को संरक्षण'' के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए यह सचिवालय लोकसेवकों के विरूद्ध प्राप्त प्रत्येक शिकायत की गहन परीक्षा कर विषय की सच्चाई की तह तक पहुंचने का प्रयास करता है । परीक्षण के पश्चात् यदि शिकायत में लगाये गये आरोप अधिक स्पष्ट न हों, तो उसमें लगाये गये आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं और यदि मामला प्रथम दृष्टि में ही प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रतीत हो, तो उसमें प्रारंभिक जांच किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं ।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिवादी को उसका अवलोकन करके अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है व आवश्यक होने पर आपत्तियों पर पुनः टिप्पणी भी मांगी जाती है । **यदि तथ्यात्मक प्रतिवेदन व आपत्तियों का परीक्षण किये जाने पर आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है और यदि आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में, या तो कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को लिखा जाता है, या इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच किये जाने, या सीधे ही, अन्वेषण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।**

इस सचिवालय स्तर पर प्रांरभिक जांच करने के दौरान् परिवादी, उसके साक्षीगण एवं सुसंगत अभिलेख के परीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध अभिकथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो प्रारंभिक जांच को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है, जिसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है । **यदि आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाते हैं, तो राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया जाता है ।** अन्वेषण प्रारंभ करते ही संबंधित लोकसेवक को नोटिस एवं अन्वेषण के आधारों का विवरण, उसका जवाब/स्पष्टीकरण मय शपथ पत्र एवं उन दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिये, भेजा जाता है, जिसे कि वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना उचित समझे एवं उसकी एक प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है। **अन्वेषण के दौरान् संबंधित लोकसेवक को अपना पक्ष रखने का एवं व्यक्तिगत सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है ।**

अन्वेषण के पश्चात् यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध किये जाने योग्य नहीं पाये जाते हैं, तो अन्वेषण को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है एवं **इसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है तथा यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में अन्वेषण प्रतिवेदन धारा 12(1) के अन्तर्गत लोकसेवक के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाता है, जिसमें यदि लोकसेवक द्वारा कोई दाण्डिक अपराध किया गया हो तो दाण्डिक मामला संस्थित करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की जाती है ।**

यदि किसी मामले में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया जावे, परन्तु यह प्रतीत हो कि प्रशासन की किसी भी प्रक्रिया या चलन से भ्रष्टाचार या अवचार का अवसर मिलता है, **तो इस संस्था द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसी प्रक्रिया या चलन में समुचित परिवर्तन कर दिया जाये या संबंधित नियमों को उपयुक्त रूप से ऐसे संशोधित कर दिया जावे कि जिससे लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या अवचार किये जाने की संभावना समाप्त हो जाये या जिससे कि आम लोगों को अनुचित अपहानि न हो ।**

1.5 प्रचार-प्रसार

1.4.2004 से 26.11.2004 की अवधि में पूर्व लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन द्वारा राजस्थान की जनता को इस संस्था के महत्व, कार्य एवं क्षेत्राधिकार से परिचित कराने के लिये निम्नलिखित जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित की गई :-

जिले का नाम	जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक	गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक
टोंक	10.6.2004	10.6.2004
दौसा	11.6.2004	11.6.2004
सीकर	18.6.2004	18.6.2004
झुन्झूनू	19.6.2004	19.6.2004
राजसमन्द	24.7.2004	24.7.2004
डूॅंगरपुर	26.7.2004	26.7.2004
उदयपुर	27.7.2004	27.7.2004
भीलवाड़ा	28.7.2004	28.7.2004

मेरे द्वारा भी इसी अनुक्रम में 1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि में निम्नानुसार बैठकों का आयोजन किया गया :-

जिले का नाम	जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक	गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक
झुन्झूनू	10.9.2007	10.9.2007
सवाईमाधोपुर	16.1.2008	16.1.2008
भरतपुर	16.2.2008	16.2.2008
धौलपुर	7.3.2008	7.3.2008

उक्त सभी बैठकों में लोकायुक्त संस्था के महत्व, अधिकारक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई तथा सभी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी इस संस्था के बारे में आम लोगों को समुचित जानकारी देने आग्रह किया गया । बैठकों में आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने व राजकीय कार्य में अधिकतम पारदर्शिता अपनाये जाने का भी सुझाव दिया गया ।

परिशिष्ट–'ए'

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/शिका.)विभाग

क्रमांक:प.6(1)का/क–3/93   जयपुर, दिनांक 12 जुलाई 2005

आदेश

लोकायुक्त सचिवालय जयपुर के निम्नांकित कुल चार अस्थाई पदों को स्थाई किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
2.	प्रोसेस सर्वर	दो
3.	आशुलिपिक	एक

		चार

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.सं. 1485 दिनांक 29.6.05 के द्वारा सहमति प्राप्त कर जारी की जाती है ।

ह0/–
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:–

1. उप सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राज. जयपुर को उनके पत्रांक 1(31)लोआस/73/5400 दि. 23.10.04 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आ0 कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
2. वित्त (व्यय–2) विभाग ।

ह0/ 12.7.2005
शासन उप सचिव

परिशिष्ट–''ए-1''

वित्तीय वर्ष 2004–05 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (लाखों में)

क.स.	बजट शीर्ष	मूल अनुदान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	संवेतन	59.00	61.00	59.58
2.	यात्रा व्यय	1.00	1.00	0.56
3.	चिकित्सा व्यय	1.00	1.00	0.99
4.	कार्यालय व्यय	11.61	12.50	12.09
5.	साक्षियों पर व्यय	0.40	0.30	0.08
6.	सत्कार व आतिथ्य	0.03	0.04	0.02
7.	लेखन सामग्री	0.50	0.70	0.45
8.	मुद्रण	0.50	0.40	0.22
9.	अन्य प्रभार	0.01	0.01	-
10.	**कुल योग :**	**74.05**	**76.95**	**73.99**

वित्तीय वर्ष 2005–06 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (लाखों में)

क.स.	बजट शीर्ष	मूल अनुदान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	संवेतन	65.00	68.00	62.56
2.	यात्रा व्यय	1.00	2.50	0.04
3.	चिकित्सा व्यय	1.00	1.60	1.60
4.	कार्यालय व्यय	5.00	4.00	3.98
5.	मुद्रण	0.50	0.20	-
6.	लेखन सामग्री	0.50	0.35	0.35
7.	साक्षियों पर व्यय	0.40	0.15	0.09
8.	सत्कार व आतिथ्य	0.05	0.03	-
9.	अन्य प्रभार	0.01	0.01	-
10.	वाहन किराया	1.20	1.20	1.10
	कुल योग :	**74.66**	**78.04**	**69.72**

वित्तीय वर्ष 2006-07 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (लाखों में)

क.स.	बजट शीर्ष	मूल अनुदान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	संवेतन	72.00	61.70	49.56
2.	यात्रा व्यय	2.50	1.00	0.18
3.	चिकित्सा व्यय	1.60	2.00	2.00
4.	कार्यालय व्यय	6.20	3.00	2.62
5.	मुद्रण	-	-	-
6.	लेखन सामग्री	-	-	-
7.	साक्षियों पर व्यय	0.40	0.25	0.03
8.	सत्कार व आतिथ्य	0.05	0.05	-
9.	अन्य प्रभार	0.01	0.01	-
10.	वाहन किराया	1.20	0.70	0.40
	कुल योग :	**83.96**	**68.71**	**54.79**

वित्तीय वर्ष 2007-08 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (लाखों में)

क.स.	बजट शीर्ष	मूल अनुदान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	संवेतन	70.00	65.00	61.81
2.	यात्रा व्यय	2.00	1.00	0.42
3.	चिकित्सा व्यय	2.00	3.50	3.37
4.	कार्यालय व्यय	4.70	5.30	5.19
5.	साक्षियों पर व्यय	0.40	0.25	0.04
6.	सत्कार व आतिथ्य	0.05	0.05	0.02
7.	अन्य प्रभार	0.01	0.01	-
8.	वाहन किराया	1.20	0.60	0.12
9.	वर्दी व्यय	0.10	0.10	0.06
	कुल योग :	**80.46**	**75.81**	**71.03**

परिशिष्ट–'ए–2'

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग
अधिसूचना

क्रमांकः एफ.6(1)कार्मिक/क–3/75 जयपुर, दिनांक 13 मार्च, 75

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकरणों में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगाः–

1.	नगरपालिका परिषदें–	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और गंगानगर
2.	नगर सुधार न्यास–	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और गंगानगर

राज्यपाल के आदेश से,
ह0 (राजेन्द्र पाल सिंह)
शासन उप सचिव

कार्मिक (क–3) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, दिसम्बर 12, 1988

एस.ओ.202:– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में जयपुर विकास प्राधिकरण की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सेवक होगा।

(संख्या एफ. 6(1) डी.ओ.पी/ए–3/75)
राज्यपाल के आदेश से,
हरि शंकर टण्डन, उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांकः एफ.6(1)कार्मिक/क–3/75 जयपुर, दिनांक 10.7.89

अधिसूचना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकरणों में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा :–

1.	नगरपालिका परिषदें–	ब्यावर, चूरू, सवाई माधोपुर, किशनगढ़, बाड़मेर, हनुमानगढ़, सीकर, भरतपुर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा ।
2.	नगर सुधार न्यास–	भरतपुर, भीलवाड़ा

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांकः प.6(1)कार्मिक/क-3/75 जयपुर, दिनांक 9.12.96

अधिसूचना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(झ) (iv)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो राजस्थान राज्य में किसी भी नगरपालिका की सेवा में है या उनका वेतनभोगी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा । राज्यपाल के आदेश से,

शासन उप सचिव

....

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः प.8(च)नियम/डीएलबी/97/2168 दिनांकः 30.4.97

सचिव,
लोकायुक्त,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 में संशोधन के क्रम में।

संदर्भः-आपका पत्रांक एफ.39()एलएएस/8/3861 दिनांक 4.2.97

महोदय,

प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63, 1ए में संशोधन पर विधि विभाग की राय ली गई जिन्होंने संशोधन को आवश्यक नहीं माना तथा संशोधन के बिना भी राज्य सरकार लोकायुक्त सचिवालय की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में सक्षम है विधि विभाग की राय से यह विभाग भी सहमत है ।

भवदीय,
निदेशक

....

उपरोक्त पत्र लोकायुक्त सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.39(2)लोआस/81/3860-61 दिनांक 4.2.97 के संदर्भ में लिखा गया था, जिसमें मेयर, उप-मेयर आदि के संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 में संशोधन करने की अनुशंसा की गई थी । उस पत्र का सुसंगत भाग इस प्रकार हैः-

"Section 2(i) of the Lokayukta Act defines 'public servant'. The expression denotes as person falling also under its clause (iii) (b) as under :-

"(iii)(b) every President and Vice-President of a Municipal Council, Chairman and Vice-Chairman of a Municipal Board and Chairman of any Committee, constitute or deemed to be constituted by or under the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act 38 of 1959;"

Therefore, the Lokayukta has jurisdiction to make a report under Section 12 of the Lokayukta Act also against the Mayor, Deputy Mayor or the Municipal Corporation and Chairman of any committee constituted or deemed to be constituted under the Act. The Lokayukta has also jurisdiction to make a report under Section 12 of the Lokayukta Act against any President or Vice President of the Municipal Council or Municipal Board and Chairman of their any committee constituted under the Act.

When the Act was made by the State Legislature, the Lokayukta Act was not in force and had only come into force in the year 1973. The Act, therefore, did not and could not contain the provision that the State Government could also exercise its powers under sub-section (1) of Section 63 upon receipt of a report from the Lokayukta. It may be that despite the aforesaid omission in sub-section (1A) of the Act, the State Government could exercise its powers from facts otherwise coming to the knowledge in the report of the Lokayukta, but to avoid any controversy as and when it arises, It will suggest that in sub-section (1A) of Section 63 of the Act, in between the words 'behalf' and 'or' the following words be added: 'or upon the report of the Lokayukta made under Section 12 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973'. "

अध्याय-2

निष्पादित कार्य

2.1 समग्र कार्य

दिनांक 1.4.2004 सं 26.11.2004 तक की कालावधि पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन के कार्यकाल से संबंधित है । दिनांक 27.11.2004 से 30.4.2007 तक लोकायुक्त का पद रिक्त रहा है । दिनांक 1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि मेरे कार्यकाल से संबंधित है। उपर्युक्त कालावधियों में प्राप्त शिकायतों एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) 1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि में लंबित, प्राप्त एवं निपटाई गई कुल शिकायतों का विवरण :-

दिनांक 31.3.2004 को **826** लंबित थी, 1.4.2004 से 26.11.2004 की अवधि में **1246** और शिकायतें प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल **2072** शिकायतों में से उक्त कालावधि के दौरान **1188** शिकायतों का निस्तारण किया गया । इस प्रकार दिनांक 26.11.2004 को **884** शिकायतें कार्यवाही हेतु लंबित रहीं । विस्तृत विवरण के लिये देखें **परिशिष्ट-बी** ।

(2) 27.11.2004 से 31.3.2005 की कालावधि के दौरान लंबित एवं प्राप्त शिकायतों का विवरण:-

26.11.2004 को कुल **884** शिकायतें लंबित थी और 27.11.2004 से 31.3.2005 की कालावधि में **456** शिकायतें और प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल **1340** शिकायतें उक्त कालावधि में कार्यवाही हेतु विचाराधीन रहीं । उक्त अवधि में लोकायुक्त का पद रिक्त रहने के कारण शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा सका। अत: 31.3.2005 को **1340** शिकायतें कार्यवाही हेतु लंबित रहीं । विस्तृत विवरण के लिये देखें **परिशिष्ट-बी-1** ।

(3) वर्ष 2005-2006 लंबित एवं प्राप्त शिकायतों का विवरण:-

दिनांक 31.3.2005 को **1340** शिकायतें कार्यवाही हेतु लंबित थी, वर्ष के दौरान् **1037** शिकायतें और प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल **2377** शिकायतें इस कालावधि में विचाराधीन रही। उक्त अवधि में लोकायुक्त का पद रिक्त रहने के कारण शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा सका । अत: दिनांक 31.3.2006 को **2377** शिकायतें कार्यवाही हेतु लंबित रहीं जिनका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-बी-2** में दिया गया है ।

(4) 1.4.2006 से 30.4.2007 की कालावधि के दौरान लंबित एवं प्राप्त शिकायतों का विवरण:-

दिनांक 31.3.2006 को कुल **2377** शिकायतें कार्यवाही हेतु लंबित थीं। 1.4.2006 से 30.4.2006 की कालावधि में **517** शिकायतें और प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल **2894** शिकायतें इस अवधि में विचाराधीन रहीं । इस अवधि में लोकायुक्त का पद रिक्त रहने के कारण शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा सका । अत: दिनांक 30.4. 2007 को कुल **2894** शिकायतें कार्यवाही हेतु लंबित रहीं, जिनका विवरण **परिशिष्ट-बी-3** में दिया गया है ।

(5) 1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि के दौरान लंबित, प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों का विवरण:-

दिनांक 30.4.2007 को **2894** शिकायतें कार्यवाही हेतु लम्बित थी, 1.5.2007 से 31.3.2008 की अवधि में **1267** शिकायतें और प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल **4161** शिकायतों में से **3040** शिकायतों का इस कालावधि में निस्तारण किया गया व दिनांक 31.3.2008 को **1121** शिकायतें लंबित रही जिनका विवरण **परिशिष्ट-बी-4** में दिया गया है ।

(6) 1.4.1999 से लेकर 31.3.2008 की कालावधि के दौरान् निपटाई गई शिकायतों का तुलनात्मक विवरण:-

1.4.1999 से लेकर 26.11.2004 की कालावधि में 50 से लेकर 68 प्रतिशत निस्तारण की तुलना में 1.5.2007 से 31.3.2008 की 11 माह की अवधि में ही 73 प्रतिशत (3040 प्रकरण) प्रकरणों का निस्तारण किया गया जिनका विवरण एवं चार्ट **परिशिष्ट-बी-5** में दिया गया है ।

(7) सर्वाधिक शिकायतवाले विभाग:-

1.4.2004 से 31.3.2008 की कालावधि में प्राप्त शिकायतों के तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रतिवर्ष औसतन पुलिस विभाग के विरूद्ध सबसे अधिक 152.4 शिकायतें, राजस्व विभाग के विरूद्ध 136.2 शिकायतें, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग व जयपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध 109 शिकायतें, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के विरूद्ध 90.6 शिकायतें एवं शिक्षा विभाग के विरूद्ध 65.8 शिकायतें प्राप्त हुई। उक्त अवधि में मुद्रण एवं लेखन विभाग, राणा प्रताप सागर/जवाहर सागर तथा अकाल एवं राहत विभाग के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । इसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-बी-6** में दिया गया है ।

2.2 प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विवरण

(1) 1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाई गई प्रारंभिक जांचों का विवरण:-

दिनांक 31.3.2004 को **41** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित थी, दिनांक 1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि में **8** और मामलों में प्रारंभिक जांच प्रारंभ की गई। इस प्रकार कुल **49** मामलों में से उक्त कालावधि में **2** प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, **2** प्रकरण विभाग द्वारा पहिले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दिये जाने के कारण, **1** प्रकरण अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित न होने के कारण, **3** प्रकरण मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, **3** प्रकरण अन्य कारणों से बंद किये गये, **1** प्रकरण में अन्वेषण प्रारंभ करने पर अन्वेषण में स्थानान्तरित किया गया व **5** प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारियों को सिफारिशें की गई। इस प्रकार वर्ष के दौरान् कुल **17** प्रारंभिक जांच प्रकरणों का निस्तारण किया गया व दिनांक 26.11.2004 को **32** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित रही जिनका विवरण **परिशिष्ट-बी-7** में दिया गया है।

27.11.2004 से 30.4.2007 की कालावधि के दौरान् लोकायुक्त का पद रिक्त रहने के कारण किसी भी नवीन प्रकरण में प्रारंभिक जांच संस्थित नहीं की जा सकी और न ही कोई प्रारंभिक जांच प्रकरण निपटाया जा सका । अत: दिनांक 30.4.2007 को भी **32** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित रही ।

(2) 1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि में लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विवरण:-

दिनांक 30.4.2007 को **32** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित थी, दिनांक 1.5.2006 से 31.3.2008 की कालावधि में **36** नवीन प्रकरणों में प्रारंभिक जांच संस्थित की गई । इस प्रकार कुल **68** प्रकरणों में से उक्त कालाविध में **9** प्रकरणों को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, **1** प्रकरण को विभाग द्वारा पहिले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दिये जाने के कारण, **5** प्रकरणों को मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, **2** प्रकरणों को अन्य कारणों से बंद किया गया । **3** प्रकरणों में अन्वेषण प्रारंभ कर दिये जाने के कारण उन्हें अन्वेषण प्रकरणों में स्थानान्तरित किया गया व **2** प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारियों को धारा 12(1) के अन्तर्गत सिफारिशें भेजी गई । इस प्रकार उक्त अवधि में कुल **22** प्रारंभिक जांच प्रकरणों का निपटारा किया गया व दिनांक 31.3.2008 को **46** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित रही, जिनका विवरण **परिशिष्ट-बी-8** में दिया गया है ।

2.3 अन्वेषण प्रकरणों का विवरण

(1) 1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों का विवरण :-

दिनांक 31.3.2004 को **14 अन्वेषण** प्रकरण लंबित थे, दिनांक 1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि में **1** और नवीन प्रकरणों में धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ किया गया। इस प्रकार कुल **15** मामलों में से उक्त कालाविध के दौरान् **2** अन्वेषण प्रकरणों को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण बंद कर दिया गया, **1** प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश प्रेषित की गई । इस प्रकार कुल तीन प्रकरण उक्त कालावधि में निपटाये गये व दिनांक 26.11.2004 को **12** अन्वेषण प्रकरण लंबित रहे।

27.11.2004 से 30.4.2007 की कालावधि के दौरान् लोकायुक्त का पद रिक्त रहने के कारण किसी भी नवीन प्रकरण में अन्वेषण प्रारंभ नहीं किया जा सका और न ही कोई निपटाया जा सका। अत: दिनांक 30.4.2007 को भी **12** अन्वेषण प्रकरण लंबित रहे, जिनका विवरण **परिशिष्ट-बी-9** में दिया गया है ।

(2) 1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि में लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों का विवरण :-

दिनांक 30.4.2007 को **12** प्रकरणों में अन्वेषण लंबित था, दिनांक 1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि में **3** नवीन प्रकरणों में अन्वेषण प्रारंभ किया गया । इस प्रकार कुल **15** अन्वेषण प्रकरणों में से उक्त कालाविध में **1** प्रकरण को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण बंद किया गया व **2** प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें प्रेषित की गई । इस प्रकार कुल **3** प्रकरणों का निपटारा किया गया व दिनांक 31.3.2008 को **12** अन्वेषण प्रकरण लंबित रहे जिनका विवरण **परिशिष्ट-बी-10** में दिया गया है ।

2.4 अनुशंसा के प्रकरण

(1) 1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि में प्रेषित प्रतिवेदनों का विवरण:-

इस कालावधि में कुल 7 प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को प्रतिवेदन प्रेषित किये गये जिनका विवरण **परिशिष्ट-बी-11** में दिया गया है।

(2) 1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि में प्रेषित प्रतिवेदनों का विवरण:-

इस कालावधि में 3 प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को प्रतिवेदन प्रेषित किये गये जिनका विवरण **परिशिष्ट-बी-12** में दिया गया है ।

2.5 अनुतोष प्रकरणों का विवरण

(1) **1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि के प्रकरणों का विवरण:-**
इस कालावधि में **35** मामलों में परिवादीगण को लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप से अनुतोष दिलाया गया जिनका विवरण **परिशिष्ट-बी-13** में दिया गया है ।

(2) **1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि के प्रकरणों का विवरण:-**
इस कालावधि में **138** मामलों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया जिनका विवरण **परिशिष्ट-बी-14** में दिया गया है ।

(3) वर्ष 1996-97 से 31.3.2008 में दिलाये गये अनुतोष प्रकरणों का तुलनात्मक **चार्ट परिशिष्ट-बी-15** में दिया गया है जिसके अनुसार 1.5.2007 से 31.3.2008 की 11 माह की कालावधि में सबसे अधिक **138** प्रकरणों में शिकायतकर्ताओं को अनुतोष दिलाया गया।

परिशिष्ट–बी

1.4.2004 से 26.11.2004 तक की कालावधि के दौरान लंबित, प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों एवं 26.11.2004 को लम्बित रही शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	31.3.2004 को लंबित शिकायतें	1.4.2004 से 26.11.2004 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	1.4.2004 से 26.11.2004 तक की शिकायतों का निपटारा	26.11.2004 को लंबित रही शिकायतें (3-4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	5	11	16	13	3
3	पुलिस	87	183	270	161	109
4	सहकारिता	11	24	35	25	10
5	शिक्षा	59	95	154	92	62
6	कॉलेज शिक्षा	6	5	11	6	5
7	खाद्य एवं आपूर्ति	2	8	10	6	4
8	चिकि. एवं स्वा.	45	61	106	57	49
9	सा.नि.वि.	8	10	18	10	8
10	रा.रा.वि.मण्डल	15	39	54	37	17
11	राजस्व	159	195	354	210	144
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	38	114	152	84	68
13	अकाल एव राहत	-	-	-	-	-
14	यातायात	3	8	11	8	3
15	वन	23	12	35	20	15
16	यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी	169	157	326	179	147
17	जनसम्पर्क	-	-	-	-	-
18	आबकारी	9	4	13	7	6
19	उद्योग	6	7	13	7	6
20	मुद्रण एवं लेखन	-	-	-	-	-
21	पशुपालन	4	6	10	4	6
22	भेड़ एवं ऊन	-	-	-	-	-
23	सिंचाई	22	19	41	23	18
24	इं.गा.नहर परि.	3	7	10	6	4
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-	-	-	-	-
26	उपनिवेशन	4	3	7	3	4
28	न्याय	2	6	8	5	3
29	जेल	6	2	8	3	5
30	श्रम	2	3	5	3	2
31	पी.एच.ई.डी.	22	18	40	20	20
32	समाज कल्याण	2	5	7	5	2
33	भू-प्रबन्ध	5	9	14	6	8
34	सचिवालय	11	4	15	3	12
35	विविध	38	158	196	120	76
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-	5	5	2	3
41	आयुर्वेद	7	7	14	8	6
42	देवस्थान	9	7	16	7	9
43	रा.रा.प.प.निगम	9	9	18	9	9
44	वाणिज्यिक कर	8	15	23	12	11
45	खान एव भूविज्ञान	15	13	28	15	13
46	संस्कृत शिक्षा	1	1	2	1	1
47	बीमा एवं प्रा.निधि	11	14	25	10	15
48	तकनीकी शिक्षा	-	2	2	1	1
योगः-		**826**	**1246**	**2072**	**1188**	**884**

परिशिष्ट–बी–1

27.11.2004 से 31.3.2005 तक की कालावधि के दौरान प्राप्त शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	26.11.2004 को लंबित शिकायतें	27.11.2004 से 31.3.2005 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	27.11.2004 से 31.3.2005 तक की शिकायतों का निपटारा	31.3.2005 को लंबित रही शिकायतें (3–4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	3	1	4	-	4
3	पुलिस	109	59	168	-	168
4	सहकारिता	10	6	16	-	16
5	शिक्षा	62	35	97	-	97
6	कॉलेज शिक्षा	5	3	8	-	8
7	खाद्य एवं आपूर्ति	4	3	7	-	7
8	चिकि. एवं स्वा.	49	16	65	-	65
9	सा.नि.वि.	8	7	15	-	15
10	रा.रा.वि.मण्डल	17	14	31	-	31
11	राजस्व	144	49	193	-	193
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	68	62	130	-	130
13	अकाल एव राहत	-	-	-	-	-
14	यातायात	3	-	3	-	3
15	वन	15	7	22	-	22
16	यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी	147	68	215	-	215
17	जनसम्पर्क	-	-	-	-	-
18	आबकारी	6	3	9	-	9
19	उद्योग	6	3	9	-	9
20	मुद्रण एवं लेखन	-	-	-	-	-
21	पशुपालन	6	-	6	-	6
22	भेड़ एवं ऊन	-	-	-	-	-
23	सिंचाई	18	5	23	-	23
24	इं.गा.नहर परि.	4	2	6	-	6
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-	-	-	-	-
26	उपनिवेशन	4	2	6	-	6
28	न्याय	3	5	8	-	8
29	जेल	5	1	6	-	6
30	श्रम	2	5	7	-	7
31	पी.एच.ई.डी.	20	8	28	-	28
32	समाज कल्याण	2	2	4	-	4
33	भू–प्रबन्ध	8	2	10	-	10
34	सचिवालय	12	1	13	-	13
35	विविध	76	68	144	-	144
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	3	4	7	-	7
41	आयुर्वेद	6	4	10	-	10
42	देवस्थान	9	-	9	-	9
43	रा.रा.प.प.निगम	9	2	11	-	11
44	वाणिज्यिक कर	11	2	13	-	13
45	खान एव भूविज्ञान	13	3	16	-	16
46	संस्कृत शिक्षा	1	-	1	-	1
47	बीमा एवं प्रा.निधि	15	4	19	-	19
48	तकनीकी शिक्षा	1	-	1	-	1
	योगः–	**884**	**456**	**1340**	**0**	**1340**

परिशिष्ट–बी–2

1.4.2005 से 31.3.2006 तक की कालावधि के दौरान प्राप्त शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	31.3.2005 को लंबित शिकायतें	1.4.2005 से 31.3.2006 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	1.4.2005 से 31.3.2006 तक की शिकायतों का निपटारा	31.3.2006 को लंबित रही शिकायतें (3-4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	4	5	9	-	9
3	पुलिस	168	204	372	-	372
4	सहकारिता	16	18	34	-	34
5	शिक्षा	97	72	169	-	169
6	कॉलेज शिक्षा	8	3	11	-	11
7	खाद्य एवं आपूर्ति	7	15	22	-	22
8	चिकि. एवं स्वा.	65	30	95	-	95
9	सा.नि.वि.	15	14	29	-	29
10	रा.रा.वि.मण्डल	31	26	57	-	57
11	राजस्व	193	165	358	-	358
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	130	112	242	-	242
13	अकाल एव राहत	-	-	-	-	-
14	यातायात	3	5	8	-	8
15	वन	22	7	29	-	29
16	यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी	215	125	340	-	340
17	जनसम्पर्क	-	1	1	-	1
18	आबकारी	9	3	12	-	12
19	उद्योग	9	2	11	-	11
20	मुद्रण एवं लेखन	-	-	-	-	-
21	पशुपालन	6	3	9	-	9
22	भेड़ एवं ऊन	-	-	-	-	-
23	सिंचाई	23	23	46	-	46
24	इं.गा.नहर परि.	6	1	7	-	7
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-	-	-	-	-
26	उपनिवेशन	6	-	6	-	6
28	न्याय	8	5	13	-	13
29	जेल	6	2	8	-	8
30	श्रम	7	1	8	-	8
31	पी.एच.ई.डी.	28	14	42	-	42
32	समाज कल्याण	4	12	16	-	16
33	भू-प्रबन्ध	10	3	13	-	13
34	सचिवालय	13	5	18	-	18
35	विविध	144	125	269	-	269
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	7	2	9	-	9
41	आयुर्वेद	10	1	11	-	11
42	देवस्थान	9	3	12	-	12
43	रा.रा.प.प.निगम	11	10	21	-	21
44	वाणिज्यिक कर	13	5	18	-	18
45	खान एव भूविज्ञान	16	6	22	-	22
46	संस्कृत शिक्षा	1	3	4	-	4
47	बीमा एवं प्रा.निधि	19	3	22	-	22
48	तकनीकी शिक्षा	1	3	4	-	4
योग:-		**1340**	**1037**	**2377**	**0**	**2377**

परिशिष्ट–बी–3

1.4.2006 से 30.4.2007 तक की कालावधि के दौरान प्राप्त शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	31.3.2006 को लंबित शिकायतें	1.4.2006 से 30.4.2007 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	1.4.2006 से 30.4.2007 तक की शिकायतों का निपटारा	30.4.2007 को लंबित रही शिकायतें (3–4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	9	3	12	-	12
3	पुलिस	372	109	481	-	481
4	सहकारिता	34	5	39	-	39
5	शिक्षा	169	34	203	-	203
6	कॉलेज शिक्षा	11	3	14	-	14
7	खाद्य एवं आपूर्ति	22	11	33	-	33
8	चिकि. एवं स्वा.	95	28	123	-	123
9	सा.नि.वि.	29	5	34	-	34
10	रा.रा.वि.मण्डल	57	17	74	-	74
11	राजस्व	358	75	433	-	433
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	242	56	298	-	298
13	अकाल एव राहत	-	-	-	-	-
14	यातायात	8	2	10	-	10
15	वन	29	7	36	-	36
16	यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी	340	43	383	-	383
17	जनसम्पर्क	1	-	1	-	1
18	आबकारी	12	9	21	-	21
19	उद्योग	11	5	16	-	16
20	मुद्रण एवं लेखन	-	-	-	-	-
21	पशुपालन	9	1	10	-	10
22	भेड़ एवं ऊन	-	-	-	-	-
23	सिंचाई	46	9	55	-	55
24	इं.गा.नहर परि.	7	2	9	-	9
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-	-	-	-	-
26	उपनिवेशन	6	1	7	-	7
28	न्याय	13	7	20	-	20
29	जेल	8	-	8	-	8
30	श्रम	8	1	9	-	9
31	पी.एच.ई.डी.	42	13	55	-	55
32	समाज कल्याण	16	5	21	-	21
33	भू–प्रबन्ध	13	3	16	-	16
34	सचिवालय	18	3	21	-	21
35	विविध	269	38	307	-	307
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	9	-	9	-	9
41	आयुर्वेद	11	2	13	-	13
42	देवस्थान	12	1	13	-	13
43	रा.रा.प.प.निगम	21	2	23	-	23
44	वाणिज्यिक कर	18	5	23	-	23
45	खान एव भूविज्ञान	22	4	26	-	26
46	संस्कृत शिक्षा	4	2	6	-	6
47	बीमा एवं प्रा.निधि	22	3	25	-	25
48	तकनीकी शिक्षा	4	3	7	-	7
	योगः–	**2377**	**517**	**2894**	**0**	**2894**

परिशिष्ट–बी–4

1.5.2007 से 31.3.2008 तक की कालावधि के दौरान प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	30.4.2007 को लंबित शिकायतें	1.5.2007 से 31.3.2008 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	1.5.2007 से 31.3.2008 तक की शिकायतों का निपटारा	31.3.2008 को लंबित रही शिकायतें (3–4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	12	12	24	16	8
3	पुलिस	481	207	688	534	154
4	सहकारिता	39	21	60	52	8
5	शिक्षा	203	93	296	211	85
6	कॉलेज शिक्षा	14	17	31	26	5
7	खाद्य एवं आपूर्ति	33	24	57	41	16
8	चिकि. एवं स्वा.	123	40	163	116	47
9	सा.नि.वि.	34	9	43	35	8
10	रा.रा.वि.मण्डल	74	44	118	78	40
11	राजस्व	433	197	630	442	188
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	298	109	407	309	98
13	अकाल एव राहत	-	-	-	-	-
14	यातायात	10	2	12	11	1
15	वन	36	15	51	38	13
16	यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी	383	152	535	311	224
17	जनसम्पर्क	1	1	2	1	1
18	आबकारी	21	4	25	16	9
19	उद्योग	16	11	27	18	9
20	मुद्रण एवं लेखन	-	-	-	-	-
21	पशुपालन	10	2	12	7	5
22	भेड़ एवं ऊन	-	-	-	-	-
23	सिंचाई	55	16	71	55	16
24	इं.गा.नहर परि.	9	5	14	7	7
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-	-	-	-	-
26	उपनिवेशन	7	2	9	7	2
28	न्याय	20	9	29	26	3
29	जेल	8	3	11	8	3
30	श्रम	9	-	9	8	1
31	पी.एच.ई.डी.	55	36	91	66	25
32	समाज कल्याण	21	19	40	30	10
33	भू–प्रबन्ध	16	7	23	17	6
34	सचिवालय	21	9	30	21	9
35	विविध	307	157	464	385	79
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	9	5	14	12	2
41	आयुर्वेद	13	2	15	14	1
42	देवस्थान	13	5	18	8	10
43	रा.रा.प.प.निगम	23	8	31	31	-
44	वाणिज्यिक कर	23	8	31	24	7
45	खान एव भूविज्ञान	26	11	37	27	10
46	संस्कृत शिक्षा	6	1	7	5	2
47	बीमा एवं प्रा.निधि	25	2	27	19	8
48	तकनीकी शिक्षा	7	2	9	8	1
योगः–		**2894**	**1267**	**4161**	**3040**	**1121**

परिशिष्ट–बी–5

1.4.1999 से 31.3.2008 तक की कालावधि के दौरान निपटाई गई शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण एवं चार्ट

वर्ष	कुल परिवाद	निस्तारण	निस्तारण का प्रतिशत
1999-2000	503	249	50
2000-2001	1355	535	39
2001-2002	2468	977	40
2002-2003	3425	2341	68
2003-2004	2453	1627	66
1.4.2004-26.11.2004	2072	1188	57
1.5.2007-31.3.2008	**4161**	**3040**	**73**

सारणी–चित्र

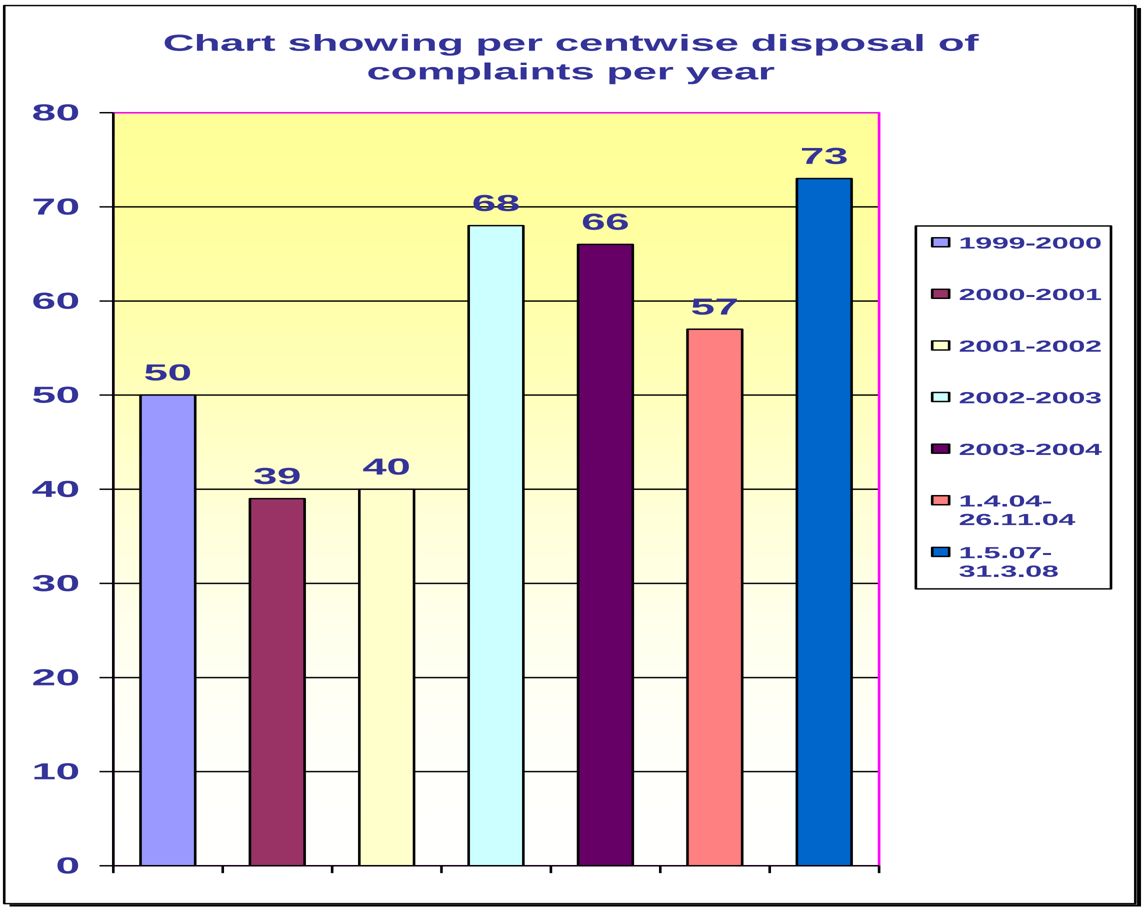

परिशिष्ट–बी–6

1.4.2004 से 31.3.2008 की कालावधि में प्राप्त शिकायतों का तुलनात्मक विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	1.4.2004– 26.11.2004	27.11.2004 – 31.3.2005	1.4.2005 – 31.3.2006	1.4.2006– 30.4.2007	1.5.2007– 31.3.2008	कुल योग	औसत प्रतिवर्ष
3	**पुलिस**	**183**	**59**	**204**	**109**	**207**	**762**	**152.4**
11	**राजस्व**	**195**	**49**	**165**	**75**	**197**	**681**	**136.2**
35	**विविध**	**158**	**68**	**125**	**38**	**157**	**546**	**109.2**
16	**यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी**	**157**	**68**	**125**	**43**	**152**	**545**	**109**
12	**ग्रा. विकास एवं पंचायतीराज**	**114**	**62**	**112**	**56**	**109**	**453**	**90.6**
5	**शिक्षा**	**95**	**35**	**72**	**34**	**93**	**329**	**65.8**
8	**चिकि. एवं स्वा.**	**61**	**16**	**30**	**28**	**40**	**175**	**35**
10	रा.रा.वि.मण्डल	39	14	26	17	44	140	28
31	पी.एच.ई.डी.	18	8	14	13	36	89	17.8
4	सहकारिता	24	6	18	5	21	74	14.8
23	सिंचाई	19	5	23	9	16	72	14.4
7	खाद्य एवं आपूर्ति	8	3	15	11	24	61	12.2
15	वन	12	7	7	7	15	48	9.6
9	सा.नि.वि.	10	7	14	5	9	45	9
32	समाज कल्याण	5	2	12	5	19	43	8.6
45	खान एव भूविज्ञान	13	3	6	4	11	37	7.4
44	वाणिज्यिक कर	15	2	5	5	8	35	7
28	न्याय	6	5	5	7	9	32	6.4
2	कृषि	11	1	5	3	12	32	6.4
6	कॉलेज शिक्षा	5	3	3	3	17	31	6.2
43	रा.रा.प.प.निगम	9	2	10	2	8	31	6.2
19	उद्योग	7	3	2	5	11	28	5.6
47	बीमा एवं प्रा.निधि	14	4	3	3	2	26	5.2
33	भू–प्रबन्ध	9	2	3	3	7	24	4.8
18	आबकारी	4	3	3	9	4	23	4.6
34	सचिवालय	4	1	5	3	9	22	4.4
24	इं.गा.नहर परि.	7	2	1	2	5	17	3.4
14	यातायात	8	-	5	2	2	17	3.4
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	5	4	2	-	5	16	3.2
41	आयुर्वेद	7	4	1	2	2	16	3.2
42	देवस्थान	7	-	3	1	5	16	3.2
21	पशुपालन	6	-	3	1	2	12	2.4
48	तकनीकी शिक्षा	2	-	3	3	2	10	2
30	श्रम	3	5	1	1	-	10	2
26	उपनिवेशन	3	2	-	1	2	8	1.6
29	जेल	2	1	2	-	3	8	1.6
46	संस्कृत शिक्षा	1	-	3	2	1	7	1.4
17	जनसम्पर्क	-	-	1	-	1	2	-.4
20	मुद्रण एवं लेखन	-	-	-	-	-	-	-
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-	-	-	-	-	-	-
13	अकाल एव राहत	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट–बी–7

1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाई गई प्रारंभिक जांचों की संख्या दर्शाने का विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	31.3.2004 को लम्बित प्रारंभिक जांच	41
2	1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि के दौरान संस्थित की गई प्रारंभिक जांच	8
3	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	49
4	जिनमें अभिकथन सिद्ध नहीं हो सके ।	2
5	जिनमें विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई ।	2
6	मामला पांच वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण	0
7	जिनमें अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये गये।	1
8	अनुतोष प्राप्त हो गया ।	0
9	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	3
10	लोकसेवक न रहने के कारण	0
11	अन्य कारणों से	3
12	निपटायी गई प्रारंभिक जांच की संख्या (4 से 11)	11
13	जिन्हें अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के कारण स्थानांतरित किया गया।	1
14	जिनमें सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में सिफारिशें की गई ।	5
15	26.11.2004 को व दिनांक 30.4.2007 को लम्बित प्रारंभिक जांच	32

नोट:– दिनांक 27.11.2004 से 30.4.2007 तक की कालावधि में लोकायुक्त का पद रिक्त होने के कारण नवीन प्रारंभिक जांच प्रकरण न तो संस्थित किये जा सके और नही निपटाये जा सके । अतः दिनांक 30.4.2007 को भी 32 प्रकरणों में ही प्रारंभिक जांच लंबित रही ।

परिशिष्ट–बी–8

1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाई गई प्रारंभिक जांचों की संख्या दर्शाने का विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	30.4.2007 को लम्बित प्रारंभिक जांच	32
2	1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि के दौरान संस्थित की गई प्रारंभिक जांच	36
3	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	68
4	जिनमें अभिकथन सिद्ध नहीं हो सके ।	9
5	जिनमें विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई ।	1
6	मामला पांच वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण	0
7	जिनमें अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये गये।	0
8	अनुतोष प्राप्त हो गया ।	0
9	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	5
10	लोकसेवक न रहने के कारण	0
11	अन्य कारणों से	2
12	निपटायी गई प्रारंभिक जांच की संख्या (4 से 11)	17
13	जिन्हें अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के कारण स्थानांतरित किया गया।	3
14	जिनमें सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में सिफारिशें की गई ।	2
15	31.3.2008 को लम्बित प्रारंभिक जांच	46

परिशिष्ट–बी–9

1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों की संख्या दर्शाने का विवरण

क.सं.	विवरण	संख्या
1.	31.3.2004 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	14
2.	1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि के दौरान संस्थित किये गये	1
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	15
4.	अन्वेषण के पश्चात अभिकथन सिद्ध न होने से नस्तीबद्ध किये गये प्रकरण	2
5.	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	0
6.	अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के कारण	0
7.	लोकसेवक के लोकसेवक न रहने के कारण	0
8.	जिनमें संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम की धारा–12(1) के अन्तर्गत सिफारिशें भेजी गई ।	1
9.	कुल निपटाये गये अन्वेषण प्रकरण योग (पंक्ति संख्या 4 से 8)	3
10.	26.11.2004 व दिनांक 30.4.2007 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	12

नोटः– दिनांक 27.11.2004 से 30.4.2007 तक की कालावधि में लोकायुक्त का पद रिक्त होने के कारण नवीन अन्वेषण जांच प्रकरण न तो संस्थित किये जा सके और नही निपटाये जा सके । अतः दिनांक 30.4.2007 को भी 12 प्रकरणों में ही अन्वेषण प्रकरण लंबित रहे।

-

परिशिष्ट–बी–10

1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों की संख्या दर्शाने का विवरण

क.सं.	विवरण	संख्या
1.	30.4.2007 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	12
2.	1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि के दौरान संस्थित किये गये	3
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	15
4.	अन्वेषण के पश्चात अभिकथन सिद्ध न होने से नस्तीबद्ध किये गये प्रकरण	1
5.	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	0
6.	अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के कारण	0
7.	लोकसेवक के लोकसेवक न रहने के कारण	0
8.	जिनमें संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम की धारा–12(1) के अन्तर्गत सिफारिशें भेजी गई ।	2
9.	कुल निपटाये गये अन्वेषण प्रकरण योग (पंक्ति संख्या 4 से 8)	3
10.	31.3.2008 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	12

परिशिष्ट–बी–11

1.4.2004 से 26.11.2004 तक की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक
1.	3(147)2002/PE	श्री रतन लाल खींची, आरपीएस, अपर पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ।	➢ माननीय कार्मिक मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर। ✓ दिनांकः 6.7.2004
		अनुशंसाः– अधीनस्थ महिला आरक्षी के उत्पीड़न के संबंध में राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । **कार्यवाहीः–** की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।	
2.	42(4)1999/PE	देवस्थान की सम्पत्तियों को खुर्दबुर्द किये जाने से बचाये जाने के संबंध में।	➢ आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ✓ दिनांक 7.8.2004
		अनुशंसाः– जिन देवस्थान सम्पत्तियों के कब्जेधारकों के किरायेदारी के नियम के मामले, आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के समक्ष विचाराधीन हैं, उनमें शीघ्र निर्णय लिया जाकर सूचित किया जावे । **कार्यवाहीः–** की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।	
3.	16(185)2000/PE	शांति निकेतन हरियाणा आवासीय आयोजना, जयपुर में पार्क की भूमि के अवैध नियमन बाबत ।	➢ आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर । ✓ दिनांक 5.8.2004
		अनुशंसाः– दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावे एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विधि अनुसार कार्यवाही करवाई जावे। **कार्यवाहीः–** की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।	

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक
4.	3(239)2002/PE	➢ श्री के.के.डागला, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डीडवाना, नागौर। ➢ श्री अयूब खां, कांस्टेबल नं. 430, आरक्षी केन्द्र, डीडवाना ➢ तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, डीडवाना ।	➢ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर। ➢ शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान,जयपुर। ➢ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ✓ दिनांकः 15.6.2004
		अनुशंसाः- परिवादिया को अनुचित हानि पहुंचाने की नीयत से बिना उचित कारण के उसके घर के सामने बिजली का खंभा लगाने के लिए उनके विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । **कार्यवाहीः-** ➢ श्री के.के. डागला, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डीडवाना, नागौर को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है । ➢ श्री अयूब खां, पुलिस आरक्षी के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित मानते हुए धारा 17 सीसीए के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है । ➢ तत्कालीन अधीशाषी अधिकारी, नगरपालिका, डीडवाना के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया गया ।	
5.	31(10)2000/Inv.	श्री किशन लाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चौमू	➢ शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। ✓ दिनांकः 30.11.2004
		अनुशंसाः- क्वार्टरों के निर्माण के पर्यवेक्षण में कर्त्तव्य का निर्वहन उचित प्रकार से न कर घटिया सामग्री से राज्य हानि पहुंचाने के संबंध में 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावे । **कार्यवाहीः-** पत्र दिनांक 22.3.2006 के अनुसार 16 सीसीए में आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। परिणाम की सूचना सूचना अपेक्षित है ।	

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पत्रावली संख्या</th><th>लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/ विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई</th><th>सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया
प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक</th></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td rowspan="2">12(86)2001/FR</td><td>➢ श्री उदल सिंह, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, करौली
➢ श्री मनोज शांडिल्य, तत्कालीन लेखाधिकारी, करौली
➢ श्री शिवराम शर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, टोडभीम
➢ श्री डालचंद वर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, हिण्डौन
➢ श्री रूप सिंह गूर्जर, तत्कालीन विकास अधिकारी, नादौती ।
➢ श्री शिव कुमार शर्मा, कार्यवाहक विकास अधिकारी, हिण्डौन ।
➢ श्री पल्लीवाल मीणा, विकास अधिकारी, दौसा ।
➢ श्री देवी लाल मीणा, विकास अधिकारी, बौली, जिला सवाई माधोपुर ।</td><td>➢ निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
✓ दिनांक 6.5.2004</td></tr>
<tr><td colspan="2">अनुशंसा:-
पंचायतों में सहायक सचिव के पदों पर अवयस्क बच्चों को नियुक्तियां प्रदान करने के दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे।
कार्यवाही:-
आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: एफ. 13()शिका/वि.अ./करौली/प्र.1/परावि/04/1133 दिनांक 6.4.2005 द्वारा निम्नानुसार सूचित किया है :-
➢ श्री उदल सिंह, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अत: उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में आगे कार्यवाही कार्मिक विभाग के स्तर पर सम्पादित की जावेगी ।
➢ श्री रूप सिंह गूर्जर, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नादौती के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उन्हें एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है ।
➢ शेष सात लोकसेवकों सर्वश्री मनोज शांडिल्य, शिवराम शर्मा, डालचन्द वर्मा, शिवकुमार शर्मा, पल्लीवाल मीणा, देवी लाल मीणा एवं राम दयाल मीणा के विरूद्ध 16 सीसीए के तहत् कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन माननीय पंचायती राजमंत्री के स्तर से लिया जा चुका है और अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है ।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक
7.	3(76)2002/PE	➢ श्री हीरा लाल सैनी, एस.एच.ओ., पुलिस थाना, लाखेरी, जिला बूंदी । ➢ श्री हंस राज चौधरी, हैड कांस्टेबल, पुलिस थाना, लाखेरी, जिला बूंदी	➢ शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। ✓ दिनांकः 30.11.2004
		अनुशंसाः- ➢ परिवादी श्री संजय सेठ के कोयले से भरे ट्रक को अवैध रूप से रोक कर 10,000 रूपये की रिश्वत की अनुचित मांग जो पूरा नहीं करने परिवादी एवं उसके चालक को थाने में अवैध हिरासत में रखने एवं रिश्वत की राशि प्राप्त करने का दोष सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाने पर उक्त दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई । **कार्यवाहीः-** ➢ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस सतर्कता, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र कमांक. 3(76)लोआस/2002/2974 दिनांक 1.3.2006 द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में सर्वश्री हीरालाल, उ.नि. व हंसराज, हैड कानि. के विरूद्ध नियम 16 सीसीए के अन्तर्गत अरोप पत्र प्रसारित कर आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला बूँदी से करवाई गई । जांच अधिकारी द्वारा आरोपित लोकसेवकों पर लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने पर आदेश कमांकः 6127-30 दिनांक 23.12.2005 द्वारा उक्त दोनों लोकसेवकों को दोषमुक्त किया गया । इस पर दिनांक 30.5.2007 को उक्त प्रकरण को समाप्त किया गया ।	

नोटः- दिनांक 27.11.2004 से 30.4.2007 तक की कालावधि में लोकायुक्त का पद रिक्त होने के कारण किसी भी प्रकरण में धारा 12 (1) के अन्तर्गत किसी सक्षम प्राधिकारी को कोई सिफारिश/प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जा सका ।

परिशिष्ट–बी–12

1.5.2007 से 31.3.2008 तक की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक
1.	11(39)2000/INV	➢ श्री शिवदत्त गौड़, तत्कालीन तहसीलदार, बाली, जिला पाली ➢ श्री जगदीश्वर दयाल, तत्कालीन पटवारी भू–अभिलेख, तहसील बाली, जिला पाली	➢ माननीय राजस्वमंत्री, राजस्थान सरकार ➢ शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। ✓ दिनांक: 14.06.2007
		अनुशंसा:– ➢ परिवादी की भूमि को कय करने हेतु अनुचित दबाव डालने के लिये पेड़ काटने की गलत रिपोर्ट दर्ज करवाकर अनुचित अपहानि पहुंचाने के लिये दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई । **कार्यवाही:–** ➢ अनुशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।	
2.	23(19)2000/PE	➢ श्री मदन लाल मीणा, वरिष्ठ लिपिक, सिंचाई उपखण्ड, भंवरगढ़, जिला बारां।	➢ शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर । ✓ दिनांक: 14.06.2007
		अनुशंसा:– ➢ सेवा पुस्तिका खो जाने में लापरवाही बरतने एवं समर्पित अवकाशों हेतु दुबारा आवेदन कर भुगतान प्राप्त करने के संबंध में ही उक्त आदेश से दंडित किया गया जबकि उसके विरूद्ध अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर व रिकार्ड में हेरा–फेरी कर सबूत नष्ट करने, वाउचरों में हेरा–फेरी कर राशि हड़प करने, स्टोर में रहकर स्टोर का सामान गायब करने आदि के आरोप भी प्रमाणित पाये गये थे । अत: लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग कोटा के आदेश कमांक: अमुअ/सिं/डी.ई./41/87/9719–24 दिनांक 16.6.2003 को रिव्यू करके उचित दंडादेश पारित करें । **कार्यवाही:–** ➢ अनुशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।	

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की दिनांक
3.	42(5)1999/INV	➢ श्री बनवारी लाल शर्मा, तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर। ➢ श्री शिवभगवान राजपुरोहित, तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर। ➢ श्री हरिओम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर ।	➢ माननीय राज्यमंत्री, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। ➢ शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर । ✓ दिनांकः 20.06.2007
		अनुशंसाः- ➢ लोकसेवक श्री बनवारी लाल, तत्कालीन, सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर व श्री हरिओम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध जानबूझ कर परिवादी को वांछित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाकर अकमर्ण्यता को दोषी होने, जवाबदेही से बचने के लिये पिछली तिथियों में नोटिंग करने तथा ➢ लोकसेवक श्री शिवभगवान राजपुरोहित द्वारा नियमविरूद्ध तरीके से प्रन्यास के चुनाव में वित्तीय अनियमिताएं बरतने व यह तथ्य जानकारी में आने के उपरान्त भी कि दिनांक 22.3.2000 को महासभा के मैनेजर के पद से हटा दिये जाने के उपरान्त भी श्री हनुमानदास से बतौर मैनेजर ट्रस्ट का कार्य लेकर पद का दुरूपयोग करने लेने का दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई । **कार्यवाहीः-** ➢ अनुशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।	

परिशिष्ट–बी–13

1.4.2004 से 26.11.2004 तक की कालावधि के दौरान परिवादीगण को लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रदान किये गये विभागवार अनुतोष वाले प्रकरण

शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या	शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	-	23	सिंचाई	1
3	पुलिस	-	24	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	-
4	सहकारिता	-	25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-
5	शिक्षा	9	26	उपनिवेशन	-
6	कॉलेज शिक्षा	2	28	न्याय	-
7	खाद्य एवं आपूर्ति	1	29	जेल विभाग	-
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	3	30	श्रम विभाग	-
9	सार्वजनिक निर्माण विभाग	-	31	जनस्वा. अभियांत्रिकी विभाग	-
10	रा.रा.वि.मण्डल	2	32	समाज कल्याण विभाग	-
11	राजस्व	8	33	भू-प्रबन्ध विभाग	-
12	ग्रा. वि. एवं पंचायतीराज	1	34	सचिवालय	-
13	अकाल एव राहत	-	35	विविध	1
14	यातायात	-	40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
15	वन	1	41	आयुर्वेद	1
16	नविआ/जविप्रा/एलएसजी	3	42	देवस्थान	-
17	जनसम्पर्क	-	43	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	-
18	आबकारी	-	44	वाणिज्यिक कर	-
19	उद्योग	-	45	खान एव भूविज्ञान	-
20	मुद्रण एवं लेखन	-	46	संस्कृत शिक्षा	-
21	पशुपालन	-	47	राज्य बीमा एवं प्रावधायीनिधि	2
22	भेड़ एवं ऊन	-	48	तकनीकी शिक्षा	-
				योगः–	**35**

परिशिष्ट–बी–14

1.5.2007 से 31.3.2008 तक की कालावधि के दौरान परिवादीगण को लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रदान किये गये विभागवार अनुतोष वाले प्रकरण

शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या	शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	2	23	सिंचाई	3
3	पुलिस	-	24	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	1
4	सहकारिता	3	25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-
5	शिक्षा	21	26	उपनिवेशन	-
6	कॉलेज शिक्षा	-	28	न्याय	-
7	खाद्य एवं आपूर्ति	-	29	जेल विभाग	1
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	-	30	श्रम विभाग	1
9	सार्वजनिक निर्माण विभाग	9	31	जनस्वा. अभियांत्रिकी विभाग	1
10	रा.रा.वि.मण्डल	5	32	समाज कल्याण विभाग	1
11	राजस्व	28	33	भू-प्रबन्ध विभाग	-
12	ग्रा. वि. एवं पंचायतीराज	14	34	सचिवालय	3
13	अकाल एव राहत	-	35	विविध	12
14	यातायात	-	40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
15	वन	5	41	आयुर्वेद	4
16	नविआ/जविप्रा/एलएसजी	16	42	देवस्थान	-
17	जनसम्पर्क	-	43	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	1
18	आबकारी	-	44	वाणिज्यिक कर	-
19	उद्योग	-	45	खान एव भूविज्ञान	-
20	मुद्रण एवं लेखन	-	46	संस्कृत शिक्षा	-
21	पशुपालन	1	47	राज्य बीमा एवं प्रावधायीनिधि	6
22	भेड़ एवं ऊन	-	48	तकनीकी शिक्षा	-
				योगः	**138**

परिशिष्ट–बी–15

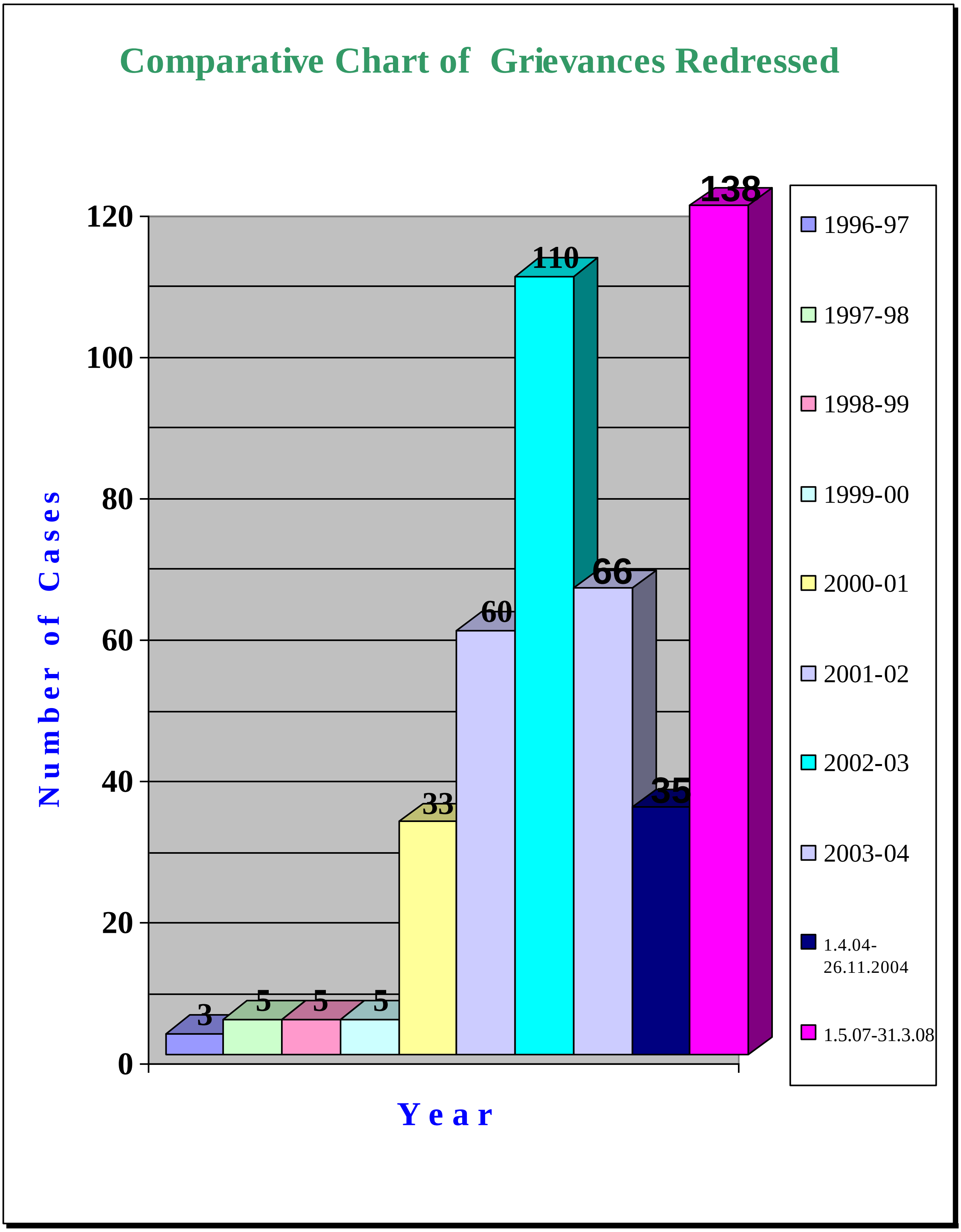

Comparative Chart of Grievances Redressed
Number of Cases
120
100
80
60
40
20
0
3
5
5
5
33
60
110
66
35
138
Year
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
1.4.04-26.11.2004
1.5.07-31.3.08

अध्याय-3

अनुशंसा के प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण (1.4.2004 से 26.11.2004)

देवस्थान विभाग

एफ. 42(4)लोआस/1999

श्री सोहन सिंह हंसा, निवासी कलियों का बास, हाथीराम का ओड़ा, जोधपुर ने यह परिवाद परिवाद दिनांक 4.1.1999 को इस आशय का पेश किया कि जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास अवस्थित *'श्री जोड़ेचाजी भवन'* देवस्थान विभाग की सम्पदा है जिसमें कुछ दुकानों को किरायेदारों ने अन्य व्यक्तियों को 3-4 लाख रूपये में पगड़ी लेकर सहायक आयुक्त की संयुक्त भागीदारी में सबलेट कर दिया तथा सबलेट वालों का कब्जा बताकर सहायक आयुक्त व निरीक्षक ने रिपोर्ट भेज दी । मुख्य रूप से दुकान नं. 66, 73, 79, 95, 25, 30, 32, 70 होना बताया गया तथा दुकानों में तोड़-फोड़ करना भी बताया । उक्त परिवाद में दिनांक 27.3.2000 को प्रारंभिक जांच किये जाने का आदेश दिया गया ।

प्रारंभिक जांच के दौरान् तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई तथा मूल रिकार्ड भी मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया तथा सम्पत्ति का नक्श भी बनवाया जाकर रिकार्ड पर रखवाया गया ।

प्रारंभिक जांच के पश्चात् यह पाया गया कि दुकान संख्या 66 का किरायेदारी परिवर्तन का आदेश दिनांक 16.12.1996 को कर दिया गया जो आदेश जारी करने में राज्य सरकार सक्षम है। सम्पदा संख्या 73 की नियमन की राशि राज्य सरकार की नीति दिनांक 6.6.2000 के अनुसार दिनांक 30.12.2000 को जमा करादी गई एवं प्रकरण आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के यहां विचाराधीन है। इसी प्रकार सम्पदा संख्या 32, 70, 79 एवं 80 के किरायेदारी के नियमन के प्रकरण भी विचाराधीन हैं तथा सम्पदा संख्या 30 के संबंध में उक्त नीति के तहत् नियमित किराया जमा करवाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त सम्पदा संख्या 25 के संबंध में सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में बेदखली का वाद विचाराधीन है । राज्य सरकार की नीति दिनांक 6.6.2000 के अनुसार आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उक्त नियमन के मामलों में निर्णय लेना है ।

अतः इस प्रकरण में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को इस सचिवालय के पत्र कमांकः 42(4)लोआस/1999/3505 दिनांक 7.8.2004 के साथ परिवाद एवं प्रारंभिक जांच की प्रति प्रेषित कर यह **अनुशंसा की गई कि परिवाद में वर्णित जिन सम्पत्तियों के किरायेदारी के नियमन के संबंध में निर्णय लिया जाना है, उनके संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर पालना से**

तीन माह की अवधि में अवगत करवाया जावे । इसके पश्चात् पत्राचार जारी है, परन्तु प्रतिवेदन लिखे जाते समय तक उपर्युक्त अनुशंसा की पालना में अंतिम रूप से की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण

एफ. 16(185)लोआस/2000

परिवादी डॉ. नवन किशोर शर्मा ने यह परिवाद दिनांक 22.3.2001 को प्रस्तुत कर बताया कि वह 57, रामभवन, शांति निकेतन कॉलोनी, किसान मार्ग, टोंक रोड़, जयपुर में रहता है । मकान का निर्माण वर्ष 1987-88 में जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति से अनुमोदित योजना व मानचित्र के अनुसार करवाया था । इस भूखण्ड के दक्षिण में 950 वर्गगज का पार्क विद्यमान है, जिसे जयपुर विकास प्राधिकरण ने 1982 में ही अनुमोदित कर दिया था । उक्त पार्क की भूमि में से लगभग 550 वर्गगज भूमि को भू-माफिया श्री अजय शर्मा पुत्र डॉ. हरिशंकर शर्मा, श्रीमती हरेन्द्र कौर पत्नी श्री जे.एस.आहूजा, श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री राम सहाय शर्मा एवं अन्य लोगों ने मिल कर जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री निहालचन्द गोयल से सांठगांठ करके 40-50 लाख की पार्क की भूमि को हड़प करने के लिये दिनांक 12.1.2001 को श्रीमती हरेन्द्र कौर को भू-आवंटन पत्र जारी करवाया, जिसे श्री राजकुमार शर्मा इकरारनामे के जरिये खरीद करना बताता है और पार्क की भूमि पर निर्माण शुरू कर दिया जिसे परिवादी ने न्यायालय के मार्फत रूकवाया ।

परिवाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई तथा उसके अवलोकन के पश्चात् इस परिवाद में प्रारंभिक जांच की गई ।

तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह अवगत कराया गया कि उक्त आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए-1, ए-2, ए-3, ए-4, एए-1, 9, 55, 55-ए एवं 65 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया गया था जबकि खातेदार ने उसमें यह भूखण्ड सृजित किये हुए थे । ऐसी स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण ने समस्त पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त भूखण्ड संख्या 55-ए को बी.पी.सी. की बैठक दिनांक 22.12.2000 में सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर दिया । प्रारंभिक जांच के दौरान् आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 55-ए को अनुमोदित मानचित्र में पार्क दर्शाया गया था इसके भूमि रूपान्तरण के आदेश दिनांक 21.3.1985 को जारी किये गये थे तथा परिवादी द्वारा अपीलीय अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष इस भूखण्ड के संबंध में जो वाद प्रस्तुत किया गया था, उसमें अधिकरण ने उक्त भूखण्ड 55-ए को श्रीमती हरेन्द्र कौर के नाम आवंटित करने को जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के बाहर माना और भूमि को सार्वजनिक पार्क मानते हुए पट्टे को अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया ।

श्री के.पी.सिंहल, तत्कालीन जिलाधीश (दक्षिण), कृषि भूमि रूपान्तरण ने यह अपने बयान में यह कहा है कि इसी भूखण्ड को नियमन कराने के लिये दिनांक 21.3.1985 को ही आवेदन खारिज कर दिय गया था । तत्पश्चात् 15 वर्ष की कालावधि के बाद दिनांक 18.12.2000 को उसके नियमन के लिये पुनः प्रार्थना पत्र पेश हुआ और उसे आनन-फानन में चार दिन में ही स्वीकार कर लिया गया । इससे जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में सच्चरित्रता का अभाव दर्शित होता है और उन्होंने यह कृत्य या तो निजी लाभ के लिए या श्रीमती हरेन्द्र कौर को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये किया ।

अतः प्रारंभिक जांच में आरोप प्रमाणित किये जा सकने योग्य पाये जाने पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को पत्र क्रमांक: एफ.16(185)लोआस/2000/3369 दिनांक 5.8.2004 के साथ परिवाद एवं प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर **यह अनुशंसा की गई कि प्रश्नगत सार्वजनिक पार्क की भूमि भूखण्ड 55-ए का आवंटन अविधिपूर्ण तरीके से श्रीमती हरेन्द्र कौर को किये जाने का निर्णय लिये जाने से जुड़े अधिकारियों के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई जावे** एवं पालना से तीन माह की अवधि में अवगत करवाया जावे ।

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: प.3(56)जविप्रा/जांच/विविध/04 दिनांक 17.10.2005 द्वारा सूचित किया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया और यह महसूस किया गया कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि 21.3.1985 के निर्णय को दिनांक 18.12.2000 को बदलने का आधार रहा, वह इस सचिवालय के ध्यान में नहीं लाया जा सका। उन्होंने उक्त पत्र के साथ वह पृष्ठभूमि भी संलग्न कर भेजी जिसके अनुसार यह सूचित किया गया कि जहां तक भूखण्ड संख्या 55-ए का नियमन 1985 में अस्वीकार किये जाने का प्रश्न है, वह उस समय की परिस्थिति तथा नियमानुसार निरस्त किया गया था ।

इसके पश्चात् कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 में संशोधन कर एक नई धारा 90-बी वर्ष 1999 में समाविष्ट की गई और इसके साथ-साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 एवं अन्य स्थानीय निकायों के अधिनियमों में संशोधन किया गया ।

पूर्व में ऐसी बहुत सी योजनाएं थी जो रूपान्तरण नियम, 1981 के तहत् नियमित नहीं होने के कारण स निरस्त करदी गई थी । इन सभी योजनाओं का नियमन उक्त संशोधनों के उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया है । इसलिये यह आधार कि भूखण्ड नियमन का प्रार्थना पत्र पूर्व में खारिज कर दिया गया था, इसलिये उसे सुविधा क्षेत्र से बाद में मुक्त नहीं किया जा सकता, औचित्यपूर्ण नहीं होगा ।

प्रकरण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक विचाराधीन है ।

पुलिस विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं स्वायत्त शासन विभाग

एफ. 3(239)लोआस/2002

परिवादिया श्रीमती अमीना खां पत्नी श्री भंवरू खां ये परिवाद दिनांक 10.3.2003 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह डीडवाना में कायमनगर, गली नं. 9 में निवास करती है। श्री अयूब खां पुत्र श्री गुलाब खं भी वही रहता जो राजस्थान पुलिस में कर्मचारी है । वह अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने घर के रास्ते पर विद्युत लाइन का पोल खड़ा नहीं करने दे रहा है जिसके कारण वह विद्युत कनेक्शन नहीं ले पा रही है जबकि उसने समस्त कार्यवाही पूरी करदी ।

इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, डीडवाना एवं पुलिस अधीक्षक, नागौर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे गये।

प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन संतोषजनक न पाये जाने पर इस प्रकरण में प्रारंभिक जांच की गई।

प्रारंभिक जांच के दौरान् आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के विवेचन से यह बात स्पष्ट हुआ कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 का हित परिवादिनी के घर पर दो पोल से कनेक्शन देने में था, जिससे विभाग को भी कम खर्चा पड़ता । सामान्य परिस्थितियों में विभाग यह प्रयास करता कि विभाग का कम-से-कम खर्चा हो, परन्तु इस प्रकरण में विभाग के जे.ई.एन. ने पहले सीधे रास्ते से एस्टीमेंट न बनाकर अन्य रास्ते से एस्टीमेन्ट बनाया, जिसमें विभाग को अधिक आर्थिक व्यय होता है। परिस्थितियों के विवेचन से यह भी स्पष्ट हुआ कि ऐसा उसने पुलिस विभाग के कर्मचारी श्री अयुब खां के दवाब में या स्वेच्छा से सहयोग देने के कारण किया। यदि अयुब खां इस बात में सफल हो जाता है कि उसके घर के सामने से आम रास्ते पर पोल न लगे तो कालान्तर में सम्पूर्ण गली को जोकि 12फीट चौड़ी है, को बंद कर सकता थो, क्योंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि गली की शुरूआत से आखिर तक अयुब खां के परिवार के सदस्यों के प्लाट है ।

श्री अयुब खां ने अपने पुलिस विभाग में होने का दुरूपयोग इस कदर किया कि पुलिस अधीक्षक तक को, उस वस्तुस्थिति की गलत जानकारी इस सचिवालय को प्रेषित कर दी। पुलिस अधीक्षक ने उक्त जानकारी नि:संदेह डीडवाना आरक्षी केन्द्र से ली थी ।

परिवादिनी को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि बाद में अधीशासी अभियन्ता ने दिनांक 29.4.2003 को ही नया कार्य आदेश जारी कर देने के बाद भी वास्तव में विद्युत कनेक्शन दिनांक 31.5.2003 को स्थापित हो सका । विद्युत विभाग में इस बात का कोई कारण दर्ज नहीं है कि मौके पर सीधा विद्युत कनेक्शन दो पोल खड़े करके क्यों नहीं दिया जा सकता ।

एक ही जे.ई.एन. द्वारा पहले तीन पोल का अनुमानित व्यय प्रपत्र बनाना, तत्पश्चात् उच्चाधिकारियों के मौका निरीक्षण के बाद वस्तुस्थिति की सही जानकारी होने के पश्चात् दो पोल से विद्युत कनेक्शन का अनुमानित प्रपत्र बनाना तत्कालीन जे.ईएन. की कार्य के प्रति सच्चरित्रता पर युक्तियुक्त एवं गंभीर संदेह पैदा करता है। यह कार्य उसने निगम हित में न कर, अयुब खां के हित में किया, उसकी सम्पुष्टि इस तथ्य से होती है कि अयुब खां ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने उनके घर के आगे से विद्युत कनेक्शन देने में एतराज किया था । निगम के जे.ईएन. ने नगरपालिका, डीडवाना द्वारा पहले जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की ओर ध्यान नहीं दिया ।

नगरपालिका, डीडवाना ने भी बाद में अपनी रिपोर्ट में पुलिस कर्मचारी श्री अयुब खां का हित साधन करते हुए, गलत तथ्य बताए। हालांकि परिवादिनी को विद्युत कनेक्शन प्राप्त हो गया, परन्तु उक्त विद्युत कनेक्शन के लिए अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा । यह उसकी हिम्मत के कारण ही संभव हुआ कि यह तथ्य उजागर हो सका कि निगम के अधिकारी निगम हित में कार्य नहीं कर रहे हैं।

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत लोकसेवक श्री के.के.डागला तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. डीडवाना, जिला नागौर के विरूद्ध उसके सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को, लोकसेवक श्री अयुब खां, नंबर-430, तत्कालीन कांस्टेबल आरक्षी केन्द्र, डीडवाना हाल आरक्षी केन्द्र कुचामनसिटी, जिला नागौर के विरूद्ध उसके सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, डीडवाना, जिला नागौर के विरूद्ध उसके सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ. 3(239)लोआस/2002 दिनांक 15.6.2004 द्वारा इनके विरूद्ध **समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से तीन माह की अवधि में अवगत कराने हेतु अनुशंसा की गई ।**

उपर्युक्त अनुशंसा की पालना में प्रबन्ध निदेशक, अजमेर वि.वि.वि.लि., अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 30.7.2004 द्वारा अवगत कराया कि दोषी लोकसेवक श्री के.के.डागला, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 22.7.2004 को आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। इसके पश्चात् पत्र **दिनांक 23.11.2004 द्वारा अवगत कराया गया कि लोकसेवक श्री के.के.डागला के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आदेश दिनांक 23.11.2004 द्वारा उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है ।**

उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 17.11.2004 द्वारा अवगत कराया कि दोषी लोकसेवक **श्री अयूब खां, कांस्टेबल नं. 430 के विरूद्ध 17 सीसीए की विभागीय कार्यवाही कर लगाये गये आरोपों को प्रमाणित मानते हुए**

जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर के द्वारा उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

जहां तक तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, डीडवाना के विरूद्ध की गई अनुशंसा की पालना का संबंध है, उसके संबंध में निदेशक, स्थानीय विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प.2(क) ()शिलो/जांच/डीएलबी/2004/291 दिनांक 28.1.2006 द्वारा अवगत कराया कि अधिशाषी अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया जिसने अवगत कराया कि उसके द्वारा केवल परिवादिनी के चाहने पर दिनांक 6.3.3003 को मात्र एन.ओ.सी. जारी की गई है। विद्युत कनेक्शन के संबंध में एस्टीमेट, विद्युत पोल की संख्या इत्यादि के आंकलन का कार्य अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया है । इस प्रकार अधिशाषी अधिकारी के स्प्ष्टीकरण को समीचीन मानते हुए प्रकरण को समाप्त करने की प्रार्थना की जिस पर विचार कर दिनांक 31.5.2007 को उक्त प्रकरण को समाप्त किया गया ।

जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग

एफ. 31(10)लोआस/2000

श्री रामस्वरूप शर्मा ने यह परिवाद दिनांक 12.8.2000 को इस आशय का पेश किया कि श्री बाबूलाल अग्रवाल जन स्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग का रजिस्टर्ड ठेकेदार है । उसने उपखण्ड चौमू के कार्यालय आदेश क्रमांक 10366 दिनांक 6.8.97 की पालना में पी.एच.ई.डी. के एक 'एफ' टाईप क्वार्टर का निर्माण किया है और इस निर्माण में उसने राज्य सरकार को एक लाख पचास हजार रूपये का नुक्सान पहुँचाया। श्री किशन लाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा पचास हजार रूपये नकद प्राप्त करके झूठा बिल बनाया गया हैं। यह सब कार्य श्री किशन लाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता ने सुविधा शुल्क लेकर कराया है ।

अत: इस परिवाद में दिनांक 31.1.2001 को प्रारंभिक जांच आरंभ की गई । प्रारंभिक जांच में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये जाने पर दिनांक 18.1.2002 को श्री बृज मोहन जाट, सहायक अभियन्ता व श्री किशन लाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त एंव उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अनुसंधान प्रारम्भ किया गया । अनुसंधान के दौरान श्री बृजमोहन जाट, सहायक अभियन्ता के सेवानिवृत्त होने पर उसके विरूद्ध दिनांक 01.11.2003 को कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुसंधान के दौरान् लोकसेवक को अपना जवाब/स्पष्टीकरण एवं पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया ।

बाद अनुसंधान यह साबित किये जाने योग्य पाया गया कि परिवादी उक्त निर्माण कार्य का उप-ठेकेदार था और संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता श्री किशन लाल सैनी ने उक्त **निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के संबंध में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं किया, जिसके**

कारण दरवाजे व खिड़कियों को बनाने में अनुबन्ध से निम्न स्तर की लकड़ी का उपयोग हुआ जिससे विभाग को क्षति हुई। अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत उसके सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र क्रमांकः 31(10)लोआस/2000/6400 दिनांक 30.11.2004 द्वारा अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर यह अनुशंसा की गई कि श्री सैनी के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से तीन माह की अवधि में इस सचिवालय को अवगत कराया जावे ।

शासन उप सचिव (द्वितीय), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकः प.4(26)पएचई/2004 दिनांक 8.12.2004 के अनुसार मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को श्री किशन लाल सैनी के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत चार्जशीट जारी करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः एच.जी. -ाा(2911)जांप्र/2005-2006/19184 दिनांक 22.3.2006 द्वारा अवगत कराया कि **दोषी लोकसेवक श्री किशन लाल सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं ।**

उक्त विभागीय जांच का क्या परिणाम रहा, इसकी सूचना अपेक्षित है ।

पंचायती राज विभाग

एफ. 12(86)लोआस/2001

श्री कैलाश चन्द शर्मा, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जिला करौली ने यह परिवाद दिनांक 25.10.2001 को इस आशय का पेश किया कि करौली जिले में विगत **कुछ वर्षो में भारी संख्या में पंचायतों में सहायक सचिवों की फर्जी नियुक्तियां की गई ।** इसकी जांच रिपोर्ट में 43 में से 36 फर्जी पाये गये एवं बाद में 8 सहायक सचिवों की जांच में सभी फर्जी पाये गये । इन नियुक्तियों में जिला परिषद के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ऊदल सिंह, मनोज शांडिल्य, तत्कालीन लेखाधिकारी, जिला परिषद, करौली श्री शिवराम शर्मा आदि द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायक सचिवों को नियुक्ति देने में महती भूमिका निभाई । इनमें दोषी पाये जाने पर अनेकों को इस जिल से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया व बाद में पुनः हिण्डौन में पदस्थापित कर दिया गया जिससे इनको रिकार्ड में हेराफेरी करने का मौका मिलेगा ।

उक्त परिवाद के संबंध में संभागीय आयुक्त, कोटा से पत्र दिनांक 2.2.2002 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई । उन्होंने अपने पत्र दिनांक 2.7.2002 द्वारा तथ्यात्मक **रिपोर्ट प्रस्तुत एवं आरोपों को सही माना एवं बताया कि जांच में पाया गया कि 14 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गई, जिनकी आयु कम थी तथा 25 ऐसे लोगों को सहायक सचिव नियुक्त**

किया गया जो किसी प्रभावशाली राजनेता/जनप्रतिनिधि/सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के बंधु-बांधव, रिश्तेदार है ।

14 अवयस्क सहायक सचिव नियुक्त किये गये व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	नाम एवं पिता का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	नियुक्त किये जाने की दिनांक को उम्र
1.	श्री माधोसिंह पुत्र श्री विजय सिंह	बाईजट्ट	हिण्डौन	14वर्ष 8माह 15दिन
2.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पत्त सिंह	खेड़ली गूर्जर	हिण्डौन	16वर्ष 19दिन
3.	श्री जयप्रकाश पुत्र श्री घनश्याम	टोडूपुरा	हिण्डौन	16वर्ष 1माह 25दिन
4.	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बाबू लाल	खेड़ी हैवत	हिण्डौन	16वर्ष 2माह 17दिन
5.	श्री नवल सिंह पुत्र श्री बुधाराम	बूकना	सपोटरा	16वर्ष 2माह 26दिन
6.	श्री भीम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह	नरायणा	करौली	16वर्ष 4माह 25दिन
7.	श्री विनोद डागुर पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह	जहांगीरपुर	करौली	16वर्ष 5माह 17दिन
8.	श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री हरिसिंह	भीलापाड़ा	नादौती	17वर्ष 1माह 21दिन
9.	श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री भंवर लाल	गुनेसरा	करौली	17वर्ष 1माह 23दिन
10.	श्री देवी सिंह पुत्र श्री भूरमल चौधरी	महमतपुर	सपोटरा	17वर्ष 6माह
11.	श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद	अलीपुरा	हिण्डौन	17वर्ष 7माह 5दिन
12.	श्री मुनीम सिंह पुत्र श्री राधेश्याम	मण्डावरा	हिण्डौन	17वर्ष 7माह 23दिन
13.	श्री रवीन्द्र पुत्र श्री खेमचन्द शर्मा	राजौर	करौली	17वर्ष 8माह 21दिन
14.	श्री सत्येन्द्र पुत्र श्री रामस्वरूप जाट	शेरपुर	हिण्डौन	18वर्ष 2माह

निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने भी अपने पत्र दिनांक 24.3.2004 द्वारा संभागीय आयुक्त के उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए स्वीकार किया कि 14 अवयस्क व्यक्तियों को सहायक सचिव के पदों पर नियुक्तियां दी गई जिसका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में कोई प्रावधान नहीं है और यह लेबर एक्ट का भी उल्लंघन है । प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर **उक्त नियुक्तियों के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को दोषी पाया गया :-**

- श्री उदल सिंह, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, करौली
- श्री मनोज शांडिल्य, तत्कालीन लेखाधिकारी, करौली
- श्री शिवराम शर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, टोडभीम
- श्री डालचंद वर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, हिण्डौन
- श्री रूप सिंह गूर्जर, तत्कालीन विकास अधिकारी, नादौती ।
- श्री शिव कुमार शर्मा, कार्यवाहक विकास अधिकारी, हिण्डौन ।
- श्री पल्लीवाल मीणा, विकास अधिकारी, दौसा ।
- श्री देवी लाल मीणा, विकास अधिकारी, बौंली, जिला सवाई माधोपुर ।

अत: इस सचिवालय के पत्र क्रमांक: एफ.12(86)लोआस/2001/685 दिनांक 6.5.2004 द्वारा निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त

अधिनियम, 1973 की **धारा 12(1) के अन्तर्गत यह अभिशंसा की गई कि वे उक्त दोषी पाये गये सभी लोकसेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर पालना से तीन माह की अवधि में इस सचिवालय को अवगत करावें ।**

उक्त अनुशंसा की पालना में प्रतिवेदन लिखे जाने के समय तक आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: एफ.13()शिका/वि.अ./करौली/प्र. 1/पराvि/04/1133 दिनांक 6.4.2005 द्वारा निम्नानुसार सूचित किया है :-

1. **श्री उदल सिंह,** तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली राज्य सेवा से **सेवानिवृत्त हो चुके हैं**, अतः उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में आगे कार्यवाही कार्मिक विभाग के स्तर पर सम्पादित की जावेगी ।
2. **श्री रूप सिंह गूर्जर,** तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नादौती के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उन्हें **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है ।**
3. **शेष सात लोकसेवकों** सर्वश्री मनोज शांडिल्य, शिवराम शर्मा, डालचन्द वर्मा, शिवकुमार शर्मा, पल्लीवाल मीणा, देवी लाल मीणा एवं राम दयाल मीणा के विरूद्ध 16 सीसीए के तहत् कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन माननीय पंचायती राजमंत्री के स्तर से लिया जा चुका है और **अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है ।**

अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है।

पुलिस विभाग

एफ. 3(76)लोआस/2002

परिवादी श्री संजय सेठ ने यह परिवाद दिनांक 4.7.2004 को इस आशय का पेश किया कि वह दिनांक 26.6.2002 को अपना माल ट्रक संख्या आरजे-19 जी 7235 के द्वारा भिवाड़ी ले जा रहा था जिसके साथ बिल नम्बर 643 बिल्टी संख्या 36 तथा तहसीलदार द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र भी था, परन्तु इसके बावजूद पुलिस थाना, लाखेरी के थानाधिकारी श्री हीरा लाल सैनी ने उसके **ट्रक को रूकवाकर कागजात दिखाने के लिये कहा, जो दिखाने के बाद 10,000 रूपये की मांग की ।** परिवादी द्वारा रूपये देने से इंकार कर दिये जाने पर उसके साथ मारपीट की गई व धारा 379 आईपीसी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी, **उसे 12 घण्टे तक थाने में बंद रखा,** गर्मी से उसकी तबीयत खराब होने लगी तो उसने पुलिस को 10 हजार रूपये देना उचित समझा व 200 रूपये खाने व ठण्डे वगैरह के लिये अलग से दे दिये । उसे इस बाबत शिकायत न करने की धमकी भी दी गई। परिवादी ने इस संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना, लाखेरी के श्री हीरा लाल सैनी, ए.एस.आई. श्री राजेन्द्र सिंह एवं हैड कांस्टेबल श्री हंसराज चौधरी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की ।

परिवाद के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, बून्दी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया** । तथ्यात्मक प्रतिवेदन में परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप का खण्डन किया गया जिस पर परिवादी द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 28.5.2003 को प्रारंभिक जांच आरंभ की गई ।

इस प्रकार प्रारम्भिक जाँच के दौरान अभिलेख पर आई की साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि **परिवादी संजय सेठ राजस्व अधिकारियों द्वारा अनुमति दिये जाने के उपरान्त समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये गजट नोटिफिकेशन के अनुरूप अंग्रेजी बबूल की लकड़ी को कटवाकर कोयले बनाने का व्यापार करता था।** दिनांक 26.06.2002 को जब वह ट्रक संख्या RJ-19 G 7235 को कोयले से भरकर वह ले जा रहा था तो पुलिस थाना, लाखेरी के थानाधिकारी **श्री हीरालाल सैनी एवं हंसराज चौधरी, हैड-कांस्टेबल द्वारा उनके ट्रक को रोककर पैसे की मांग की और उनके द्वारा पैसे नहीं देने पर परिवादी व उसके ड्राईवर श्री मौहम्मद सब्बीर को सारी रात हवालात में बन्द रखा** तथा अगली सुबह दस हजार रूपये व 200 रूपये नाश्ते व ठण्डे वगैरह के लिए लेकर छोडा, जिसकी शिकायत परिवादी ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को की।

अतः दोषी लोकसेवकगण सर्वश्री हीरालाल सैनी, थानाधिकारी एवं श्री हंसराज चौधरी, हैड कांस्टेबिल, पुलिस थाना लाखेरी के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत उनके सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः 3(76)लोआस/2002/6401 दिनांक 30.11.2004 के साथ जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर **यह अनुशंसा की गई कि उक्त दोनों लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से तीन माह की अवधि में इस सचिवालय को अवगत कराया जावे ।**

उक्त अनुशंसा की पालना में गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांकः प.21(26)गृह-1/04 दिनांक 18.12.2004 के अनुसार महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को उक्त लोकसेवकगण के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दे दिये गये हैं । इसके पश्चात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस सतर्कता, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक. 3(76)लोआस/2002/2974 दिनांक 1.3.2006 द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में सर्वश्री हीरालाल, उ.नि. व हंसराज, हैड कानि. के विरूद्ध नियम 16 सीसीए के अन्तर्गत अरोप पत्र प्रसारित कर आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला बूँदी से करवाई गई । जांच अधिकारी द्वारा आरोपित लोकसेवकों पर लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने पर आदेश क्रमांकः 6127-30 दिनांक 23.12.2005 द्वारा उक्त दोनों लोकसेवकों को दोषमुक्त किया गया । इस पर दिनांक 30. 5.2007 को उक्त प्रकरण को समाप्त किया गया।

अनुशंसा के प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण
(1.5.2007 से 31.3.2008)

राजस्व विभाग

एफ.11(39)लोआस/2000

परिवादी श्री पका राम पुत्र श्री जीवाराम चौधरी व श्री खीमाराम पुत्र श्री मानाराम जी चौधरी, निवासी तहसील बाली, जिला पाली के द्वारा एक शिकायत इस सचिवालय में इस आशय की गई कि उनकी पुश्तैनी खातेदारी की कृष भूमि खसरा नं. 2439, 2441, 2446, 2447, 2448 ग्राम बाली, तहसील बाली, जिला पाली में स्थित है जिसमें से खसरा नं. 2441 की भूमि नगरपालिका, बाली की आबादी भूमि के पास स्थित है जिसकी कीमत लाखों रूपये की है । इस **भूमि को तत्कालीन तहसीलदार, बाली श्री शिवदत्त गौड़ व पटवारी (भू-अभिलेख) श्री जगदीश्वर दयाल वैष्णव कौड़ियों के भाव खरीदना चाहते थे।** इस हेतु उन्होंने प्रार्थीगण पर अनुचित रूप से दबाव भी डाला, परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा खसरा नं. 2441 की भूमि विक्रय नहीं करने पर तहसीलदार श्री शिवदत्त गौड़ व पटवारी श्री जगदीश्वर दयाल वैष्णव उन्हें तंग व परेशान करने लगे ।

दिनांक 29.11.1997 को पटवारी हलका श्री जगदीश्वर दयाल वैष्णव मौके पर आया और बिना किसी जांच के उसने एक फर्द मौका तरीर इस आशय की तैयार की कि प्रार्थीगण के द्वारा रास्ते की भूमि खसरा नं. 2470 एक नीम व दो अंग्रेजी बबूल के वृक्षों को काट कर चोरी कर लिया गया है । उसने इस आशय की रिपोर्ट दिनांक 29.11.1997 को तहसीलदार, बाली को पेश की जिस पर उसी दिन तहसीलदार, बाली ने भी बिना किसी जांच-पड़ताल के प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना, बाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया जिस पर पुलिस थाना, बाली ने मुकदमा संख्या 312/1997 अन्तर्गत धारा 379 आई.पी.सी. दर्ज करके तफ्तीश प्रारंभ करदी जबकि विवादित वृक्ष खसरा नं. 2446 की भूमि में थे जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है । इसकी पैमाइश के लिये प्रार्थीगण ने तहसीलदार, बाली को निवेदन किया, परन्तु उन्होंने पैमाइश कराने का कष्ट नहीं किया क्योंकि वह प्रार्थीगण को हवालात में देखना चाहते थे ।

तत्पश्चात् पुलिस थाना, बाली ने बाद अनुसंधान दिनांक 10.12.1997 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली के न्यायालय में प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 379 आई.पी.सी. के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया ।

दिनांक 12.12.1997 को उन्होंने पुनः एक प्रार्थना पत्र पैमाइश हेतु उपखण्ड अधिकारी, बाली के समक्ष पेश किया जिन्होंने श्री रतन लाल, भू-अभिलेख निरीक्षक को पैमाइश हेतु भिजवाया, परन्तु वह भी टालमटोल करता रहा । तत्पश्चात् दिनांक 23.2.1998 को श्री

रतन लाल, भू-अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर जांच की और पेड़ों को प्रार्थीगण की खातेदारी में माना, परन्तु उसने इस आशय की रिपोर्ट पेश नहीं की और कहा कि रिपोर्ट देने पर पटवारी निलम्बित हो जायेगा । इस प्रकार श्री रतन लाल, भू-अभिलेख निरीक्षक दिनांक 23.2.1998 की जांच रिपोर्ट को दिनांक 23.2.1999 तक पेश नहीं कर प्रार्थीगण को तंग व परेशान करता रहा । उसने तहसीलदार, बाली के प्रभाव/दबाव में आकर रिपोर्ट पेश नहीं की ।

श्री रतन लाल, भू-अभिलेख निरीक्षक के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने उसकी एक प्रति अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली के न्यायालय में भी पेश की जिस पर न्यायालय ने प्रार्थीगण को दिनांक 30.3.1999 को धारा 379 आई.पी.सी. के आरोप से डिस्चार्ज कर दिया ।

इस प्रकार श्री जगदीश्वर दयाल वैष्णव, पटवारी, श्री रतन लाल सोलंकी, भू-अभिलेख निरीक्षक तथा श्री शिवदत्त गौड़, तहसीलदार ने उन्हें भारी मानसिक व आर्थिक नुकसान पहुंचाया जिससे उनकी समाज में इज्जत खराब हो गई जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है । अतः इस मामल में विस्तृत जांच करके दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे ।

इस परिवाद में प्रारंभिक जांच की गई जिसमें आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या आरोप प्रमाणित होने से लोकसेवकगण श्री शिवदत्त गौड़, तत्कालीन तहसीलदार, श्री जगदीश्वर दयाल वैष्णव, पटवारी हलका, तहसील बाली जिला पाली एवं श्री रतन लाल सोलंकी, तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, बाली के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया गया ।

अन्वेषण के दौरान लोकसेवकगण को अपना जवाब/प्रतिवाद प्रस्तुत करने तथा से परिवाद की प्रति भेज कर स्पष्टीकरण/जवाब मांगा गया । उन्हें अपने बचाव में प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया ।

अन्वेषणोपरान्त लोकसेवकगण श्री जगदीश्वर दयाल वैष्णव, तत्कालीन पटवारी एवं श्री शिवदत्त गौड़, तत्कालीन तहसीलदार, बाली, जिला पाली के विरूद्ध यह आरोप सिद्ध किये जाने योग्य पाया गया कि वे परिवादीगण की भूमि खसरा नं. 2441 को क्रय करना चाहते थे जिसके लिये परिवादीगण द्वारा मना करने पर इन लोकसेवकगण ने परिवादरीगण पर अनुचित रूप से दबाव डालने के लिये उनके विरूद्ध सिवायचक भूमि से पेड़ काटने की झूॅठी रिपोर्ट लोकसेवक श्री जगदीश्वर दयाल वैष्णव ने तैयार की जिसके आधार पर बिना कोई पूर्व में प्रारंभिक जांच कराये ही श्री शिवदत्त गौड़ ने परिवादीगण के विरूद्ध पुलिस थाना, बाली में मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश दिया ।

पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर परिवादीगण को धारा 379 आई.पी.सी. के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाकर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। पुनः पैमाइश कराये जाने पर काटे गये पेड़ परिवादीगण की आराजी भूमि में पाये जाने पर उन्हें न्यायालय ने अपने आदेश प्रदर्श–ए–5 के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया । लोकसेवकगण के इस कृत्य से परिवादीगण को न केवल समाज में अपमानित होना पड़ा बल्कि उन्हें मानसिक क्षति भी पहुंची जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं है । इस प्रकार इन दोनों लोकसेवकगण ने व्यक्तिगत हित की प्राप्ति के लिये एवं परीवादीगण को अनुचित अपहानि एवं कष्ट पहुंचाने के लिये लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है ।

अतः लोकसेवक श्री शिवदत्त गौड़, तत्कालीन तहसीलदार, बाली, जिला पाली एवं श्री जगदीश्वर दयाल वैष्णव, तत्कालीन पटवारी (भू–अभिलेख), तहसील, बाली, जिला पाली के सक्षम प्राधिकारी क्रमशः माननीय राजस्व मंत्री, राजस्थान सरकार एवं शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को **दिनांक 14.6.2007 को उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अन्तर्गत राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से तीन** माह की अवधि में इस सचिवालय को सूचित करने की अनुशंसा की गई ।

अनुशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।

सिंचाई विभाग

एफ. 23(19)लोआस/2000

परिवादी मोहम्मद अली, मेला ग्राउण्ड, गोपाल कॉलोनी, बारां ने यह परिवाद इस इस आशय का पेश किया कि सिंचाई खण्ड, बारां में कार्यरत **श्री मदनलाल मीणा, वरिष्ठ लिपिक एक भ्रष्ट एवं फर्जी कर्मचारी है ।** उसके विरूद्ध नौ प्रकार की संगीन जांचे चल रही है इसके उपरान्त भी उसे पदोन्नत किया गया है जो एक गंभीर मामला है। परिवादी ने अपने परिवाद में श्री मदनलाल मीणा, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध निम्नांकित आरोप लगाये है:-

1. जन्मतिथि में बदलाव कर नौकरी प्राप्त की है ।

2. अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर व रिकार्ड में हेराफेरी की, जिसकी जांच विभाग के द्वारा की गई और जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में नियम 16 के तहत कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की ।

3. ब्लॉक वर्ष 80–82 व 82–84 में दो बार समर्पित अवकाश का भुगतान प्राप्त किया।

4. वाउचरों में हेराफेरी करके अवैध रूप से राशि हड़प करली ।

5. फर्जी यात्रा बिलों के आधार पर राशि प्राप्त की, जिसकी भी शिकायत सहायक अभियन्ता को की गई थी तो उन्होंने श्री मीणा के विरूद्ध आरोप पत्र बनाकर नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुशंसा की, परन्तु इस मामले में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

6. अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करना । इसकी शिकायत भी श्री के0एल0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता ने लिखित में की थी इस पर जांच अधिकारी ने के द्वारा जांच कर श्री मीणा के विरूद्ध नियम 16 के तहत चार्जशीट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

7. स्टोर में रहकर स्टोर का सामान गायब किया गया ।

8. बिना–पढ़े लिखे कर्मचारियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनके जीपीएफ ऋण की राशि उठा ली और कई कर्मचारियों को कम राशि का भुगतान किया जिसकी शिकायत कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर, बारां को की, जिस पर जिला कलेक्टर, बारां के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बारां व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को जांच हेतु निर्देशित किया गया । परन्तु अभी तक श्री मीणा के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई ।

परिवादी का यह भी आरोप है कि श्री मदनलाल के विरूद्ध उपरोक्त शिकायत विचाराधीन होने एवं नियम 16 के तहत जांच विचाराधीन होते हुए भी उसे तोहफे के तौर पर विभाग ने कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत कर सम्मानित किया गया है। अतः इस मामले में प्रभावी जांच की जाकर श्री मदनलाल मीणा को निलम्बित किया जावे एवं आरोप सही पाये जाने पर उसे सेवा से पृथक किया जावे और राजकीय राशि वसूल की जावे।

परिवाद में प्रारंभिक जांच की गई । प्रारंभिक जांच के दौरान मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई, जिस पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग, कोटा ने अपने पत्र क्रमांक:अमुअ/सिं/डी.ई.41/87/8849 दिनांक 15.6.2001 के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता एवं प्रावैधिक सहायक, सिंचाई संभाग कोटा से **जांच करवाकर टिप्पणी प्रस्तुत की जिसमें लोकसेवक के विरूद्ध लगाये गये अधिकांश आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया।** यह भी अवगत कराया कि लोकसेवक के आचरण को संदिग्ध मानते हुए राजस्थान सेवा नियम 244(2) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर को अनुशंसा की गई थी, किन्तु आन्तरिक स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रकरण को

अनिवार्य सेवा निवृति योग्य नहीं मानने पर, आदेश **दिनांक 16.6.2003 द्वारा श्री मदनलाल मीणा को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दंड से दंडित किया गया ।**

उक्त दण्डादेश से स्पष्ट हुआ कि श्री मदनलाल मीणा को केवल सेवा पुस्तिका खो जाने में लापरवाही के कारण एवं समर्पित अवकाशों हेतु दुबारा आवेदन कर, भुगतान प्राप्त करने के संबंध में ही उक्त आदेश से दंडित किया गया है, जबकि **उसके विरूद्ध अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर व रिकार्ड में हेरा-फेरी कर सबूत नष्ट करना, वाउचरों में हेरा-फेरी कर राशि हड़प करना, स्टोर में रहकर स्टोर का सामान गायब करना आदि के आरोप भी प्रमाणित पाये गये थे ।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2005)SCC पृष्ठ संख्या-554 पर दिये गये न्यायिक निर्णय स्टेट ऑफ एम.पी. बनाम सलीम ऊर्फ चमरू व अन्य के मामले में निम्न सिद्धान्त प्रतिपाद्धित किये है जो निम्नांकित है:-

> *B. Criminal Trial - Sentence - Generally - Imposition of "appropriate sentence"- Emphasising need of, object of law as well as duty and role of courts in this regard, stated- Awarding inadequate sentence- Effect of, on justice system and society, explained- Object of sentence being to protect society and deter the criminal, social impact of the crime and effect of sentence on social order are relevant considerations- Court must also keep in view rights of victim of crime and society at large- Sentence should reflect conscience of society- Imposition of meagre sentences on account of lapse of time not permissible- Penology.*

यद्यपि यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक आपराधिक प्रकरण में पारित किया गया था, परन्तु इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ के द्वारा जो दंड के संबंध में आदेश पारित किया गया है वह इस प्रकरण पर पूरी तरह लागू होते है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस निर्णय में यह कहा गया है कि किये जाने वाले अपराध को ध्यान में रखते हुए उसे रोकना आवश्यक है जिससे समाज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

चूँकि श्री मदनलाल मीणा को उसके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के अनुपास में पर्याप्त दण्ड से दण्डित नहीं किया गया, अतः लोकायुक्त श्री मदन लाल मीणा तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, सिंचाई उपखण्ड, भंवरगढ़, जिला बारां के सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र **दिनांक 14.6.2007 द्वारा यह अनुशंसा की गई कि वे उसके विरूद्ध गंभीर प्रवृति के आरोप प्रमाणति पाये जाने के कारण एवं**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा (2005)SCC पृष्ठ संख्या-554 स्टेट ऑफ एम.पी. बनाम सलीम ऊर्फ चमरू व अन्य के मामले में पारित किये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए उक्त दोषी लोकसेवक श्री मदनलाल मीणा, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग कोटा के आदेश कमांक: अमुअ/सिं/डी.ई./41/87/9719-24 दिनांक 16.6.2003 को रिव्यू करके उचित दंडादेश पारित कर, लिये गये निर्णय/दंडादेश से, इस सचिवालय को अवगत करावे ।

अनुशंसा की पालना में की गई या की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

देवस्थान विभाग

एफ. 42(5)लोआस/1999

डॉ0 कृष्णदास दादूपंथी ने यह परिवाद मूलत: श्रीमती इन्दिरा मायाराम, मंत्री, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, श्री बनवारीलाल शर्मा, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर व उनके लिपिक श्री हरिओम शर्मा के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि श्री दादू दयाल महासभा सार्वजनिक प्रन्यास 675 जयपुर में स्थित है । इसका प्रधान कार्यालय श्री दादू महाविद्यालय, मोती डूँगरी, जयपुर में स्थित है । इस प्रन्यास की भारत में जगह-जगह सम्पत्तियां हैं और परिवादी इस प्रन्यास का सदस्य व मंत्री भी है ।

परिवादी ने परिवाद में जो शिकायत अंकित की है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

1. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर को दिनांक 10.9.98 को दादू प्रन्यास की सम्पदा की सूची, दिनांक 22.2.99 को श्री गोपालदास के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.98 मय आदेशिका, महासभा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संबंधित आदेशिका व प्रपत्र संख्या-1 रजिस्टर की प्रविष्टियां, पूर्व मंत्री, दादू प्रन्यास श्री हनुमानदास द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट एवं पत्रावली संख्या-32/83 की प्रमाणित प्रतिलिपियां देने हेतु प्रार्थना पत्र दिये गये, परन्तु प्रार्थना पत्र दिनांक 22.2.99 द्वारा मांगी गई प्रतिलिपियों में से केवल दो दस्तावेजों की ही प्रतिलिपियां दी गई, प्रपत्र संख्या-1 रजिस्टर की प्रविष्टियों की प्रतिलिपि नहीं दी गई, जिसके लिये श्री बनवारी लाल शर्मा, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर एवं उनके अधीन कार्यरत रीडर श्री हरिओम शर्मा दोषी है ।

2. यह कि श्री दादू मंदिर, पिलानी, श्री दादू मंदिर, मंडेला एवं दादू मंदिर, दादाबाड़ी कनखल (हरिद्वार) की सम्पत्तियों को प्रन्यास सम्पादा रजिस्टर नं. 4 में दर्ज करने के आदेश सहायक आयुक्त द्वारा दिनांक 26.6.98 को दिये, जिसके अनुसार प्रविष्टियां प्रपत्र संख्या- 4 रजिस्टर में की गई ।

इसके पश्चात् सन् 1996 में दादू मंदिर, झांझूड़ी व मांझूड़ी, झोटवाड़ा, जयपुर प्रन्यास को प्राप्त हुआ । दिनांक 28.4.1998 को सहायक आयुक्त, जयपुर ने इन सम्पत्तियों को प्रपत्र संख्या 4 व प्रपत्र सं.1 के कॉलम 12 में दर्ज करने के आदेश दिये जिसके अनुसार प्रपत्र संख्या 4 में इसका इन्द्राज कर दिया गया, परन्तु प्रपत्र संख्या 1 में इसका इन्द्राज नहीं किया गया । इन्द्राज करने का दायित्व सहायक आयुक्त का था ।

3. यह कि महन्त हरिराम जी गोपालदास दादू प्रन्यास की नरेना स्थित सम्पदा को येनकेन हडपना चाहते थे । अत: श्री बनवारी लाल शर्मा, सहायक आयुक्त ने आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के निर्णय दिनांक 29.8.83 की पालना में नरेना की सम्पत्ति की प्रविष्ठि नहीं कर निर्णय के विपरीत प्रविष्ठि की रजिस्टर प्रपत्र-1 में की जिससे महन्त हरिराम जी गोपालदास का हित हुआ किन्तु दादू प्रन्यास को क्षति हुई। श्री गोपाल दास को रजिस्टर प्रपत्र-1 की प्रति तुरन्त ही देदी और परिवादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.2.1999 को अस्वीकार कर दिया।

बाद में दादू प्रन्यास के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.2.1999 पर सहायक आयुक्त ने रजिस्टर प्रपत्र-1 में किये गये संशोधन इन्द्राज को अग्रिम आदेश तक प्रभावशून्य घोषित कर दिया जिससे यह सम्पत्ति हड़पने का महन्त हरिराम जी गोपालदास का षडयंत्र स्थगित हो गया।

4. यह कि इसके बाद महन्त हरिराम जी गोपालदास ने नरेना की सम्पत्ति हड़ने की नीयत से श्री बनवारी लाल शर्मा, सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर व उनके लिपिक श्री हरिऔम शर्मा तथा श्रीमती इन्दिरा मायाराम, मंत्री देवस्थान विभाग को षडयंत्र में शामिल कर लिया। जब राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.9.1999 के अनुसार महासभा की महासमिति, सभापति, कार्यसमिति, श्री दादू महाविद्यालय की संचालन समिति के लिये चुनाव प्रारंभ हो गये तब श्रीमती इंदिरा मायाराम ने इन चलते चुनावों को रोकने के आदेश दे दिये, परन्तु चुनाव सम्पन्न हो गये और नई कार्यसमिति ने दिनांक 1.11.1999 को कार्यभार संभाल लिया ।

इसके बाद गैर कानूनी ढंग से दिनांक 1.11.99 को पिछली तारीख 30.10.99 में एक प्रबन्ध समिति गठित की । नोटिफिकेशन दिनांक 2.11.1999 (पृ. 268/सी पार्ट-3) को जारी किया गया जिसके द्वारा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 79 व 53 (2) के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का गठन कर आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को अध्यक्ष, सहायक आयुक्त, ट्रस्ट, देवस्थान विभाग, जयपुर को सदस्य एवं सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर को सदस्य बनाया गया । समिति को श्री दादूदयाल महासभा के विद्यमान विधान व नियमों के अनुसार अधिकतम तीन माह की अवधि में

महा सभा के चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली से सम्पन्न कराने का कार्य सौंपा गया।

परिवादी डॉ0 कृष्ण दास दादूपंथी की शिकायत पर आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया । आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ने अपने तथ्यात्मक प्रतिवेदन क्रमांकः एफ.11(1)संस्था/देव/2000/12248 दिनांक 26.12.2000 के द्वारा इस सचिवालय को बताया कि उपरोक्त प्रकरण की जांच उपायुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर से कराई गई । माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 3.3.2000 के द्वारा राजस्थान राजपत्र के 2 नवम्बर, 1999 के अंक में प्रकाशित दादूदयाल महासभा, जयपुर की प्रबन्ध समिति के कार्य करने पर रोक लगा दी ।

आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ने अपनी रिपोर्ट के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.3.2000 की फोटो प्रति को भी संलग्न किया है। इसके अलावा आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ने इस प्रकरण में उपायुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी की प्रति को भी संलग्न किया है ।

परिवादी डॉ0 कृष्णदास दादूपंथी के द्वारा अपनी शिकायत के क्रम में एक अन्य शिकायत भी दिनांक 24.5.2000 को पेश की गई । तत्पश्चात् परिवादी डॉ0 कृष्णदास दादूपंथी ने श्री बनवारी लाल शर्मा, सहायक आयुक्त, ट्रस्ट के सेवानिवृत्त हो जाने पर उनके स्थान पर नियुक्त किये जाने वाले श्री शिव भगवान राजपुरोहित, सहायक आयुक्त के विरूद्ध एक शिकायत प्रस्तुत की । इस शिकायत में भी परिवादी डॉ0 कृष्णदास दादूपंथी ने शिव भगवान राजपुरोहित के द्वारा जानबूझकर प्रतिलिपि नहीं देने का आरोप लगाया है। यह भी कहा है कि श्री बनवारी लाल शर्मा के स्थान पर श्री शिव भगवान राजपुरोहित के पद पर आने से भी देवस्थान विभाग की कार्यवाही में कोई अन्तर नहीं आया है ।

श्री शिव भगवान राजपुरोहित श्री महन्त हरिरामजी गोपालदास स्वामी नरेना, हरिनारायण स्वामी की इच्छा से श्रीमती इंदिरा मायाराम माननीय देवस्थान मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा बीकानेर से जयपुर स्थानान्तरण करवाकर लाये है जो भी श्री बनवारी लाल शर्मा के द्वारा किये गये षडयंत्र में शामिल होकर श्रीदादू मंदिर नरेना अन्य सम्पत्तियों को हड़प करने के षड़यंत्र में सम्मिलित है इसलिए श्री शिवभगवान राजपुरोहित के विरूद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जावे।

शिकायत नं. 2 के संबंध में यह अंकित किया है कि श्री दादू मंदिर पिलानी, श्री दादू मंदिर मण्डेला एवं श्री दादू मंदिर दादाबाड़ी कनखला (हरिद्वार) की सम्पत्तियां, जो प्रन्यास के पंजीयन के बाद महासभा को प्राप्त होनी थी उन सम्पत्तियों को प्रन्यास सम्पदा रजिस्टर नं04 में दर्ज करने के आदेश सहायक आयुक्त के द्वारा दिनांक 26.5.98 को दिये गये, इसकी प्रविष्टियां प्रपत्र संख्या-4 में कर दी गई ।

इसके पश्चात् सन् 1996 में दादू मंदिर झांझुड़ी व मांझुड़ी झोटवाड़ा, जयपुर प्रन्यास को प्राप्त हुई । इन सम्पत्तियों को भी दर्ज करने के आदेश दिनांक 28.4.98 को सहायक आयुक्त, जयपुर के द्वारा दिये गये है इसका इन्द्राज प्रपत्र संख्या-4 में कर दिया गया, परन्तु प्रपत्र संख्या-1 में इन्द्राज नहीं किया गया, जबकि इन सम्पत्तियों की प्रविष्टियों का दायित्व सहायक आयुक्त का ही होता है।

शिकायत नं. 3 के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 29.8.83 (पृष्ठ संख्या-51-55/सी) के द्वारा दादूदयाल महासभा की सम्पत्ति नहीं मानते हुए, उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त करने के आदेश दिये थे जिसकी पालना में निरस्त करने का दायित्व सहायक आयुक्त का था जो उनके द्वारा नहीं किया गया । इस निर्णय के विरूद्ध एक दावा न्यायाधीश, सांभर के यहां चल रहा है । इसी संबंध में एक याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी दायर की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल दावे के विचाराधीन रहते हुए किसी भी किस्म का आदेश देने से इंकार कर दिया ।

शिकायत नं04 के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी में प्रबन्ध समिति के गठन के तथ्य को स्वीकार किया है और यह अंकित किया है कि चुनाव रोकने की अधिसूचना पृष्ठ-78/सी के विरूद्ध गजानन्द स्वामी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट याचिका संख्या-5559/99 दायकी की है ।

परिवादी के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन पर आपत्तियां दिनांक 21.6.2001 को प्रस्तुत करने के उपरान्त दिनांक 30.10.2002 को इस मामले में अन्वेषण करने के आदेश प्रदान किये ।

अन्वेषण के दौरान लोकसेवकगण श्री हरिओश शर्मा, लिपिक, देवस्थान विभाग, जयपुर एवं श्री शिवभागवान राजपुरोहित, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर को अपना स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं अपने बचाव में अन्य दस्तावेजी व मौखिक प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया ।

अन्वेषण के दौरान् आई दस्तावेजी एवं प्रलेखीय साक्ष्य से **लोकसेवक श्री बनवारी लाल, तत्कालीन, सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर व श्री हरिओम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध जानबूझ कर परिवादी को वांछित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाकर अकमर्ण्यता को दोषी होने, जवाबदेही से बचने के लिये पिछली तिथियों में नोटिंग करने तथा लोकसेवक श्री शिवभगवान राजपुरोहित द्वारा नियमविरूद्ध तरीके से प्रन्यास के चुनाव में वित्तीय अनियमिताएं बरतने व यह तथ्य जानकारी में आने के उपरान्त भी कि दिनांक 22.3.2000 को महासभा के मैनेजर के पद से हटा दिये जाने के उपरान्त भी श्री हनुमानदास से बतौर मैनेजर ट्रस्ट का कार्य लेकर पद का दुरूपयोग करने लेने का दोषी पाया गया ।**

इस पर श्री बनवारी लाल, तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान एवं श्री शिवभगवान राजपुरोहित, तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्यमंत्री, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं श्री हरिओम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक के सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र दिनांक 20.06.2007 के द्वारा **राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई ।**

अनुशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।

अध्याय-4

अनुतोष के प्रकरण
(1.4.2004 से 26.11.2004)

दिनांक 1.4.2004 से 26.11.2004 की कालावधि में 35 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया जिनमें से कुछ प्रकरणों का विवरण यहां दिया जा रहा है ।

शिक्षा विभाग

एफ. 5(33)लोआस/2003

श्री राजेन्द्र सिंह, परिवादी ने यह परिवाद दिनांक 24.7.2003 को इस आशय का पेश किया कि उसके पिता श्री नरहरि दान आढा का देहान्त दिनांक 11.9.1991 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत रहते सिरोही में हो गया था, उसे अभी तक मृतक के आश्रित होने के नाते अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है ।

इस संबंध में उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर से पत्र दिनांक 4.8.2003 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके परिप्रेक्ष्य में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 29.4.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादी को आदेश दिनांक 26.3.2004 द्वारा नियुक्ती प्रदान कर पदस्थापित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

एफ. 5(73)लोआस/2003

श्री गिरीराज पुरोहित ने यह परिवाद दिनांक 19.12.03 को इस आशय का पेश किया कि उसे श्री रघुनाथ सीनियर माध्यमिक विद्यालय, रतनगढ़, चूरू द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिये सेवा से निकाल दिया गया । अत: उसे वापिस सेवा में लेने के लिये निर्देश जारी किया जावे।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्र दिनांक 12.1.2004 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 16.6.2004 द्वारा सूचित किया कि संस्था ने परिवादी को सेवा में वापिस ले लिया है और उसने दिनांक 23.3.2004 को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

एफ. 5(79)लोआस/2003

श्री अनिल कुमार जांगिड़ ने यह परिवाद दिनांक 24.12.2003 को इस आशय का पेश किया कि उसे श्री रघुनाथ सीनियर माध्यमिक विद्यालय, रतनगढ़, चूरू द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिये सेवा से निकाल दिया गया । अत: उसे वापिस सेवा में लेने के लिये निर्देश जारी किया जावे ।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्र दिनांक 12.1.2004 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 16.6.2004 द्वारा सूचित किया कि संस्था ने परिवादी को सेवा में वापिस ले लिया है और उसने दिनांक 23.3.2004 को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

एफ. 5(87)लोआस/2003

श्रीमती मनोरमा देवी व्यास, सेवानिवृत्त अध्यापिका निवासी कपासन, जिला चितौड़गढ़ ने यह परिवाद दिनांक 16.1.2004 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह राज्य सेवा से दिनांक 31.10.1994 सेवानिवृत्त हुई थी । उसे 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ तो दिया गया, परन्तु उसे 15 वर्षीय एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्र दिनांक 30.1.2004 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उनके पत्र दिनांक 10.3.2004 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादियाको आदेश दिनांक 7.1.2004 द्वारा चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है जिसके तहत् देय राशि रूपये 8,692/- का भुगतान दिनांक 24.1.2004 को कर दिया गया है ।

एफ. 5(91)लोआस/2003

श्रीमती सौमोती देवी ने यह परिवाद दिनांक 28.1.2004 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति श्री खचेराराम की राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय, डीग, भरतपुर में अध्यापक के पद पर कार्यरत रहते दिनांक 1.10.2003 को मृत्यु हो गई, परन्तु इतना समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उसे न तो पेंशन, ग्रेच्यूटी, जीपीएफ एवं राज्य बीमा पॉलिका का भुगतान नहीं किया गया है और न ही मृतक के आश्रित होने के नाते उसके पुत्र को नियुक्ति दी गई है ।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्र दिनांक 6.2.2004 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 11.3.2004 द्वारा सूचित किया कि स्वर्गीय श्री खचेराराम के समस्त बकाया का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 12.4.2004 द्वारा यह भी सूचित किया कि मृतक के पुत्र भगवत

प्रसाद को नियुक्ति आदेश दिनांक 26.3.2004 को अनुमोदित कर पदस्थापन हेतु उप निदेशक, माध्यमिक, जयपुर को लिखा जा चुका है ।

एफ. 5(22)लोआस/2004

श्री बंगाली बाबू शर्मा यह परिवाद दिनांक 15.5.2004 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह राज्य सेवा से दिनांक 31.8.2003 को प्रधानाध्यापक के पद से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिकरौदा, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से सेवानिवृत्त हुए थे, परन्तु उसके पेंशन प्रकरण का निपटारा नहीं किया जा रहा है ।

इस संबंध में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्र दिनांक 25.6.2004 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, धौलपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.7.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण पेंशन निदेशालय द्वारा कर दिया गया है और श्री शर्मा को पीपीओ नं. 164120 एवं जीपीओ नं. 246445 आवंटित किया जाकर पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।

इस प्रकार परिवादी को एक वर्ष से अधिक समय से इस सचिवालय के हस्तक्षेप से अल्प समय में ही अनुतोष प्रदान किया गया ।

कॉलेज शिक्षा

एफ. 6(9)लोआस/2003

श्री किशन लाल सोनी, वरिष्ठ व्याख्याता ने यह परिवाद दिनांक 8.10.2003 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे श्री नेहरू शारदा पीठ कॉलेज द्वारा माह अक्टूबर, 2002 से वेतन एवं यू.जी.सी. एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि अन्य सब को कर दिया गया है ।

इस संबंध में निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 15.10.2003 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी पत्राचार के बाद उन्होंने अपने पत्र दिनांक 15.5.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादी को बकाया वेतन एवं यू.जी.सी. एरियर का भुगतान कर दिया गया है ।

एफ. 6(10)लोआस/2003

श्रीमती उषा जैन ने यह परिवाद दिनांक 15.10.2003 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि **वह राज्य सेवा से दिनांक 31.1.1994 को व्याख्याता (प्राणी शास्त्र) के पद से जी.के.गोवाणी**

राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी । उसके विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ, जयपुर ने डी.बी. याचिका सं. 714/1998 में पारित निर्णय दिनांक 30.4.2003 द्वारा समाप्त व अपास्त कर दिया था, परन्तु इसके बावजूद उसके सेवानिवृत्ति के आदेश में यह शर्त लगादी गई कि उसके विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी । अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसके विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करवाकर उसे पेंशन दिलवाई जावे ।

इस संबंध में निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उप शासन सचिव ने अपने **पत्र दिनांक 7.1.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादिया को विभागीय कार्यवाही जारी/प्रस्तावित न होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है और पेंशन प्रकरण शीघ्र निस्तारण करने हेतु निदेशालय को लिखा जा रहा है । तत्पश्चात् संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 26.7.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादिया को पीपीओ और जीपीओर जारी कर परिवाद का निस्तारण कर दिया गया है । इस प्रकार परिवादिया को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से अनुतोष प्रदान किया गया ।**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

एफ. 8(36)लोआस/2002

श्री सीताराम बोहरा, सेवानिवृत्त मेल नर्स-प्रथम, निवासी विद्याधर नगर, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 3.9.2002 को इस आशय का पेश किया कि उसकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति 3.11.1959 को हुई थी । जब वह प्रशिक्षण प्राप्त कर वापिस लौटे तो उन्हें दिनांक 14.4.1966 को पुलिस लाइन डिस्पेन्सरी, जयपुर में नियुक्त किया गया । वहां लक्ष्मणगढ़, सीकर से सेवाभिलेख नहीं आने के कारण उसकी नई सेवा पुस्तिका बना ली गई । वह ई.एस.आई. डिस्पेन्सरी नं. 9 से वर्ष 1994 में सेवानिवृत्त हो गया, **परन्तु उसकी सेवा 14.4.1966 से ही मानी जाकर पेंशन निर्धारित करदी गई जबकि उसकी सेवा 3.11.1959 से मानी जाकर पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए ।** परिवादी ने अपने कथन की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की ।

इस संबंध में निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 18.9.2002 द्वारा सर्वप्रथम तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । चूंकि मामला सेवापुस्तिका में पुराने रिकार्ड के अनुसार सेवा सत्यापन से सम्बन्धित था, इसलिये समय लगना स्वाभाविक था । परन्तु, अंतत: इस सचिवालय के द्वारा मामले का लगातार पीछे किये जाने के फलस्वरूप निदेशालय ने अपने पत्र दिनांक 11.8.2003 द्वारा सूचित किया कि परिवादी की सेवापुस्तिका में उसकी सेवाएं 3.11.1959 से सत्यापित करदी गई हैं । इसके बाद **परिवादी की पेंशन को संशोधित करवाने की कार्यवाही की गई और परिणामस्वरूप निदेशालय ने अपने**

पत्र दिनांक 21.8.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादी के पक्ष में संशोधित पीपीओ एवं जीपीओ आदि दिनांक 6.8.2004 को जारी कर दिये गये हैं ।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसकी विलुप्त करदी गई सेवाओं का पूरा लाभ दिलाया गया ।

एफ. 8(12)लोआस/2003

श्री मांगी लाल अग्रवाल, सेवानिवृत्त एम.पी.डब्ल्यू., निवासी फतेहनगर, राजस्थान ने यह परिवाद दिनांक 19.5.2003 को इस आशय का पेश किया कि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपखण्ड, वल्लभनगर से उसके बकाया यात्रा भत्ता बिल राशि रूपये 1734/- एवं चिकित्सा बिल राशि रूपये 5413/- का भुगतान कराया जावे, जो तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी नहीं किया जा रहा है ।

इस संबंध में निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 8.9.2003 द्वारा सर्वप्रथम तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया, कई स्मरण पत्र लिखे गये एवं अंततः निदेशक को व्यक्तिशः आहूत करना पड़ा । तब जाकर निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 5.6.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादी को उक्त बकाया राशियों का भुगतान कर दिया गया है और अब कोई राशि बकाया नहीं है ।

उक्त दोनों प्रकरणों को देखने से स्पष्ट है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय में कर्मचारियों के सेवाभिलेखों के सम्बन्ध में कोई ध्यान न देने की जैसी परम्परा सी बन गई है। यहां तक कि इस सचिवालय को चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु निदेशक को व्यक्तिशः आहूत करना पड़ा।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

एफ. 10(35)लोआस/2003

श्री गिरधारी सिंह राजपुरोहित, निवासी ग्राम बारवा, तहसील बाली, जिला पाली ने यह परिवाद दिनांक 3.11.2003 को इस आशय का पेश किया कि उसने दिनांक 3.8.1987 को कृषि कनेक्शन हेतु अपनी फाइल जमा करवाई थी जिस पर सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, निबाली द्वारा दिनांक 27.11.2002 को डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया जिसकी राशि परिवादी ने दिनांक 10.12.2002 को जमा करवादी, परन्तु उसे कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है ।

इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 28.1.2004 द्वारा सूचित

किया कि परिवादी को ट्रांसफार्मर उपलब्धता न होने के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका जो नवम्बर, 2003 में प्राप्त होने पर माह 3 दिसम्बर,2003 कनेक्शन जारी कर दिया गया है।

राजस्व विभाग

एफ. 11(296)लोआस/2002

श्री अमरचन्द पुत्र स्व. श्री बाबू लाल सैन, निवासी कुण्डा कस्बा, आमेर ने यह परिवाद दिनांक 23.1.2003 को इस आशय का पेश किया कि उसकी माताजी स्व. लीलादेवी का देहान्त श्री दिनेश चन्द गुप्ता, अतिरिक्त कलेक्टर, धौलपुर के कुण्ड में निर्माधीन मकान में हादसे में मृत्यु हो गई थी जिसके संबंध में न्यायालय एम.ए.सी.टी. ने अपने **निर्णय दिनांक 17.3.1989 को 40,000/- रूपये का अवार्ड पारित किया ।** क्षतिपूर्ति आयुक्त ने बाकीदार श्री दिनेश चन्द गुप्ता से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने हेतु दिनांक 16.7.2001 को पत्र लिखा, परन्तु डेढ वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पर भी उससे राशि वसूली नहीं जा रही है । माता एवं पिता दोनों का देहान्त हो जाने के कारण का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है ।

इस परिवाद में जिला कलेक्टर, धौलपुर को पत्र दिनांक 20.2.2003 द्वारा श्री दिनेश चन्द गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, धौलपुर से न्यायालय के निर्णय के अनुसार मुआवजे की राशि का परिवादी को भुगतान कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

इस सचिवालय एवं जिला कलेक्टर, धौलपुर के प्रयासों से श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 18.9.2003 रूपये 40,000 रूपये की राशि जी.ए. 55 की रसीद द्वारा जमा करा दिये गये जाने पर उसका डी.डी. न्यायालय आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, एन.बी.सी. फैक्ट्री के सामने, शांति नगर, जयपुर को पत्र दिनांक 19.9.2003 के द्वारा भिजवाया गया । इसके पश्चात् बकाया ब्याज राशि रूपये 53,568 पत्र दिनांक 7.10.2004 द्वारा प्रेषित की गई। इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादी को राहत दिलाई गई ।

एफ. 11(123)लोआस/2003

श्री शंकर लाल वर्मा वार्ड पंच नम्बर एक, निवासी कांसरडा, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर कयह शिकायत दिनांक 8.8.2003 को इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कांसरडा में स्थित गैर मुमकिन जोहड़ खसरा नं. 336, 412, 662, 274 पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण करके काश्त की जा रही है जिसकी शिकायत 16.7.2003 को तहसीलदार, श्रीमाधोपुर को पेश की गई थी, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही की गई ।

दिनांक 21.7.2003 को जिला कलेक्टर, सीकर को शिकायत की गई जिन्होंने तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, सीकर से पत्र दिनांक 27.8.2003 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 13.11.2003 एवं 11.3.2004 द्वारा सूचित किया कि अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 के तहत् कार्यवाही की गई एवं दिनांक 18.8.2003 को अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया । इस प्रकार परिवादी एवं आम जनता को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से राहत दिलवाई गई ।

एफ. 11(188)लोआस/2003

श्री अब्दुल हकीम पुत्र श्री अब्दुल गफूर एवं नूर जहां पत्नी अब्दुल हकीम निवासी केसरगंज जेल के पास, आबू रोड ने यह परिवाद दिनांक 13.10.2003 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उन्होंने 20 माह पूर्व संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन सम्पूर्ण कार्यवाही करवाकर पेश कर दिया था, परन्तु उन्हें अभी तक वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, सिरोही से पत्र दिनांक 29.10.2003 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने लम्बे समय के बाद पत्र दिनांक 3.2.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादीगण को दिनांक 20.1.2004 को संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन रूपये 300/- रूपये का भुगतान आदेश जारी कर पी.पी.ओ. नम्बर 650 दिनांक 29.1.2004 जारी किया जा चुका है एवं उपकोषाधिकारी, आबूरोड को भुगतान हेतु सूचित किया जा चुका है ।

एफ. 11(133)लोआस/2003

श्रीमती विमला देवी शंकर लाल भील निवासी वागरी मोहल्ला, आबकारी वार्ड नं.2, आबूरोड ने यह परिवाद दिनांक 31.10.2003 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे 19.8.2003 तक विधवा पेंशन प्राप्त हुई, उसके बाद मिलना बंद हो गई जो वापिस चालू करवाई जावे ।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, सिरोही से पत्र दिनांक 6.11.2003 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया एवं दो स्मरण पत्र जारी किये गये जिनके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 24.1.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादिया द्वारा उसके पुत्र की आयु 8 वर्ष के बजाय 18 वर्ष बता दिये जाने के कारण पेंशन 19.8.2003 तक ही स्वीकृत की गई थी । पुनः आयु का प्रमाण पेश करने पर कोषाधिकारी, सिरोही द्वारा संशोधित पी.पी.ओ. दिनांक 7.1.2004 से 6.1.2015 तक का जारी कर पेंशन स्वीकृत करदी गई है ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादिया को पुनः पेंशन दिलाई जा सकी।

एफ. 11(208)लोआस/2003

श्री मनीराम शर्मा, निवासी बस स्टेण्ड के पास, सरदार शहर, चूरू ने यह परिवाद दिनांक 2.12.2003 को इस आशय का पेश किया कि पटवारी श्री सोहन लाल जाखड़ द्वारा परिवादी की कृषि भूमि का आपराधिक षडयंत्र कर अपने रिश्तेदारों के नाम नामान्तरण करने बाबत उसने एक शिकायत दिनांक 28.1.2003 को जिला कलेक्टर, चूरू को की थी और वह दिनांक 29.10.2003 को स्वयं भी मिला, परन्तु जिला कलेक्टर ने कोई कार्यवाही की । अत: इस संबंध में जांच की जावे एवं दोषियों को दण्डित किया जावे ।

इस संबंध संभागीय आयुक्त, बीकानेर से पत्र दिनांक 28.2.2004 द्वारा द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 31.5.2004 द्वारा सूचित किया कि प्रकरण की जांच उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर से करवाई गई । **श्री सोहन लाल जाखड़, पटवारी के विरूद्ध प्राथमिक जांच के आधार पर राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही कर उसे आदेश दिनांक 3.9.2003 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।**

इस प्रकार परिवादी को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से समुचित अनुतोष दिलवाया गया ।

एफ. 11(227)लोआस/2003

परिवादी श्री केसाराम पुत्र अगराजी मेघवाल, मुकाम पोस्ट, रेवदर, तहसील देवर ने यह परिवाद दिनांक 24.1.2004 को इस आशय का पेश किया कि उसके पुत्र सेरेश कुमार ने मस्टरा रोल नं. 291769 एवं 293599 के द्वारा दो सप्ताह तक मजदूरी की, परन्तु उसे न तो गेहूं का कूपन दिया गया और न ही नकद भुगतान ही किया गया । इस संबंध में मुख्यमंत्री सहित सभी को लिख चुके हैं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, सिरोही से पत्र दिनांक 11.2.2004 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 29.4.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादी के पुत्र सुरेश कुमार को पूरक मस्टर रोल गोचर मेड़बन्दी कार्य रेवदर दिनांक 22.11.2002 से 30.11.2002 एवं 2.12.2002 से 10.12.2002 का कुल 920 रूपये का भुगतान डीडी दिनांक 25.3.2004 द्वारा कर दिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से उसकी अपेक्षा के अनुरूप अनुतोष प्रदान किया गया ।

वन विभाग

एफ. 15(6)लोआस/2003

परिवादिया श्रीमती प्रेम देवी ने मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित को नियुक्ति दिलाने बाबत यह परिवाद दिनांक 24.5.2003 को इस सचिवालय में प्रस्तुत किया जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 31.5.2003 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने सूचित किया कि परिवादिया को पारीवारिक पेंशन स्वीकृत करदी गई है तथा **मृतक के आश्रित श्री मोहन लाल सैनी को वनपाल के पद पर राज्य सेवामें अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार परिवादिया को समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 29.4.2004 को नस्तीबद्ध किया गया ।**

स्वायत्त शासन विभाग

एफ. 16(143)लोआस/2003

परिवादी श्री पवन कुमार पुत्र श्री सही राम निवासी वार्ड नं. 10, रावतसर, जिला हनुमानगढ़ ने दिनांक 10.10.2003 को परिवाद प्रस्तुत कर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रावतसर के विरूद्ध सावर्जनिक मार्ग पर किये गये अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नहीं हटवाये जाने का आरोप लगाया ।

इस संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग से पत्र दिनांक 19.11.2003 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 13.4.2004 द्वारा सूचित किया कि सुन्दर लाल सोनी द्वारा किये गये कब्जे को दिनांक 27.1.2004 को हटा दिया गया है ।

सिंचाई विभाग

एफ. 23(15)लोआस/2003

परिवादिया श्रीमती नौरती देवी भील ने एक परिवाद दिनांक 3.1.2004 को पेंशन स्वीकृत करने एवं राज्य सेवा में नियुक्ति दिलाने बाबत प्रेषित किया, जिस पर इस सचिवालय स्तर पर कार्यवाही की गई। मुख्य अभियंता बीसलपुर परियोजना एवं संस्थापन (अराजपत्रित) सिंचाई, राजस्थान, जयपुर ने ने अपने पत्र दिनांक 31.8.2004 द्वारा सूचित किया कि परिवादिया को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिए जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई संभाग, जोधपुर को लिखा जा चुका है। **परिवादिया ने एक पत्र दिनांक 12.10.2004 को प्रस्तुत कर यह अवगत कराया कि उसे नियुक्ति प्राप्त हो चुकी है और उसका कोई बकाया प्रकरण नहीं है ।**

कोष एवं लेखा विभाग

एफ. 35(30)लोआस/2002

परिवादी श्री बाबू लाल द्वारा यह परिवाद दिनांक 25.5.2002 को विकलांग पेंशन भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर इस सचिवालय स्तर पर कार्यवाही की गई। इस संबंध में कोषाधिकारी, सिरोही ने कार्यवाही कर इन्हें जनवरी, 2004 तक पेंशन राशि का भुगतान कर इस सचिवालय को अवगत कराया।

आयुर्वेद विभाग

एफ. 41(7)लोआस/2003

परिवादी श्री उमा शंकर गौतम ने 5 माह का वेतन दिलाये जाने हेतु दिनांक 11.9.2003 को यह परिवाद प्रेषित किया था, जिस पर इस सचिवालय स्तर पर कार्यवाही की गई। परिवाद के संबंध में निदेशक आयुर्वेद विभाग के पत्र दिनांक 17.3.2004 के अनुसार उनके द्वारा कार्यवाही कर **परिवादी को रूपये 99176/- का भुगतान कर दिया गया और माह दिसम्बर, 2003 से परिवादी को वेतन का भुगतान निरन्तर किया जा रहा है।**

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

एफ. 47(6)लोआस/2003

परिवादी श्री तुलसीराम खण्डेलवाल ने एक परिवाद दिनांक 16.7.2003 को जी.पी.एफ. खाते के अंतिम भुगतान दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर इस सचिवालय स्तर पर कार्यवाही की गई। निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग, राज. जयपुर ने **परिवादी को राशि रू. 1,22,962/- एवं रूपये 48,831/- का पूर्ण भुगतान कर इस सचिवालय को अवगत कराया।**

एफ. 47(19)लोआस/2002

परिवादी श्री भंवर लाल सैनी ने एक परिवाद दिनांक 18.2.2003 को जी.पी.एफ. एवं राज्य बीमा की अधूरी राशि दिलाने बाबत प्रस्तुत किया, जिस पर इस सचिवालय स्तर पर कार्यवाही की गई। निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग ने परिवादी को अवशेष राशि रू. 2549/- एवं 579/- का भुगतान कर इस सचिवालय को अवगत कराया।

अनुतोष के प्रकरण
(1.5.2007 से 31.3.2008)

दिनांक 1.5.2007 से 31.3.2008 की कालावधि में 138 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया जिनमें से कुछ प्रकरणों का विवरण यहां दिया जा रहा है ।

कृषि विभाग

एफ. 2(5)लोआस/2004

परिवादी श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री प्रकाश चन्द शर्मा निवासी ए–302, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर ने यह शिकायत दिनांक 26.6.2004 को इस आशय की प्रस्तुत की कि उसके पिता कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि, जयपुर खण्ड से कृषि अधिकारी के पद से **दिनांक 31.12.1997 को सेवानिवृत्त हुए थे ।** उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें पेंशन, ग्रेच्यूटी, फिक्सेशन, जी.पी.एफ. आदि का भुगतान नहीं किया गया । विभाग ने बताया कि उनकी सेवापुस्तिका उपलब्ध नहीं है। इससे परेशान होकर परिवादी के पिता दिनांक 16.12.1998 को बिना किसी को कुछ बताये कहीं चले गये। दिनांक 30.9.99 को उनके लापता होनपे की सूचना सांगानेर थाने में दर्ज करवाई गई । सांगानेर थाने में भी उनको काफी ढूढने के प्रयास किये । अत: में दिनांक 31.1.2002 को एफ.आर. इस आशय की देदी कि उनके मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते । परिवादी की माता जी ने दिनांक 15.11.1999 को नियमानुसार समस्त बकाया का भुगतान करने हेतु सभी औपचारिकताओं के साथ आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । **परिवादी ने पेंशन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करवाने व भुगतान करवाने की प्रार्थना की ।**

उपर्युक्तानुसार शिकायत प्राप्त होने पर आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 13. 7.2004 के पत्र द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युतर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 20.8.2004 द्वारा अवगत कराया कि श्री प्रकाश चन्द शर्मा, कृषि अधिकारी दिनांक 31.12.97 को निलम्बन के दौरान् ही सेवानिवृत्त हुए थे । श्री शर्मा को पत्र दिनांक 27.2.98, 6.7.98, 17.2.98, 15.4.99, 18.6.99 द्वारा प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृति हेतु फार्म नं. 33 की पूर्ति कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु उनके द्वारा उक्त फार्म प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री शर्मा के विरूद्ध सी.सी.ए. 16 में विभागीय जांच का निस्तारण कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 13.9.2001 के द्वारा किया जाकर इन्हें देय पेंशन का 10 प्रतिशत भाग 2 वर्ष के लिये रोकने का दण्ड दिया गया व रूपये 7,312.00 इनके पेंशन परिलाभों से वसूल करने तथा इनकी अवकाशों की स्वीकृति व शेष अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस माने जाने एवं निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन भत्ते देय नहीं होने के आदेश दिये गये । यह भी अवगत कराया कि श्री प्रकाश चन्द शर्मा की पत्नी श्रीमती सुशीला देवी को राज्य बीमा के क्लेम्स का राशि रूपये 48,183/- का भुगतान दिनांक 19.3.2003 को किया जा चुका है और श्रीमती सुशीला देवी की मृत्यु के पश्चात् इनके पुत्र

श्री राकेश शर्मा को बकाया वेतन का भुगतान राशि रूपये 1558.00 एवं 385.00 का किया जा चुका है । **संयुक्त निदेशक, कृषि, प्रशासन ने अपने पत्र दिनांक 10.9.2004 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 26.8.2004 के आदेश के द्वारा श्री प्रकाश चन्द शर्मा की धर्मपत्नी स्व. श्रीमती सुशीला देवी के पक्ष में प्रोवीजनल पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करदी गई है ।**

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त होने के पश्चात् यह प्रकरण दिनांक 27.6.2007 को समाप्त किया गया ।

सहकारिता विभाग

एफ. 4(2)लोआस/2007

परिवादी श्री महेश चन्द शर्मा द्वारा श्री प्रेम प्रकार पारीक, मकान नं. 1967-68, नाहरगढ़ रोड, बारह भाइयों का चौराहा, काली पहाड़ी की गली, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 11.5.2007 को दी राजस्थान स्टेट कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री किशोर सिंह राठौड़ द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर राजनेता के घर आयोजित निजी भोज के सम्पूर्ण खर्च का भुगतान लगभग 74,000/- रूपये बैंक के सरकारी धन से करने व महिला सहायक महाप्रबन्धक द्वारा नियमों के विरूद्ध अपनी सास की चिकित्सा के लिये रूपये 55000/- की राशि का पुनर्भरण करवाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया ।

उपर्युक्तानुसार शिकायत प्राप्त होने पर प्रशासन, दी राजस्थान स्टेट कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.7.2007 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 11.8.2007 के द्वारा वांछित तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की । **रिपोर्ट में श्रीमती अलका गौतम, सहायक महाप्रबन्धक को अपनी सास की चिकित्सा के लिये रूपये 55000/- के नियम विरूद्ध किये गये भुगतान के आरोप को सही पाया गया जिसके लिये अंकित किया गया कि उक्त भुगतान की वसूली के आदेश दिये जा चुके है और प्रति माह रूपये 5000/- की वसूली की जा रही है एवं जुलाई, 2007 तक रूप्ये 45000/- वसूल किये जा चुके हैं । इस पर यह परिवाद दिनांक 5.3.2008 को समाप्त किया गया ।**

एफ. 4(49)लोआस/2001

परिवादी श्री गोपाल पुत्र श्री मोती लाल मीणा निवासी तालरी तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ व अन्य कई परिवादीगण ने यह शिकायत दिनांक 30.3.3002 को श्री प्रकाश चन्द शर्मा, व्यवस्थापक, सालरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के विरूद्ध खाता संख्या 283 की राशि 5500/- का गबन करने व अन्य अनियमितताएं करने का आरोप लगाया व जांच कराने की प्रार्थना की ।

उक्त शिकायत के संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 7.6.2002 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी लम्बे पत्राचार के

पश्चात् तकनीकी सहायक, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ने पूर्व अपने कार्यालय के पूर्व पत्रों के अनुक्रम पत्र दिनांक 10.11.2003 द्वारा अवगत कराया कि **श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा के विरूद्ध गबन व अनियमितताओं के आरोप सही पाये गये हैं ।** लोकसेवक से कमला प्रसाद शर्मा के खाते की राशि रूपये 6000/- मूल व रूपये 4700/- ब्याज कुल राशि 10700/- तथा श्री मोती लाल मीणा के खाते में 5800/- मूल व रूपये 4200/- ब्याज कुल 10000/- के पेटे रूपये 4500/- नगद जमा करवाये जाकर संबंधित कृषकों को रसीद दिलवादी गई हैं। शेष राशि रूपये 5500/- तीन-चार दिन में जमा करवाने की व्यवस्था की जा रही है । उन्होंने अपने अगले पत्र दिनांक 5.5.2005 द्वारा अवगत कराया कि **श्री शर्मा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में उन्हें दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है ।**

परिवादीगण को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिये जाने के पश्चात् यह प्रकरण दिनांक 27.6.2007 को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने के पश्चात् समाप्त किया गया ।

एफ. 4(29)लोआस/2004

परिवादी श्री नरसिंह नारायण निवासी नजदीक बस स्टॉप, श्रीकरणपुर ने यह परिवाद 17.1.2005 को प्रस्तुत कर श्रीकरणपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड से श्रम न्यायालय द्वारा पास किया गया **वेतन दिलाये जाने की प्रार्थना की जिस पर** रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 25.5.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 6.7.2007 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को समिति सेवा से पृथक किये जाने की तिथि दिनांक 31.10.1987 से पुनः सेवा में लेने की तिथि **दिनांक 31.3.2001 तक का कुल वेतन 3,00,227 रूपये का भुगतान किया चुका है** तथा कोई भुगतान बकाया नहीं है ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादी को अतिशीघ्र अनुतोष प्रदान करने पर यह प्रकरण दिनांक 24.7.2007 को समाप्त किया गया ।

शिक्षा विभाग

एफ. 5(28)लोआस/2000

परिवादी श्री शिवधन ओझा, श्री मनीराम, डा. सुरजीत सिंह व अन्य कई परिवादियों ने यह शिकायत दिनांक 1.8.2000 को राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, अनूपगढ़ में **बड़े स्तर पर हुई धांधली, भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में प्रस्तुत की** एवं जांच करवाने की प्रार्थना की जिस पर शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2000 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी गई जिन्होंने अपने प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 21.8.2001 द्वारा अवगत कराया कि आरोपों की जांच विशेष जांच दल गठित कर करवाई जारही है जो पूर्ण होते ही वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जावेगा । शासन सचिव, शिक्षा ने अपने पत्र दिनांक 31.12.2001 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए सूचित किया कि विशेष

जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध विभागीय जांच के बाद नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने एवं राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ।

तत्पश्चात् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 15.2.2003 द्वारा सूचित किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर लोकसेवकगण सर्वश्री ललित कुमार शर्मा, कार्यवाहक प्राचार्य, जसवन्त सिंह, कनिष्ठ लिपिक एवं सुरजीत सिंह, शारीरिक शिक्षक को गबन करने व वित्तीय अनियतताएं करने का दोषी पाया गया है । यह भी सूचित किया कि श्री ललित कुमार, तत्कालीन प्राचार्य के विरूद्ध पूर्व में ही लेखा नियमों के अनुसार चन्दा एकत्र करने व व्यय करने में पालना नहीं करने पर चेतावनी जारी की जा चुकी है व वह दिनांक 28.2.2002 को सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं ।

अन्य लोकसेवक श्री जसवन्त सिंह व श्री सुरजीत सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अंततोगत्वा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 6.5.2005 द्वारा अवगत कराया कि **उक्त दोनों लोकसेवगण को 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत दण्डित किया जा चुका है** जिसके अनुसार श्री जसवन्त सिंह, कनिष्ठ लिपिक से राज्य सरकार को हुई हानि रूपये 5920/- वसूल किये जाने व **दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित** किया गया व श्री सुरजीत सिंह, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक को सही नियम प्रक्रिया नहीं अपनाने के आरोप के संबंध में **परिनिन्दा के दण्ड** से दण्डित किया गया ।

इस प्रकार परिवादीगण को पूर्ण अनुतोष प्राप्त होने पर यह प्रकरण दिनांक 26.6.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 5(21)लोआस/2003

श्री ए.क्यू.चिश्ती, व्याख्याता, विनोदिनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी ने यह परिवाद दिनांक 23.5.2003 को **विनोदनी महाविद्यालय के विरूद्ध उसके वेतन का भुगतान नहीं करने के संबंध में प्रस्तुत किया ।** इस संबंध में निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 2.6.2003 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी लम्बे पत्राचार के बाद आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 31.8.2004 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी के बकाया वेतन का भुगतान दिनांक 31.3.2004 को किया जा चुका है । उन्होंने बैंक स्टेटमेंट की प्रति भी संलग्न कर भिजवाई जिसके अनुसार परिवादी के खाते में 42,423/- रूपये वेतन के पेटे जमा कराये गये हैं । परिवादी स्वयं ने भी अपने पत्र दिनांक 20.11.2004, जो इस सचिवालय में दिनांक 3.12.2004 को प्राप्त हुआ, के द्वारा सूचित किया कि **उसे नवम्बर, 2002 से मार्च, 2003 के वेतन का भुगतान प्राप्त हो चुका है।** अत: परिवाद नस्तीबद्ध कर दिया जावे जिस पर यह परिवाद दिनांक 26.6.2007 को समाप्त किया गया।

एफ. 5(61)लोआस/2003

परिवादिया श्रीमती चम्पा देवी जोशी पत्नी स्व. श्री कृष्ण चन्द्र जोशी, दाउजी रोड, दो पीर के पास, बीकानेर ने यह परिवाद **पारिवारिक पेंशन दिलाने के संबंध में** प्रस्तुत किया जिस पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर से पत्र दिनांक 8.7.2004 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । लम्बे पत्राचार के पश्चात् पत्र दिनांक 22.3.2005 द्वारा अवगत कराया गया कि स्व. श्री कृष्ण चन्द्र जोशी के पेंशन एवं सेवा निवृत्ति परिलाभों की स्वीकृति जारी हो चुकी है । जी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रूप्ये 42,853/- तथा राज्य बीमा की राशि रूपये 24,875/- का भुगतान आश्रितों को किया जा चुका है । उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 6.8.2005 द्वारा अवगत कराया कि एल.टी.ए. की राशि **रूपये 1,90,675/- के भुगतान की स्वीकृति जारी कर प्रति भुगतान हेतु कोषाधिकारी, बीकानेर को प्रेषित की जा चुकी है ।**

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादिया को सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान करने के पश्चात् यह प्रकरण दिनांक 26.6.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 5(11)लोआस/2004

परिवादिया श्रीमती इन्दिरा वर्मा सेवानिवृत्त अध्यापिका निवासी सी-75, सेक्टर-20, नोइडा, उत्तर प्रदेश ने यह परिवाद दिनांक 5.4.2004 को इस आशय का पेश किया कि उसने राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, इकरोटिया, अलवर में अध्यापक के पद पर कार्यरत रहते दिनांक 31.7.2000 को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करली थी, परन्तु उसे फरवरी, 1992 से जुलाई, 2000 तक की अवधि का **वेतन का भुगतान, पेंशन का भुगतान तथा जी.पी.एफ., राज्य बीमा, ग्रेच्यूटी आदि का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है** जो शीघ्र करवाया जावे।

उपर्युक्तानुसार परिवाद प्राप्त होने पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 10.6.2004 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 22.9.2004 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को अवकाश स्वीकृत हो चुके हैं, प्रावधायी निधि व राज्य बीमा की देय राशि का भुगतान किया जा चुका है । अवधि वर्ष 1987 से 1/2992 तक के वेतन अन्तर की राशि रूप्ये 10917/- का भुगतान भी कर दिया गया है । चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जा **कर वर्ष 1986 व 1988 के वेतन स्थिरीकरण का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है ।**

इस प्रकार परिवादिया को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से अनुतोष प्राप्त होने के पश्चात् यह परिवाद दिनांक 23.6.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 5(93)लोआस/2004

परिवादी श्री बृजकिशोर सेन, अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, शेखावास, पंचायत समिति, भीम, राजसमन्द ने यह परिवाद दिनांक 9.11.2004 को इस आशय का पेश किया कि उसकी

नियुक्ति दिनांक 9.4.2003 को होने के पश्चात् उसे **जी.पी.एफ. व राज्य बीमा के खाता नम्बर व पॉलिसी जारी नहीं की जा रही है जबकि कटौती हर माह हो रही है** जिस पर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 31.5.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 20.7.2007 द्वारा अवगत कराया कि डी.डी.ओ. द्वारा वांछित प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने पर **श्री सैन को जी.पी.एफ. खाता संख्या आवंटित कर दिया गया है व राज्य बीमा पॉलिसी जारी करदी गई है ।**

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद दिनांक 8.8.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 5(102)लोआस/2004

यह परिवाद श्री अशोक कुमार जाटव ने दिनांक 16.12.2004 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पिता श्री शिवचरण लाल जाटव का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चिरखड़ा, जिला करौली में अध्यापक के पद पर रहते हुए दिनांक 7.9.2002 को देहान्त हो गया था । उसने **अनुकम्पना के आधार पर नियुक्ति** हेतु दिनांक 23.10.2002 को शिक्षा विभाग में नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था, परन्तु उसे आज दिनांक तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है । परिवादी ने प्रार्थना की कि उसे तुरन्त नियुक्ति दिलाई जावे ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।

उपर्युक्तानुसार परिवाद प्राप्त होने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 1.6.2007 के द्वारा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 13.9.2007 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री अशोक कुमार जाटव को आदेश दिनांक 28.3.2005 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीलोती में **वेतन श्रृंखला 2550-3200 में नियुक्ति दी जा चुकी है।**

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 23.11.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 5(19)लोआस/2006

परिवादिया श्रीमती रमीला बामनिया, अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उण्डवेला, धरियावद, उदयपुर ने यह परिवाद दिनांक 8.8.2006 को **14 माह का वेतन दिलाने हेतु प्रस्तुत किया** जिसके संबंध में आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर से काफी पत्राचार करने के पश्चात् अंततोगत्वा अपने पत्र दिनांक 28.11.2007 द्वारा अवगत कराया कि **परिवादिया को बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।** इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद दिनांक 29.1.2008 को समाप्त किया गया ।

एफ. 5(21)लोआस/2007

परिवादिया श्रीमती वीणा त्रिवेदी पत्नी स्व. श्री मधुसूदन त्रिवेदी निवासी 220, ओझा सदन, पाली ने यह परिवाद दिनांक 20.6.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति की बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहते दिनांक 14.12.2006 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई, परन्तु उसे **हितकारी निधि, चिकित्सा बिलों व समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का भुगतान अभी तक नहीं किया गया** तथा न ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ही प्रदान की गई है ।

उपर्युक्तानुसार परिवाद प्राप्त होने पर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर तथा आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने अपने पत्र, जो दिनांक 11.12.2007 को प्राप्त हुआ, के द्वारा अवगत कराया कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि का दावा स्वीकृत किया जाकर बिल पारित करने हेतु कोष कार्यालय में भिजवाया जा चुका है । आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने अपने पत्र **दिनांक 9.1.2008 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को बकाया हितकारी निधि, चिकित्सा बिलों एवं समूह दुर्घटना बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है । अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है ।**

इस प्रकार पूर्ण अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद दिनांक 23.2.2008 को समाप्त किया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

एफ. 9(7)लोआस/2006

यह परिवाद श्री पृथ्वीराज इन्दोलिया, निवासी मल्टी परपज स्कूल के सामने बागात, ऑफिस के पास, आगरा रोड, भरतपुर ने दिनांक 19.3.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 31.1.2007 को अधीक्षक, उद्यान, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा के पद से सेवानिवृत्त हुआ था । लेकिन उसे **न तो वर्ष 2004, 2005 व 2006 की वेतनवृद्धियां स्वीकृत नहीं की गई और न ही पेंशन तथा अन्य परिलाभ तथा अवशेष अवकाश आदि का भुगतान भी नहीं किया गया है ।**

इस पर मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.7.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 9.8.2007 द्वारा अवगत कराया कि श्री इन्दोलिया का संशोधित वेतनमान स्वीकृत होना शेष था, इनके विरूद्ध करौली उद्यान का चार्ज भी लंबित चल रहा था तथा इनके विरूद्ध कार्मिक विभाग में विभागीय जांच लंबित चल रही थी जो आदेश दिनांक 21.2.2007 के द्वारा समाप्त हुई । विभागीय जांच विचाराधीन नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर परिवादी का पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित किया गया जिस पर उसे **दिनांक 27.6.2007 को पी.पी.ओ. नं. 766704 (आर) जारी कर दिया गया । यह भी**

अवगत कराया कि अन्य परिलाभ यथा राज्य बीमा, जी.पी.एफ., अवकाश वेतन इत्यादि का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादी को लगभग तीन माह में ही अनुतोष प्रदान करने पर यह प्रकरण दिनांक 18.8.2007 को समाप्त किया गया ।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

एफ. 10 (22)लोआस/2005

यह परिवाद श्रीमती गैंदी देवी पत्नी स्व. श्री गणपत सिंह चौधरी, मु.पो. सराधना, जिला अजमेर ने यह परिवाद दिनांक 3.2.2006 को इस आशय का पेश किया कि उसके पति, जो कि कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओ. एण्ड एम.), राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, डेगाना, जिला नागौर में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, का **स्वर्गवास दिनांक 26.12.1985 को सेवा में रहते हुए हो गया था । उसके पति ई.पी.एफ. के अनिवार्य सदस्य थे, परन्तु उसे आज तक पेंशन प्राप्त नहीं हुई है ।**

इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 31.5.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 16.6.07 द्वारा अवगत कराया कि स्व. श्री गणपत सिंह चौधरी अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य थे । अत: उनकी पत्नी को पेंशन का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, निधि भवन, ज्योति नगर, जयपुर द्वारा किया जाना था जिनका पेंशन दावा उनके विभाग द्वारा **दिनांक 10.1.2007 को आवेदक द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् भिजवा दिया गया था व पेंशन भुगतान आदेश सं. 5461 के माध्यम से चालू करदी गई है।**

इस प्रकार परिवादिया को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से शीघ्र वांछित अनुतोष दिलाया गया।

जयपुर डिस्कॉम

एफ. 10(4)लोआस/2007

यह परिवाद श्री बनवारी लाल शर्मा निवासी बांदीकुई जिला दौसा ने दिनांक 22.5.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह सहायक अभियन्ता (पवस), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बांदकुई के कार्यालय से दिनांक 31.1.2007 को सेवानिवृत्त हुआ था, परन्तु उसे विभाग को लगातार निवेदन करने पर भी अभी तक **ग्रेच्यूटी, कम्प्यूटेशन का भुगतान नहीं किया गया है और न ही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।**

इस शिकायत के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 18.7.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 2.8.2007 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में पूर्ण तथ्यों का विवरण नहीं दिया है । वस्तुत: परिवादी को दिनांक 24.8.2006 को कार्य में लापरवाही के लिये आरोपपत्र दिया गया था जिसका उसके द्वारा लगभग पांच माह पश्चात् तथा सेवानिवृत्ति के चन्द दिनों पूर्व दिनांक 18.1.2007 को जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त उसके वेतन नियतन में भी त्रुटि पाई गई । अत: उसके वेतन नियतन में पाई गई त्रुटि में सुधार व उसके विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण उसके पेंशन प्रकरण में देरी हुई । परिवादी के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही का निस्तारण कर **मासिक पेंशन रूपये 3782/-, ग्रेच्यूटी रूपये 1,50,107/- व कम्यूटेशन रूपये 1,48,327/- की राशि स्वीकृत कर भुगतान हेतु दिनांक 30.6.2007 को पीपीओ, जीपीओ व सीपीओ जारी कर दिये गये हैं ।**

एफ. 10 (7)लोआस/2007

यह परिवाद श्री कन्हैया लाल शर्मा निवासी 1/200, अरावली विहार, अलवर ने दिनांक 18.6.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह जयपुर डिस्कॉम, जयपुर से वरिष्ठ लिपिक के पद से दिनांक 1.1.2007 को स्वेच्छिक सेवानिवृत्त हुआ था । परन्तु उसे अभी तक **भविष्य निधि, उपार्जित अवकाश का भुगतान, तीन वर्षो की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ, पेंशन, ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन आदि का भुगतान नहीं किया गया है ।**

इस शिकायत के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 18.6.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 16.7.2007 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी अपने कार्यकाल के दौरान् बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहा है और अनुपस्थिति से लौटने के पश्चात् भी अनुपस्थिति अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं कराया। परिवादी का रवैया असहयोगात्मक रहा है जिसके कारण पेंशन सेट तैयार करने में भी देरी हो रही है । परिवादी को सहयोगात्मक रवैया अपनाने एवं पेंशन सेट पर हस्ताक्षर करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

इसके पश्चात् अगले पत्र **दिनांक 27.11.2007 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को भविष्य निधि की राशि रूपये 1,79,845/- का भुगतान चैक संख्या 053704 दिनांक 2.5.2007 द्वारा किया जा चुका है** व अनुपस्थिति की अवधि का अवकाश स्वीकृत कर पेंशन, ग्रेच्यूटी व कम्यूटेशन आदि दावों का निस्तारण कर दिया गया है ।

इस प्रकार परिवादी का पूर्ण अनुतोष प्राप्त होने के पश्चात् यह प्रकरण दिनांक 25.2.2008 को समाप्त किया गया ।

जोधपुर डिस्कॉम

एफ. 10(11)लोआस/2006 एवं एफ.10(19)लोआस/2006

परिवादी श्री भंवरनाथ, रामनाथ, जसुनाथ, हनुमानरनाम, जेठनाथ, भूरनाथ आदि निवासी ग्राम बरजांगसर तहसील डूॅंगरगढ़ जिला बीकानेर ने यह परिवाद दिनांक 9.11.2006 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि गांवके गणपतनाथ पुत्र अखानाथ, केसनाथ पुत्र शेरनाथ, करणनाथ पुत्र पन्नानाथ, लिखमानाथ पुत्र श्रीरामनाथ द्वारा कुए पर 41 एच.पी. की मोटर व 100 एच.पी. का ट्रांसफार्मर ऊंटगाड़ा पर रखा हुआ है जिससे अवैध रूप से **बिजली की चोरी की जा रही है।** चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने का अभियान मात्र कागजातों में लम्बे समय से चल रहा है। **इस अभियान में ए.ई.एन. व जे.ई.एन. की पूर्ण रूप से मिलीभगत है** । बिजली चोरी करने वाले किसान सरकारी कर्मचारियों को हर माह रिश्वत में गेहूं, घी व चना इत्यादि देकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं । इनके विरूद्ध सहायक अभियन्ता को मौखिक व लिखित में नोटिस दिया, परन्तु इस पर किसी प्रकार की कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई । गांव में तीन फीडरों द्वारा गांव को दो भागों में बांट कर बिजली दी गई है परन्तु बिजली चोरों द्वारा सम्पूर्ण बिजली का उपयोग अवैध रूप से किया जा रहा है जिससे अन्य किसानों को कम वॉल्टेज की बिजली मिल रही है ।

इस परिवाद के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 4.10.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युतर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 30.11.2007 के अवगत कराया कि प्रकरण की जोंच उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर द्वारा की गई जिसके अनुसार **श्री गणपत नाथ पुत्र श्री अखानाथ, श्री केसरनाथ पुत्र श्री शेरनाथ, श्री करणनाथ पुत्र श्री पन्नानाथ, श्री केशरनाथ पुत्र श्री डूॅंगरनाथ एवं श्री पुरखाराम पुत्र श्री दुलाराम द्वारा बिजली चोरी किया जाना पाया गया । श्री लिखमानाथ पुत्र श्री रामनाथ द्वारा चोरी किया जाना नहीं पाया गया। अतः श्री गणपतनाथ जुर्माना राशि रूपये 65,000/-, श्री केसरनाथ से जुर्माना राशि रूपये 65,000/-, श्री करणनाथ से जुर्माना राशि रूपये 70,000/-, श्री केशरनाथ पुत्र श्री डूॅंगरनाथ से जुर्माना राशि 60,000/- एवं श्री पुरखारराम से जुर्माना राशि रूपये 80,000/- वसूल की जा चुकी है ।**

राजस्व विभाग

एफ. 11(23)लोआस/2003

परिवादी श्री त्रंबक लाल निवासी बामनेरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली ने यह शिकायत दिनांक 28.4.2003 को इस आशय की प्रस्तुत की कि **हलका पटवारी,** बामनेरा तहसीलदार, सुमेरपुर, पाली के आदेश देने के बावजूद भी रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल नहीं कर रहा है और उक्त **कार्य करने के बतौर पांच हजार रूपये की मांग कर रहा है ।**

इस पर परिवादी को शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जो प्राप्त होने पर शिकायत के संबंध में संभागीय आयुक्त, जोधपुर से पत्र दिनांक 20.6.2003 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया ।

संभागीय आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 12.8.2004 द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी से कराने पर प्रथम दृष्टया पटवारी व सरपंच को दोषी पाया गया जिस पर उनके पत्र दिनांक 24.1.2004 द्वारा जिला कलेक्टर, पाली एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली को संबंधित पटवारी व सरपंच के विरूद्ध विभागीय जांच की जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है । इस क्रम में जिला कलेक्टर, पाली को पत्र दिनांक 15.9.2004 द्वारा संभागीय आयुक्त, जोधपुर की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।

जिला कलेक्टर, पाली ने अपने पत्र दिनांक 12.10.2004 द्वारा अवगत कराया कि दोषी लोकसेवक श्री कमोदर सिंह, पूर्व पटवारी, बामनेरा एवं श्री टीकमाराम, पूर्व पटवारी, बामनेरा के विरूद्ध 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय जांच की जाकर आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं और अंततः पत्र **दिनांक 9.3.2006 द्वारा अवगत कराया कि दोषी लोकसेवक श्री टीकमाराम, पटवारी को आदेश दिनांक 8.3.2006 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है ।** अन्य पटवारी श्री कमोदर सिंह एवं सरपंच के विरूद्ध की गई कार्यवाही सूचना प्राप्त नहीं हुई।

एफ. 11(168)लोआस/2004

परिवादी श्री वरदाराम पुत्र श्री पन्नालाल, मेघवालों का मोहल्ला फालना गांव, स्टेशन फालना, जिला पाली ने यह शिकायत दिनांक 15.10.2004 को इस आशय की प्रस्तुत की कि उसने अपने नियोजक कोहीनूर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, फालना, जिला पाली के अधीन कार्य के दौरान् दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, पाली के न्यायालय में वाद पेश किया था ।

न्यायालय द्वारा दिनांक 31.8.1998 को परिवादी के पक्ष में निर्णय दिया कि अप्रार्थी को मुआवजे के रूपये 25,400/-, ब्याज 12 प्रतिशत की दर से सालाना तथा खर्चे के रूपये 150/- 60 दिवस में अदा किये जावें । अप्रार्थी द्वारा उक्त रकम अदा नहीं करने पर न्यायालय द्वारा वसूली के लिए जिला कलेक्टर, पाली को लिखा गया, परन्तु पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वसूली कार्य में टालमटोल की जा रही है ।

परिवादी को शिकायत समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जो दिनांक 1.3.2005 को प्राप्त हुआ । इस बीच लोकायुक्त का पद रिक्त होने से परिवाद में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । दिनांक 1.5.2007 को लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति होने के पश्चात् अन्य परिवादों के साथ-साथ इस परिवाद में भी कार्यवाही की गई व दिनांक 28.5.2007 के पत्र द्वारा जिला कलेक्टर, पाली से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके

प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 25.8.2007 द्वारा अवगत कराया कि न्यायालय कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 पाली द्वारा पारित अवार्ड राशि रूपये 30,112/- मैसर्स कोहीनूर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, फालना से उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा वसूल कर जरिये डी.डी. संख्या 951784 दिनांक 11.7.2006 तादादी रूपये 30,122/- पत्र दिनांक 11.7.2006 द्वारा **क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत नियुक्त, आयुक्त, कामगार, पाली को भिजवाया जा चुका है** जिस पर यह परिवाद दिनांक 26.9.2007 को समाप्त किया गया ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादी को लम्बे समय से लंबित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कराया गया

एफ. 11(113)लोआस/2004

यह परिवादी समस्त ग्रामवासी, ग्राम चैनपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक की ओर से इस आशय का प्राप्त हुआ कि उक्त ग्राम के **सम्पूर्ण चरागाह को गांव कुछ लोगों ने लाठी, पैसों एवं राजनीतिक प्रभाव से जोत दिया है ।** इससे न सिर्फ पशु चरागाह से वंचित हो जायेंगे वरन जिन किसारों के खेतों का रास्ता इस चरागाह में से होकर है, वे भी रूक गये हैं । इससे गांव में लड़ाई-झगड़े का माहौल बन गया है । अत: चरागाह को अतिक्रमण को तुरन्त मुक्त कराया जावे ।

उपर्युक्तानुसार परिवाद प्राप्त होने पर इसमें **स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया** व जिला कलेक्टर, टोंक से पत्र दिनांकम 26.8.2004 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसकी पालना में उनके पत्र **दिनांक 25.9.2004 द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत चरागाह पर तिल की फसल बो कर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 14.9.2004 को हटा दिया गया और अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया है ।**

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से ग्रम की चरागाह भूमि को अतिक्रमण से तत्परता से मुक्त कराया गया व इस प्रकरण को दिनांक 3.7.2007 को समाप्त किया गया।

एफ. 11(169)लोआस/2004

परिवादी श्री भंवर लाल शर्मा, निवासी ग्राम पंचायत, सिंगनौर, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झूनू ने यह परिवाद ग्राम **की गैर मुमकिन आम रास्ता ढाणी गोदारान से धमोरा के मध्य खसरा नम्बर 970 एवं 972 पर श्री भागीरथ सिंह, जुगल किशोर, बजरंग, सुभाष मीणा द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने के संबंध में प्रस्तुत किया,** जिस पर जिला कलेक्टर, झुन्झूनू से पत्र दिनांक 1.6.2007 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 10.9.2007 द्वारा अवगत कराया कि राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की **कियान्विती में दिनांक 10.10.2006 को जे.सी.बी. चलाई जाकर मय पुलिस जाप्ता के अतिक्रमण हटाया जाकर रास्ता आवागमन योग्य बना दिया गया है ।**

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से रास्ते की भूमि पर को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया । इस पर प्रकरण को दिनांक 21.1.2008 को समाप्त किया गया ।

एफ. 11(215)लोआस/2004

यह परिवाद श्रीमती राजकंवर निवासी चैनपुरा तहसील अलीगढ़ जिला टोंक ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने दिनांक 7.12.2004 को ग्राम ढिकोलिया में **शिविर में मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु तहसीलदार श्री आलोक कुमार सैनी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो उनके द्वारा बार-बार निवेदन करने पर भी नहीं बनाये गये।** उसकी एक लड़की पुष्पकंवर विकलांग व मूक-बधिर है जिसको 200 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, उसको भी तहसीलदार ने बंद करने की धमकी दी है जिसके कारण परिवादिया को काफी मानसिक आघात पहुंचा है । परिवादिया ने शिकायत पर कार्यवाही करने व अनुतोष दिलाने की प्रार्थना की ।

27.11.2004 से 30.3.2007 की कालावधि में लोकायुक्त का पद रिक्त रहने होने से परिवाद में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । दिनांक 29.5.2007 के पत्र द्वारा जिला कलेक्टर, टोंक से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युतर में उनके पत्र दिनांक 25.7.2007 द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादिया के वांछित प्रमाण पत्र औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण समय पर नहीं बनाये जा सके जो पूरी किये जाने पर **दिनांक 6.2.2007 को मूल निवास प्रमाण पत्र व दिनांक 20.1.2007 को आय प्रमाण पत्र बना कर जारी किये जा चुके है ।** यह भी अवगत कराया कि परिवादिया की पुत्री को माह अप्रेल, 2007 से प्रतिमाह 400/- रूपये पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । पेंशन रोकने का आरोप बेबुनियाद है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से पूर्व ही परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया जिस पर यह प्रकरण दिनांक 8.8.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 11(17)लोआस/2005

श्री पवन कुमार मीणा, पत्रकार दैनिक भास्कर, श्रीमाधोपुर ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि मीणा की ढाणी (ढाणी विलासावाली) श्री माधोपुर व आसपास की लगभग 1000 की आबादी को जोड़ने वाले **आम रास्ते को कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर सकड़ा कर दिया है** । परिवादी का यह भी कथन है कि दिनांक 1.8.2003 को जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त कलेक्टर, प्रशासन को ज्ञापन दिया गया जिनके द्वारा आदेश दिये जाने पर भी तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । अत: इस मामले में कार्यवाही कर रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जावे ।

उक्त शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, सीकर से पत्र दिनांक 7.8.2007 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसकी पालना में **जिला कलेक्टर, सीकर ने अपने पत्र दि. 10.12.2007 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम जयरामपुरा, ढाणी विलासावाली में जाने वाले रास्ते का**

अतिक्रमण दिनांक 25.1.2007 को सरपंच के सहयोग से हटाया जा चुका है । मौके पर रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होकर रास्ता चालू है ।

यह परिवाद दिनांक 17.1.2008 को समाप्त किया गया ।

एफ. 11(43)लोआस/2005

श्री कन्हैया लाल पांचाल, पूर्व सरपंच डारडा हिन्द तहसील टोंक ने यह परिवाद पटवारी हलका डारडा हिन्द श्री राम लाल के विरूद्ध विपक्षी पार्टी से साज करके उसके पक्ष में **नामान्तरण खोलने पर आमादा होने व तहसीलदार के यथास्थिति के आदेश की पालना नहीं करने के संबंध में प्रस्तुत किया ।**

परिवाद पर जिला कलेक्टर, टोंक से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 21.7.2007 द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, टोंक से कराई गई जिसके अनुसार पटवारी हलका डारडा हिन्द श्री रामलाल याद को तहसीलदार, टोंक के आदेश दिनांक 4.5.2005 को प्राप्त करने के उपरान्त भी फोती नामान्तरण खोलने तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय का नोट जमाबन्दी में नहीं लगाने के लिये प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक 29.3.2007 को जारी किया जाकर जांच की जा रही है ।

जिला कलेक्टर ने अपने अगले पत्र दिनांक 5.9.2007 द्वारा अवगत कराया कि उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय दिनांक 13.11.2000 के अनुसार खाता पूर्ववत् सुन्दरा पुत्र जगन्नाथ कोम लुहार हिस्सा 1/2 का नोट अंकित कर दिया गया है। तत्पश्चात् अपने पत्र दिनांक 15. 1.2008 द्वारा अवगत कराया कि **उक्त दोषी लोकसेवक श्री राम लाल यादव के विरूद्ध जांच में आरोप सिद्ध होने पर एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दिनांक 6. 12.2007 को दण्डित किया जा चुका है।**

इस प्रकार परिवादी को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से वांछित अनुतोष प्रदान कराया गया।

एफ. 11(151)लोआस/2005

परिवादिया श्रीमती सीतादेवी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल बलाई निवासी बिच्छुदड़ा तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा ने यह शिकायत हलका पटवारी विजयेन्द्र गोदारा के विरूद्ध **जमाबंदी की नकल नहीं दिये जाने व डराने-धमकाने के संबंध में प्रस्तुत की जिस पर जिला कलेक्टर,** भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 10.12.2007 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया की शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा से करवाई गई जिसके अनुसार दिनांक 19.3.2006 को प्रतिलिपि शुल्क के 30 रूपये प्राप्त कर **नकल उपलब्ध करवाई दी गई है** । इस परिवाद को दिनांक 5.2.2008 को समाप्त किया गया।

एफ. 11 (154)लोआस/2005

श्री सुनील कुमार जैन, व्याख्याता पाते वेतन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जमवारामगबढ़, जिला जयपुर ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के आदेश दिनांक 25.8.2001 के अनुसार राज्य के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पड़े हुए पदों पर शैक्षिक व्यवस्था हेतु द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों को पाते वेतन व्याख्याताओं के रूप में पदस्थापित किया गया था ।

इन शिक्षकों को पदोन्नति का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया था, परन्तु उसके बोनस राशि के बिल पर कोष कार्यालय, ग्रामीण, जयपुर द्वारा यह आक्षेप लगा कर कि ''कर्मचारी राजपत्रित है'' बिल पारित नहीं किया । इसके पश्चात बिल दो बार पुनः भिजवाया गया, परन्तु बिल पारित नहीं किया गया । परिवादी ने **प्रार्थना की कि वह बोनस प्राप्त करने का हकदार है । अतः उसे बोनस दिलवाया जावे ।**

उक्त शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, जयपुर से पत्र दिनांक 5.6.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 12.11.2007 द्वारा अवगत कराया कि **परिवादी को नियमानुसार वर्ष 2004-2005 की बोनस की राशि रूपये 2419/- का भुगतान बिल क्रमांक 39 दिनांक 5.12.2006 व वर्ष 2005-06 की बोनस राशि रूपये 2419/- का भुगतान बिल नम्बर 26 दिनांक 23.10.2006 द्वारा किया जा चुका है ।**

इस प्रकर परिवादी को इस सचिवालय के हस्तक्षेप से नियमानुसार देय बोनास की राशि का भुगतान कराया जाकर अनुतोष प्रदान किया गया व प्रकरण को दिनांक 22.12.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 11(91)लोआस/2005

परिवादी श्री भंवर सिंह चौहान, ग्राम पोस्ट ईडवा, तहसील डेगाना, जिला नागौर ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम ईडवा की गोचर जलमग्न नाडी खसरा नं. 120, 269 पर स्थानीय निवासी श्री गणेशराम ने **अनधिकृत कब्जा कर नाडी को समतल कर उस पर दो पक्के मकान बना लिये ।** गांववासियों द्वारा सख्त विरोध करने पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों ने राजस्थान आर.एल.आर. की धारा 91 के तहत् अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर सजा व जुर्माना किया । जिला कलेक्टर ने अपील में सजा को माफ किया मगर मौके पर निर्मित मकानों को कब्जे में लेनेके निर्देश दिये ।

जिला कलेक्टर के निर्देश पर श्री महेन्द्र सिंह पटवारी व राजस्व निरीक्षक कानाराम ने 17.3.2006 को अतिक्रमी गणेशराम का अनाधिकृत कब्जा बाड़ा हटा कर मौके पर अतिक्रमी के दो पुख्ता मकान पाये गये जिनको खाली करवाकर कब्जा राज लिया एवं अतिक्रमी को भविष्य में कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र लिया । यह कार्यवाही मात्र कागजों में ही सीमित रही जबकि वास्तविक रूप से दोनों मकानों पर अतिक्रमी गणेशराम ही काबिज रहा था । गांववासियों द्वारा मौके पर अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर उपर्युक्त तीनों के विरूद्ध स्थानीय

न्यायालय में इश्तगासा पेश किया । स्थानीय प्रभावशाली लोगों के दबाव में तहसीलदार, डेगाना ने दोनों कर्मचारियों को बचाने के लिये पुरानी तारीखों में पुनः आर.एल.आर. एक्ट की धारा 91 के तहत् प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23.12.2006 को मौके पर पक्के बने दो मकानों में से एक मकान को ही 'ए' व 'बी' दो बता कर अतिक्रमण हटाना बतला दिया जबकि एक मकान आज भी मौके पर उक्त गौचर जमीन में बना हुआ मौजूद है ।

उपर्युक्त शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, नागौर से पत्र दिनांक 19.7.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उनके पत्र दिनांक 16.11.2007 द्वारा यह अवगत कराया गया कि **प्रश्नगत जमीन खसरा नं. 269 गैर मुमकिन गोचर में रकबा 1 बीघा से गणेशराम द्वारा अतिक्रमण कर बनाये गये दो मकानों को जे.सी.बी. मीशन से पुख्ता निर्माण करो गिरा कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर दिया गया है** । इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से गोचर भूमि से अतिक्रमण को हटवा कर परिवादी को वांछित अनुतोष दिलाया गया ।

यह प्रकरण दिनांक 28.1.2008 को समाप्त किया गया ।

एफ.11(167)लोआस/2003

इस पत्रावली में परिवादी ने अपने परिवाद में मुख्य शिकायत यह की थी कि पटवारी हल्का-भैंसावा द्वारा सरकारी निर्देश की अवहेलना कर **मंदिर माफी की भूमि के राजस्व रिकार्ड में हेरा-फेरी कर अंकन दर्ज नहीं कर रहे हैं।**

उक्त परिवाद पर जिला कलेक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिन्होनें पालना कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6.3.03 की पालना में **पटवार मण्डल भैंसावा के खसरा नम्बर 1001, 1003, 1004, 1007, 1008, 1009, 1010 कुल किता 7 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा भूमि को माफी मंदिर श्री जगमोहनजी सा0देह के नाम से नामान्तरण संख्या 1267 दिनांक 21.1.04 के द्वारा दर्ज करवा दिया गया।** इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से मंदिर माफी श्री जगमोहनजी सा0देह के नाम से नामान्तरण किया गया ।

यह प्रकरण दिनांक 3.7.2007 को समाप्त कर दिया गया ।

एफ.11(4)लोआस/2004 एवं एफ.11(95)लोआस/2004

परिवादी ने अपने परिवाद में मुख्य शिकायत यह की थी कि कुछ **प्रभावशाली व्यक्तियों ने गत पॉच-छः वर्षो से गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है** जिसकी शिकायत करने पर भी उनके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा रही हे।

उक्त परिवाद पर जिला कलेक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिन्होनें पालना कर रिपोर्ट इस सचिवालय को प्रेषित की। रिपोर्ट द्वारा सूचित किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर से जाँच करवाई गई तथा पटवारी हल्का द्वारा आराजी भूमि खसरा नम्बर 918,

439, 1507 गै.मु. चारागाह तन शिमारला जागीर में दुला पुत्र मुरली अहीर, हरदेवा पुत्र गंगाबक्स जाट, प्रहलाद पुत्र बद्रीनाथ जोगी, भैरोसिंह, समुन्दर सिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत, रामकुमार नाथ पुत्र भूरानाथ जोगी, चौथूराम पुत्र भूरानाथ जोगी, शिशपाल पुत्र रामू मीणा ने नाजायज अतिक्रमण कर काश्त करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त गैर सायलान को धारा 91 एल.आर.एक्ट का **नोटिस जारी किया जाकर बाद सुनवाई की गई तथा मौके से भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा फसल जप्ति एवं बेदखली की कार्यवाही की गई। इस प्रकार** इस सचिवालय के हस्तक्षेप से बेशकीमती गोचर भूमि के अतिक्रमण को बेदखल करवाया गया ।

इस पर प्रकरण को दिनांक 3.7.2007 को समाप्त कर दिया गया ।

एफ.11(30)लोआस/2004

इस पत्रावली में परिवादी ने अपने परिवाद में मुख्य कथन यह किया है कि एस.डी.ओ., पीलीबंगा हनुमानगढ के विरूद्ध नगरपालिका की भूमि पर खोखा लगाकर किये गये अतिक्रमण को हटाने में विलम्ब किये जाने एवं स्थगन आदेश खारिज होने के पश्चात् भी **अतिक्रमण नहीं हटाने के आरोप अंकित किये है।**

उक्त परिवाद पर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिन्होनें पालना कर रिपोर्ट दिनांक 2.9.2004 द्वारा **सूचित किया कि परिवाद में वर्णित खोखा जो कि नगरपालिका की सार्वजनिक भूमि पर था, उसे हटा दिया गया है ।** इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया।

एफ.11(67)लोआस/2004

इस प्रकरण में परिवादिया, जो कि करगिल शहीद की पत्नी थी, ने अपने परिवाद में यह शिकायत की थी कि उसके पति को ग्राम जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में खसरा नम्बर 92/1 में 4 बीघा भूमि का नियमन होना था लेकिन अभी तक **उक्त भूमि का नियमन नहीं हुआ, इस बाबत कलेक्टर, सीकर ने उपखण्ड अधिकारी को दो बार आदेश दिये परन्तु वह नियमन नहीं कर रहा है।**

उक्त परिवाद पर जिला कलेक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिन्होनें पालना कर रिपोर्ट दिनांक 8.12.2004 द्वारा सूचित किया कि ग्राम जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ की भूमि खसरा नम्बर 92/1 की चारागाह भूमि हाल खसरा नम्बर 425/398 चारागाह में से 1.01 हैक्टर भूमि तहसील, लक्ष्मणगढ के द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 692 **दिनांक 8.12.2004 के द्वारा सिवाय चक दर्ज की जा चुकी है, को कारगिल शहीद गोरधन सिंह की पत्नी सुनीता देवी को कृषि हेतु आवंटित की जा चुकी है।**

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से एक कारगिल शहीद की पत्नी को भूमि का आवंटन करवाकर उसे अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(61)लोआस/2005

इस पत्रावली में परिवादी ने परिवाद में यह कथन किया है कि ग्राम शिश्यू जिला सीकर की **गैर मुमकिन नाले की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2241-43, 2258, 2289-93 पर से अतिक्रमण हटाने** के आदेश उच्चाधिकारियों द्वारा दे दिये गये थे परन्तु पलसाना उप तहसील के संबंधित अधिकारीगण के अतिक्रमियों के दुस्प्रभाव में होने के कारण झूंठी रिपोर्ट भेज कर गुमराह कर रहे हैं।

उक्त परिवाद पर जिला कलेक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिन्होनें पालना कर रिपोर्ट दिनांक 26.11.2007 प्रेषित की। जिसके द्वारा **सूचित किया कि अतिक्रमण का सर्वे करवाया गया तथा जो भी अतिक्रमण पाया गया उसे यथासमय हटा दिया गया है।**

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से जिस सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था उसे हटा दिया गया तथा परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(78)लोआस/2005

इस प्रकरण में परिवादी की शिकायत थी कि ग्राम धोली के **कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिये गये ।** उसने इसकी शिकायत सरपंच, तहसीलदार तथा जिला कलेक्टर, दौसा को की, परन्तु उनके द्वारा सुनवाई नहीं की गई।

उक्त परिवाद पर जिला कलेक्टर, दौसा को तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने अतिक्रमियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कर दिनांक 29.10.07 को अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटवाकर दिनांक 17.11.07 को पालना रिपोर्ट इस सचिवालय को भिजवाई ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया ।

पंचायती राज विभाग

एफ. 12(48)लोआस/2003

परिवादी श्री सुमेरमल चौपड़ा, सदस्य, ग्राम पंचायत, सायला, जिला जालौर ने यह परिवाद दिनांक 23.6.2003 को प्रस्तुत कर जैन मन्दिर के सामने ग्राम पंचायत, सायला के भूखण्ड के नियमितिकरण में **राज्य सरकार व ग्राम पंचायत को लाखों रूपयों की राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप लगाया** व जांच कर कार्यवाही करने की प्रार्थना की जिस पर निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 9.1.2004 द्वारा अवगत कराया गया कि सरपंच, ग्राम पंचायत, सायला के विरूद्ध प्राप्त प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के क्रम में उसके विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज

अधिनियम की धारा 38 (1) व 39 (2) के तहत् कार्यवाही प्रारंभ की जा कर उससे स्पष्टीकरण चाहा गया है जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा ।

पत्र दिनांक 4.11.2004 के द्वारा यह अवगत कराया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर द्वारा जांच की गई । **जांच में केता-विकेता से स्टाम्प ड्यूटी की राशि रूप्ये 1,30,718/- की राजस्व हानि होना व सरपंच को दोषी होना माना गया है** जिस पर संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा सरपंच को दनांक 2.8.2004 को अयोग्य घोषित कर दिया गया है । अगले पत्र दिनांक 12.4.2005 द्वारा अवगत कराया कि दस्तावेजों के पंजीयन नहीं कराने पर राज्य सरकार को स्टाम्प की 1,30,718/- रूपये की राजस्व की हुई हानि होने पर उसकी वसूली श्री रिखबचन्द केता तथा श्री बगताराम केता से करने हेतु प्रस्तावित किया गया था जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर को वसूली करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से राजस्व हानि की वसूली कार्यवाही प्रारंभ कराई गई व दोषी सरपंच को अयोग्य घोषित किया गया ।

तदनुसार पूर्ण अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद दिनांक 26.6.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 12(100)लोआस/2003

परिवादिया श्रीमती मछला देवी पत्नी स्व. श्री संतकुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पंचायत समिति, धौलपुर ने यह परिवाद दिनांक 28.11.2003 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को पांच वर्ष से प्रार्थना करने के उपरान्त भी उसके पति श्री संतकुमार की **राज्य बीमा जोखिम की राशि का उसे भुगतान नहीं किया जा रहा है ।**

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, धौलपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 के द्वारा सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, धौलपुर की रिपोर्ट संलग्न करते हुए अवगत कराया कि बीमेदार की मृत्यु दिनांक 11.5.1998 को हुई । बीमेदार की बीमा कटौती मार्च, 1998 एवं अप्रेल, 1998 के वेतन से करली गई थी, किन्तु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धौलपुर के कार्यालय के तत्कालीन लिपिक श्री महेश कुमार शर्मा एवं लेखाकार श्री मुकेश बाबू गुप्ता द्वारा काटी गई बीमा राशि समय परजमा नहीं कराई गई और न ही समय पर प्रथम घोषणा पत्र बीमा विभाग को भिजवाया गया । यदि मृतक की बीमा कटौती मृत्यु के पूर्व ही जमा करवादी जाती तो मृतक के आश्रित को इसका लाभ मिल सकता था। इस पर जिला कलेक्टर, धौलपुर को लिखा गया कि यदि मृतक राज्य कर्मचारी की बीमा कटौती राशि समय पर जमा करवादी जाती तो मृतक के आश्रितों को कितनी बीमा राशि का क्लेम मिलता, इसकी गणना बीमा विभाग से करवाकर इस सचिवालय को अवगत करावें ।

इस संबंध में उन्होनें अपने पत्र दिनांक 15.5.2004 द्वारा अवगत कराया कि रूप्ये 40,000/- की राशि का क्लेम मिलता । तत्पश्चात् जिला कलेक्टर, धौलपुर ने अपने **पत्र दिनांक 13.12.2005 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को बीमा क्लेम की राशि 40,000/- का भुगतान जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 451320 दिनांक 25.11.2005 से तत्कालीन विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ लेखाकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा चुका है** व परिवादिया ने जरिये शपथ पत्र राशि प्राप्त होने व आगे परिवाद जारी न रखने में अपनी सहमती दी है । परिवादिया ने स्वयं ने भी पत्र दिनांक 14.2.2006 द्वारा सूचित किया कि उसे उक्त क्लेम की राशि प्राप्त हो चुकी है और उसे अब इस विषय पर कोई शिकायत नहीं है, जिस पर यह प्रकरण दिनांक 5.7.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 12(2)लोआस/2004

परिवादी श्री हरिद्वारी लाल माथुर, सेवानिवृत्त ग्राम सेवक, पंचायत समिति, नवलगढ़, जिला झुन्झूनू ने यह परिवाद इस सचिवालय में दिनांक 21.2.2004 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने दिनांक 21.10.2002 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, **परन्तु उसके पेंशन प्रकरण निस्तारण अभी तक भी नहीं किया गया है** और न ही ग्रेच्यूटी व अन्य परिलाभों का भुगतान ही किया गया है ।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही की गई और शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ने अपने पत्र **दिनांक 1.9.2007 द्वारा सूचित किया कि परिवादी की बकाया राशि का भुगतान कर इन्हें नियमानुसार पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।** इनका पीपीओ नं. 166535 है ।

एफ. 12(141)लोआस/2004

श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी भाताराम मेहरड़ा निवासी बागौर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झूनू ने यह परिवाद दिनांक 12.1.2005 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे **बी.पी.एल. परिवार होते हुए भी सभी सुविधाओं यथा इन्द्रा आवास, नि:शुल्क कृषि भूमि आवंटन, विद्युत कनेक्शन, पीने के पानी आदि से बार-बार प्रार्थना करने पर भी वंचित किया जा रहा है ।**

इस परिवाद के संबंध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनू से पत्र दिनांक 31.5.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिस पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 17.12.2007 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2005-2006 में नवीन आवास निर्माण हेतु ..25 लाख रूपये की स्वीकृति जारी कर आवास निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाचुका है, जिसका भुगतान कर दिया गया है । परिवादिया को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 35 किलोग्राम गेहूं प्रति माह 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से निरन्तर दिये जा रहे हैं । **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में बकरी पालन हेतु ऋण व अनुदान से लाभन्वित किया जाचुका है ।**

वन विभाग

एफ. 15(38)लोआस/2002

यह परिवाद श्री कन्हैया लाल सैनी निवासी 818/1, शास्त्री नगर, दादाबाड़ी, कोटा ने दिनांक 22.11.2002 को इस आशय का पेश किया कि उसे ढाई वर्ष पूर्व क्षेत्रीय-I के पद से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किय गया था, परन्तु उसे आज तक भी **1992 का एरियर, वेतनवृद्धि का लाभ व पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया गया है** जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 3.12.2002 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् पत्र **दिनांक 8.5.2004 द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी का पेंशन प्रकरण स्वीकृत हो गया है व इसे जी.पी.ओ. नम्बर 578767 तथा पी.पी.ओ. नं. 565375 जारी कर दिया गया है ।** परिवादी को अपना पक्ष करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया तदुपरान्त पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 5.7.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 15(9)लोआस/2004

यह परिवाद श्री मोहन लाल वर्मा ने दिनांक 21.7.2004 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 19.6.2000 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 53(i) के तहत् दिनांक 19.6.2000 से अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया । उक्त नियमों के नियम 90 के अन्तर्गत **अनिवार्य सेवानिवृत्त लोकसेवकों को प्रोवीजनल पेंशन एवं अन्य सेवा परिलाभ देने का प्रावधान है, परन्तु परिवादी व अन्य लगभग 250 लोकसेवकों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है ।**

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 7.8.2004 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी पत्राचार के पश्चात् उन्होंने अपने पत्र **दिनांक 3.3.2005, 26.5.2005 व 31.8.2005 द्वारा अवगत कराया कि परिवदी को प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।**

परिवादी को अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद दिनांक 5.7.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 15(16)लोआस/2004

यह परिवाद श्री सम्मू खां पुत्र स्व. श्रीमती राजा पत्नी गुलाम रसूल निवासी राववाला पोस्ट बरसलपुर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर ने दिनांक 29.1.2005 को इस आशय का पेश किया कि उसकी माता स्व. श्रीमती राजा कार्यालय उपवन संरक्षक, इगानप स्टेज-II खण्ड प्रथम, बीकानेर के अधीन राजकीय सेवा में कार्य प्रभारी बेलदार के पद पर कार्यरत थी जिनका राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 22.2.2002 को स्वर्गवास हो गया । **उसने मृतक के आश्रित होने के नाते अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दिलाने हेतु** दिनांक 26.3.2002 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया परन्तु तीन वर्ष पश्चात् भी उसे नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है

जबकि उसके बाद के अनेक आवेदकों को नियुक्ति देदी गई है । **उसे जी.पी.एफ., सी.पी. एफ. आदि का भी भुगतान नहीं किया गया है ।**

उपर्युक्त शिकायत के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 8.8.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 18.9.2007 के द्वारा अवगत कराया कि **श्री सम्मु खां को राजकीय महिला पॉलीटेक्नीक कॉलेज, बीकानेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। श्रीमती राजा का सी.पी.एफ. राशि का अंतिम भुगतान राशि रूपये 46,406/-, जी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रूपये 29,089/- का भुगतान किया जा चुका है ।**

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्रदान किये जाने पर यह प्रकरण दिनांक 29.1.2008 को समाप्त किया गया ।

स्वायत्त शासन विभाग

एफ. 16(60)लोआस/2001

परिवादी श्री चुन्नी लाल, जिला सचिव, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भरतपुर ने यह परिवाद दिनांक 18.7.2001 को नगरपालिका, कुम्हेर में गुमटियों के आवंटन में भाई-भतीजावाद अपनाने आदि के आरोपों के संबंध में प्रस्तुत किया एवं जांच किये जाने की प्रार्थना की ।

इस शिकायत के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 16.8.2001 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 28.10.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवाद की जांच उप निदेशक (क्षेत्रीय) से कराई गई जिसके अनुसार श्री मोती वगैरह को 25 प्रतिशत की दर पर गलत नियमन किये जाने, सुभाष पार्क की भूमि पर ग्यारसी वगेरह को अवैध निर्माण करने देने व मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत गुमटियों के लिये सही स्थल का चयन नहीं किये जाने के लिये अधिशाषी अधिकारी को दोषी पाया गया जिसके लिये उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

पत्र दिनांक 21.4.2006 द्वारा अवगत कराया कि **तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री ओमवीर तोमर के विरूद्ध 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय जांच की गई जिसमें लोकसेवक के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में से एक आरोप सिद्ध होने पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है ।**

इस प्रकार वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 4.7.2007 को समाप्त किया गया ।

एफ. 16(219)लोआस/2004

परिवादिया श्रीमती उमा देवी जाखड़ निवासी मुख्य डाकघर के पास, राजगढ़, जिला चूरू ने यह परिवाद दिनांक 10.3.2005 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति स्व. श्री शिशुपाल सिंह जाखड़, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़, जिला चूरू का सेवा में रहते **दिनांक 18 मार्च, 2004 को निधन हो गया, परन्तु उसे अभी तक पेंशन नहीं मिली है।** इस परिवाद के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 1.10.2007 **द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया के पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश पेंशन विभाग द्वारा दिनांक 21.3.2005 को जारी किया जाचुका है ।** इस पर यह परिवाद दिनांक 9.10.2007 को समाप्त किया गया।

एफ.16(111)लोआस/2007

परिवादी श्री बनवारी लाल गर्ग, निवासी गंगापोल बाहर, बास बदनपुरा, जयपुर ने यह शिकायत श्री मामराज शर्मा द्वारा दुकान नं. 261, शुभम गारमेन्ट एण्ड फैन्सी स्टोर, गंगापोल के विरूद्ध अपनी **दुकान के आगे रास्ते में अतिक्रमण काउन्टर लगाने के संबंध में प्रस्तुत किया** जिस पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 16.2.2008 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, **नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 9.4.2008 के द्वारा सूचित किया कि श्री मामराज शर्मा द्वारा किये गये अतिक्रमण को दिनांक 1.3.2008 को हटवा दिया गया है ।**

एफ. 16(17)लोआस/2004

परिवादी श्री सत्यनारायण सैनी व अन्य ने यह परिवाद बस स्टेण्ड, पुरानी सब्जी मण्डी, चौमू में श्री महेश कुमार सैनी द्वारा बीच रास्ते में एक **लोहे की थड़ी रख कर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध करने के संबंध में प्रस्तुत किया ।** इसकी शिकायत जब नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिभा शर्मा से की तो उसने थड़ी उठवाने के लिये यह कह कर मना कर दिया कि यह तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, इसने चुनावों में काफी चन्दा दिया था ।

इस परिवाद के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 7. 8.2004 के द्वारा तथ्यात्मक **प्रतिवेदन मांगा गया जिसकी पालना में पत्र दिनांक 28.2.2005 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री महेश सैनी द्वारा बीच रास्ते में थड़ी रख कर किया गया अतिक्रमण दिनांक 6.9.2004 को हटा दिया गया है ।**

एफ. 16(273)लोआस/2002

परिवादी श्री राम नारायण शर्मा, **सेवानिवृत्त अग्नि शमन अधिकारी, अजमेर ने यह परिवाद बकाया एरियर का भुगतान कराये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया** जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, कोटा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में काफी पत्राचार के बाद अंततोगत्वा अपने पत्र दिनांक 13.7.2005 द्वारा अवगत कराया कि श्री शर्मा की जी.पी.एफ. राशि मय ब्याज 12,980/- जरिये डी.डी. दिनांक 12.1.2004, बीमा राशि

बीमा कार्यालय यूनिट-II कोटा में पॉलिसी संख्या 84860593 में सितम्बर, 1997 से माह जुलाई, 1999 तक की जमा करवा दी गई है एवं **ग्रेच्यूटी राशि मूल वेतन का 5 प्रतिशत मद संख्या 8338 सब मद 102 उप मद 003 में जमा करा दी गई है एवं पेंशन राशि 13128/- पेंशन फण्ड मद संख्या 8011 सब मद संख्या 106 कोषागार, कोटा में जमा करादी गई है ।**

एफ. 16(163)लोआस/2004

यह परिवाद महन्त भरत बिहारी गौड़ व अन्य की ओर से भिण्डों का रास्ता में पहिले चौराहे से पहिले मकान नं. 3321, माणक भण्डारी जी व मकान नं. 3323 के मध्य **सार्वजनिक सरकारी गली में अतिक्रमण करने के संबंध में प्रस्तुत किया** जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर से पत्र दिनांक 29.8.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसकी पालना में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 16.2.2008 के द्वारा अवगत कराया कि श्री महेन्द्र उर्फ लल्लू लक्ष्मीनारायण एवं रामावतार जांगिड़ द्वारा सरकारी भूमि पर **सूखी लकड़ियां डाल कर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है ।**

जेल विभाग

एफ. 29(2)लोआस/2004

यह परिवाद श्री जगवीर सिंह पुत्र श्री हेमराज, ऋषिपाल पुत्र श्री मामचन्द हाल दण्डित बन्दी, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर ने जेल **उप अधीक्षक श्री करतार सिंह के विरूद्ध विभिन्न तरह के पद के दुरूपयोग एवं भ्रष्ट हेतुओं से प्रेरित होकर कार्य करने के गंभीर आरोप लगाये** जिस पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 21.5.2004 के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक जेल, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रेतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 24.7.2004 द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच कराने पर श्री करतार सिंह को दोषी पाया गया है । अतः उसके विरूद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है एवं पत्र दिनांक 16.8.2005 द्वारा अवगत कराया कि **श्री करतार सिंह, उप अधीक्षक, जेल को 17 सी. सी.ए. के अन्तर्गत आदेश दिनांक 12.8.2005 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया जाचुका है ।**

श्रम विभाग

एफ. 30(8)लोआस/2004

यह परिवाद श्रीमती मैना देवी नाहटा पत्नी स्व. श्री गोपीचन्द राहूगेट रामद्वारा के पास, लाडनूं, जिला नागौर के द्वारा मैनादेवी बनाम महावीर स्कूल लाडनू पीजीए 3/94 निर्णय दिनांक 22.9.2004 की पालना में **ग्रेच्यूटी राशि रूपये 32,615/- मय ब्याज के भुगतान करवाने हेतु दिनांक 16.1.2005 को प्रस्तुतत किया गया ।**

27.11.2004 से 30.4.2007 तक पद रिक्त होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी । दिनांक 28.5.2007 को आयुक्त, श्रम विभाग, नागौर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 18.7.2007 के द्वारा अवगत कराया कि व्यवस्थापक, श्री महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं के द्वारा **चैक सं. 054942 दिनांक 12.5.2005 के द्वारा ग्रेच्यूटी राशि रूपये 87,738/- का भुगतान मय ब्याज के कर दिया गया है ।**

जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग

एफ. 31(2)लोआस/2007

परिवादिया श्रीमती संतोष कौशिक निवासी 43ए, सत्य नगर-ए, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 11.5.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने अपने जल सम्बन्ध के पेटे जमा सिक्योरिटी राशि को लौटाने के लिये सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झोटवाड़ा, जयपुर को दिनांक 5.10.2006 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था, परन्तु कई बार स्मरण पत्र देने के **उपरान्त भी उसे सिक्योरिटी राशि नहीं लौटाई गई है ।**

इस संबंध में मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 9.8.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 2.2.2008 के द्वारा सूचित किया कि उपभोक्ता द्वारा जल सम्बन्ध की मूल रसीद प्रस्तुत नहीं किये जाने के अभाव में सिक्योरिटी राशि नहीं लौटाई जा सकी थी जिसके संबंध में उपभोक्ता द्वारा मूल रसीद खो जाने व इसका पूर्व में भुगतान प्राप्त नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करने के **आधार पर दिनांक 2.2.2008 को सिक्योरिटी राशि लौटा दी गई है** । पत्र के साथ परिवादिया द्वारा सिक्योरिटी राशि रूपये 32/- प्राप्त किये जाने की रसीद भी संलग्न कर भिजवाई गई ।

शासन सचिवालय

एफ. 34(3)लोआस/2005

परिवादी श्री प्रभूदयाल गुप्ता, सेवानिवृत्त आर.ए.एस. निवासी मकान नं. 42/93/01, वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर ने यह शिकायत दिनांक 21.1.2006 को इस आशय की प्रस्तुत की कि वे दिनांक 31.8.1999 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड जयपुर से सम्पदा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, परन्तु **छः वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उन्हें पेंशन व अन्य परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है** जो शीघ्र करवाया जावे ।

उपर्युक्तानुसार परिवाद प्राप्त होने पर शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 28.5.2007 के पत्र के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 20.6.2007 के द्वारा यह अवगत कराया कि परिवादी के अवकाशों की भिन्न-भिन्न जगहों से स्वीकृति में देरी होने व सेवासत्यापन न होने के कारण व परिवादी द्वारा सिविल

सेवा अधिकरण में अपील कर स्टे प्राप्त करने के कारण पेंशन स्वीकृति में देरी हुई । दिनांक 13.6.2003 को परिवादी को प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृत की गई व सेवाभिलेख **पूर्ण होने पर दिनांक 1.3.2007 को पी.पी.ओ. व जी.पी.ओ. जारी कर दिये गये ।**

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग एवं पुलिस विभाग

एफ. 35(32)लोआस/2004

परिवादी श्री जगदीश पुत्र औंकार निवासी शिवदासपुरा तहसील चाकसू, जिला जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 14.6.2004 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी ग्राम शिवदासपुरा में 26 बीघा भूमि है जिसकी तहसील में **पेंशन दिलवाने के बहाने ले जाकर अन्धेपन का फायदा उठाकर श्री तेजमल ने 13 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवाली तथा एक पैसा भी नहीं दिया और अब जान से मारने की धमकी देता है ।** इसी प्रकार 13 बीघा जमीन का एग्रीमेन्ट राम प्रताप खेड़िया ने करवा लिया जिसका मुकदमा नम्बर 48/2004 पर थाना शिवदासपुरा में दर्ज करवा दिया । अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है । ये लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं व राजीनामा करने हेतु दबाव डाल रहे हैं । पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया है ।

इस शिकायत के संबंध में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, जयपुर से पत्र दिनांक 9.7.2004 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 1.11. 2004, तत्पश्चात् दिनांक 9.7.2007 एवं दिनांक 14.2.2008 द्वारा अवगत कराया कि परिवाद के संबंध में थाना शिवदासपुरा पर अभियोग संख्या 48/2004 धारा 420, 467, 468, 471, 474, 447, 120बी ता.हि. में पंजीबद्ध हुआ था जिसमें **बाद अनुसंधान अभियुक्त रामप्रताप पुत्र गणेश नारायण जाति रैगर उम्र 35साल निवासी मकान नं. 51, सीतापुरा, जयपुर के विरूद्ध चार्जशीट नं. 156/2004 दिनांक 19.11.2004 को धारा 420, 423, 447 ता.हि. में किता की जाकर चालान दिनांक 30.11.2004 को न्यायालय ए.सी.जे. (जे.डी.) जे.एम. क्रम 3 जिला जयपुर में पेश किया गया था जो न्यायालय में तलबी गवाहान के चल रहा है ।**

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद दिनांक 25.2.2008 को समाप्त किया गया ।

आयुर्वेद विभाग

एफ. 41(8)लोआस/2004

श्री रमाकान्त शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष, राजस्थान आयुर्वेद परिचारक संघ, जिला शाखा, अजमेर ने यह परिवाद प्रस्तुत कर श्री कनक प्रसाद व्यास, निदेशक, आयुर्वेद के विरूद्ध निदेशालय आयुर्वेद के अधीन संचालित आयुर्वेद औषधालयों में **17 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति करने, 75 आयुर्वेद चिकित्सकों की मेरिट बनाने में नियमों की अनदेखी कर**

14 चिकित्सकों की बिना मेरिट योग्यता के नियुक्ति प्रदान करने, कांट-छांट कर फर्जी अंकतालिका के आधार पर देवी सिंह सोडवाल को नियुक्ति देने, बनवारी लाल शर्मा, वरिष्ठ लिपिक निलम्बित को बिना समुचित कार्यवाही कर निलम्बन अवधि की सेवा अवधि मानते हुये पूर्ण वेतन देने आदि के आरोप लगाये ।

उक्त शिकायत के संबंध में शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 24.5.2006 एवं तत्पश्चात् पत्र दिनांक 16.1.2008 द्वारा अवगत कराया कि **17 फर्जी नियुक्ति प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों** का प्रकरण निदेशक श्री कनक प्रसाद व्यास के समय का नहीं है परन्तु इनके **विरूद्ध 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया के तहत् विभागीय जांच प्रारंभ की गई जिसमें आरोप प्रमाणित होने पर माह फरवरी, 2006 में इन्हें राजकीय सेवा से निष्कासित किया जाकर इनमें से 11 के विरूद्ध जिला आयुर्वेद अधिकारी, बांरा द्वारा तथा 6 के विरूद्ध जिला आयुर्वेद अधिकारी, बूंदी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा चुकी है** जिनमें अन्वेषण जारी है । **14 चिकित्सकों को बिना मेरिट योग्यता के नियुक्ति दिये जाने के प्रकरण की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की गई तथा निदेशक सहित अन्य संबंधित के विरूद्ध सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये गये। निदेशक, आयुर्वेद को पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिये अभिलिखित चेतावनी दी गई तथा अन्य के विरूद्ध कार्यवाही कार्मिक विभाग में विचाराधीन है । श्री देवी सिंह सोडवाल की शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका में हेराफरी कर आयुर्वेद विभाग में कम्पाउण्डर के पद पर संविदा नियुक्ति में दोषी पाये जाने पर नियुक्ति शर्तो के तहत् इसे सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है ।**

एफ. 41(10)लोआस/2004

परिवादी वैद्य रामगोपाल शर्मा, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भमोरिया, जयपुर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने दिनांक 30.11.2000 को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, परन्तु **चार वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उसके पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है ।**

इस शिकायत के संबंध में निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर से पत्र दिनांक 12.9.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 1.1.2008 के द्वारा अवगत कराया कि **परिवादी का पेंशन प्रकरण का निस्तारण हो चुका है जिसका पीपीओ नं. 166447(आर) तथा जीपीओ नं. 253829(आर) है ।**

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड

एफ. 43(11)लोआस/2003

श्री रामस्वरूप जांगिड़, भूतपूर्व उप भण्डार निरीक्षक, झालाना डूँगरी आगार, हाल ग्राम पोस्ट गुढ़ा कटला, बांदीकुई, जिला दौसा ने यह परिवाद दिनांक 17.9.2003 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने दिनांक 3.12.2002 को स्वेच्छिक सेवानिवृतित्त ली थी, परन्तु आठ माह

गुजर जाने के उपरान्त भी **उसे 9-18-27 का फिक्सेशन नहीं करने के कारण पेंशन, कम्यूटेशन एवं ग्रेच्यूटी का पूर्ण लाभ आज तक नहीं मिला है ।** उसने मुख्य प्रबन्धकों से सम्पर्क किया तो यह कहकर टाल दिया जाता है कि उसके विरूद्ध चार्जशीट पेण्डिंग है, जबकि 30.12.2002 को उसके विरूद्ध कोई चार्जशीट बकाया नहीं थी । परिवादी ने यह भी कथन किया कि श्री धर्मपाल यादव, उप अ.वि., तिजारा आगार हाल अलवर आगार एवं श्री शरण लाल हरिजन, यातायात निरीक्षक को गंभीर मामलों की चार्जशीट पेण्डिंग होने पर भी इनकी मांग पूरी होने पर उक्त लाभ दिया गया । परिवादी उसके पेंशन व अन्य लाभ शीघ्र दिलाने की प्रार्थना की ।

उपर्युक्त शिकायत के संबंध में अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जयपुर से दिनांक 2.6.2007 के पत्र द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में प्रबन्धक निदेशक ने अपने पत्र **दिनांक 18.7.2007 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को वांछित परिलाभों का भुगतान किया जा चुका है ।** उसे किसी प्रकार का भुगतान शेष नहीं है ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान कराया गया।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

एफ. 47(9)लोआस/2004

श्री रवीन्द्र नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुहाना, सांगानेर, जयपुर ने यह परिवाद **जी.पी.एफ. खाता संख्या 756870 के अंतिम भुगतान के संबंध में प्रस्तुत किया** जिस पर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 8.7.2004 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2004 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी की पासबुक का सत्यापन विभाग द्वारा कर दिये जाने के पश्चात् **अंतिम भुगतान के पेटे अधिकार पत्र संख्या 013042 दिनांक 2.7.2004 तादादी रूपये रूपये 1,83,552/- पत्र दिनांक 2.7.2004 के द्वारा जारी कर दिया गया है ।** यह भी अवगत कराया कि डी.ए. एरियर का भुगतान परिवादी से जी.ए. 55 प्राप्त होने पर राशि का सत्यापन होने पर मय ब्याज कर दिया जावेगा । **जून, 2004 तक का ब्याज दे दिया गया है ।**

परिवादी को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, परन्तु उसके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई जिस पर यह परिवाद पूर्ण अनुतोष प्राप्त होने की स्थिति में दिनांक 29.6.2007 को समाप्त किया गया ।

अध्याय-5

भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग की शिकायतों पर विभागों की असंवेदनशीलता

आयुर्वेद विभाग

एफ. 41(8)लोआस/2003

यह परिवाद दिनांक 11.11.2003 को श्री रमेश चन्द लववंशी, छात्र द्वितीय वर्ष, आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, लोंगिया, अजमेर द्वारा **प्राचार्य श्री हरिओम स्वामी के विरूद्ध** इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्री स्वामी को रिश्वत लेने के मामले में बर्खास्त किया गया था, परन्तु राजनीतिक पहुंच के कारण वापिस पदासीन हो गया और इसने यहां प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश देने के लिये प्रति छात्र **70,000 से 80,000 हजार रूपये रिश्वत के लिये हैं।** गजेन्द्र वैष्णव व शांति लाल कुम्हार विकलांग नहीं हैं, परन्तु उनसे 90,000 रूपये लेकर विकलांग बताकर प्रवेश दे दिया । पोस्ट ऑर्डर की राशि सरकार के खाते में जमा नहीं करवाई । बहुत से लड़कों को बुलावा पत्र ही नहीं भेजा और उनको अपने घर ले जाकर जला दिया । जिन लड़कों से पैसे ले लिये, उन्हें हाथों-हाथ घर बुला कर बुलावा पत्र दे दिये । परिवादी ने अपने उक्त आरोपों की सम्पुष्टि में संबंधित दस्तावेजात की फोटो प्रतियां भी प्रेषित कीं । अत: दिनांक 28.11.2003 को निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को पत्र प्रेषित कर उनसे तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । दिनांक 23.1.2004 को स्मरण पत्र जारी किया गया । परिवादी ने अपने पत्र दिनांक 29.1.2004 द्वारा इस सचिवालय को अवगत कराया कि उसके द्वारा शिकायत करने पर श्री हरिओम स्वामी द्वारा उसे कक्षा से निकाल दिया गया और उसे कक्षा में न बैठने देने के लिये एक नोटिस दिनांक 3.12.2003 को झूंठी शिकायत करने व संस्था को बदनाम करने बाबत, जिसकी प्रति भी परिवादी ने इस सचिवालय को प्रेषित की जारी कर दिया । इस पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर से मांगे जाने के आदेश दिनांक 31.1.2004 को पालना में पत्र दिनांक 10.2.2004 जारी किया गया ।

तत्पश्चात् निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 11.2.2004 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित किया जिसमें यह अंकित किया कि परिवादी की शिकायत की जांच श्री के.के.शर्मा, आर.ए.एस., अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर से करवाई । जांच रिपोर्ट के अनुसार **श्री हरिओम स्वामी, प्राचार्य के विरूद्ध प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु 30 से 80 हजार रूपये छात्रों से रिश्वत ली जाकर अनियमित प्रवेश दिये जाने का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।** जांच में यह भी पाया गया कि श्री स्वामी द्वारा एक सुनियोजित

तरीके से कम अंक प्राप्त करने वालेम अभ्यर्थियों को रिश्वत लेकर अनियमित प्रवेश दिये गये। इस हेतु नियमानुसार बुलावा पत्र रजिस्टर्ड डाक से न भेजकर यू.पी.सी. से भिजवाना दर्शाया गया। मेरिट में आने वाले छात्रों के बुलावा पत्र डाक विभाग के छोटे कर्मचारी से मिलीभगत करके भिजवाये ही नहीं गये तथा उनके स्थान पर कम अंकों वाले अभ्यर्थियों को अपनी स्वार्थपूर्ति करके प्रवेश दे दिये गये । जांच में यह भी पाया गया कि श्री स्वामी ने नियमों से बिल्कुल हट कर भी प्रवेश दिये । वर्ष 2001-2002 में पिछड़ा वर्ग महिला कोटे में उनके द्वारा चन्द्रकला वैष्णव को प्रवेश दिया गया जिसका नाम न तो इस वर्ग की मेरिट सूचित में था और न ही प्रतीक्षा सूची में था।इसी प्रकार वर्ष 2002-2003 में श्री सुनील दत्त पाल एवं श्री टीकमचन्द सोनी को ओ.बी.सी. पुरूष कोटे में प्रवेश दिया गया जबकि इनका नाम न तो मेरिट सूची में था और न ही कुल सीटों के पांच गुना आशार्थियों की प्रतीक्षा सूची थ । जांच में यह भी पाया गया कि प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर में विकलांग कोटे का मात्र एक स्थान है, परन्तु श्री स्वामी द्वारा नियमों से परे जाकर वर्ष 2001-2002 में दो विकलांग आशार्थियों को तथा वर्ष 2002-2003 में तीन विकलांग आशार्थियों को अनियमित प्रवेश दे दिया गया । श्री स्वामी के विरूद्ध पोस्ट ऑर्डर की राशि राजकोष में जमा नहीं करवाकर राशि का गबन करने का तथ्य भी प्रमाणित पाया गया ।

जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने यह अनुशंसा की कि प्रकरण में पाई गई गंभीर अनियमिताओं/भ्रष्टाचार को देखते हुए श्री हरिओम स्वामी, प्राचार्य को निलम्बित किया जाकर अजमेर से बाहर मुख्यालय किया जाना युक्तियुक्त होगा ताकि वे प्रकरण से संबंधित रिकार्ड को खुर्दबुर्द नहीं कर सके तथा प्रकरण से संबंधित गवाहों को भी प्रभावित नहीं कर सके ।

उपर्युक्तानुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 17.3.2004 के साथ रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर प्रगति से अवगत कराने हेतु लिखा गया । इसके पश्चात् स्मरण पत्र दिनांक 26.4.2004 व दिनांक 29.5.2004 जारी किये गये जिसके प्रत्युतर में पत्र दिनांक 2.7.2004 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री हरिओम स्वामी को कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 23.2.2004 को निलम्बित कर दिया गया। इसके पश्चात् काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् अंततः उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः प.10(38)आयु/03 दिनांक 21.2.2008 द्वारा अवगत कराया कि कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 8.5.2007 द्वारा **निर्णय लिया जाकर श्री हरिओम स्वामी, प्रोफेसर (स्वस्थवृत) तत्कालीन कार्यवाहक प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर को एक स्टेज नीचे रीडर के पद पर पदावनत किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है** । इस पर यह परिवाद दिनांक 13.3.2008 को समाप्त किया गया ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि श्री के.के.शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर की जांच रिपोर्ट, जो कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के पत्र दिनांक 11.2.2004 द्वारा इस सचिवालय को प्रेषित की गई एवं जिसमें परिवादी द्वारा लोकसेवक **श्री हरिओम स्वामी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया था, पर निर्णय लेने में तीन**

वर्ष का समय लगा दिया गया । भ्रष्टाचार व पद का दुरूपयोग की शिकायतों पर इतनी देरी से कार्यवाही करने से दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को नष्ट करने व प्रभावित करने की गुंजाइश बनी रहती है व इससे पीड़ित लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है । अतः यह **आवश्यक है कि इस तरह की शिकायतों की जांच तत्परता से की जावे व आरोप प्रमाणित होने पर दण्डादिष्ट किये जाने में अनुचित देरी न की जावे ।**

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

एफ. 10(21)लोआस/2005

परिवादी श्री गिरधारी सिंह पुत्र श्री केशुदान चारण, निवासी गांव शिव, पोस्ट गोटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर ने यह परिवाद **श्री रामजीवन जाखड़, कनिष्ठ अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रिया बड़ी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर के विरूद्ध पैसे लेकर बिजली की चोरी करवाने,** बिजली की चोरी की झूंठी रिपोर्ट बना कर व गलत चैकिंग रिपोर्ट बना कर किसानों से पैसे ऐंठने तथा जातिवाद फैलाने के आरोप लगाये व जांच करवा कर दण्डित करवाने की प्रार्थना की। परिवादी ने इस संबंध में अखबारों में छपी खबरों की कटिंग, पीड़ित किसानों के बयानों की फोटो प्रतियां प्रेषित की ।

परिवाद के साथ अधिशाषी अभियन्ता, मेड़ता सिटी द्वारा वरिष्ठ लेखा अधिकारी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को लिखे पत्र दिनांक 27.4.2005 की फोटो प्रति प्रेषित की जिसमें उनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि दिनांक 25.2.2005 को कनिष्ठ अभियन्ता, गोटन, सहायक अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) मेड़ता ने उपभोक्ता श्री गिरधारी सिंह पुत्र श्री किशन सिंह का कृषि कनेक्शन चैक किया व जांच प्रतिवेदन संख्या 9556/19 दिनांक 25.2.2005 तैयार किया जिसमें जांच के दौरान ट्यूबवैल पर विद्युत मीटर में ट्रांसफार्मर से एल.टी. लाइन से दो फेस डाइरेक्ट करके ट्यूबवैल चालू पाया जाना अंकित किया गया । जांच के दौरान् उक्त चैकि में मौजूद रहे सहायक श्री जोगाराम पुत्र श्री पांचूराम गर्जर ने बयान दिया कि उसने डाइरेक्ट तारों से सप्लाई नहीं देखी व कथन किया कि जांच प्रतिवेदन श्री रामजीवन जाखड़, कनिष्ठ अभियन्ता ने बाद में गोटन में ही भरा व वहीं उससे हस्ताक्षर करवाये। इस प्रकार अधिशाषी अभियन्ता ने अपनी जांच में **कनिष्ठ अभियन्ता श्री रामजीवन जाखड़ को जांच प्रतिवेदन सही नहीं तैयार करने का दोषी पाया** व उपभोक्ता को रूपये 26,403/- जमा करवाने का नोटिस संख्या 4963 दिनांक 15.3.2005 निरस्त किये जाने की अनुशंसा की ।

परिवाद के साथ संलग्न अधिशाषी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेड़ता सिटी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नागौर को लिखे गये पत्र दिनांक 13.5.2005 की फोटो प्रति से भी परिवादी के आरोपों की पुष्टि हुई जिसमें उनके द्वारा जांच करने पर यह अंकित किया गया है कि श्री रामजीवन जाखड़, कनिष्ठ अभियन्ता (ग्रामीण), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गोटन के विरूद्ध भ्रष्टाचार की उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों की जांच पर

पाया कि श्री रामजीवन जाखड़ का आचरण संदेहास्पद है । उसका उपभोक्ताओं के साथ आचरण ठीक तरह का नहीं है। समस्याओं के निवारण के प्रति संवेदनशील नहीं है । इस बाबत अक्सर उनके कार्यालय में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । अधिशाषी अभियन्ता ने अपने पत्र में यह अनुशंसा की कि कनिष्ठ अभियन्ता श्री रामजीवन जाखड़ पिछले सात-आठ वर्षो से गोटन में ही पदस्थापित है । इसलिये निगम हित में अन्यत्र स्थान पर पदस्थापन उचित रहेगा । अधिशाषी अभियन्ता, मेड़ता सिटी ने अन्य शिकायतों की जांच करके एक अन्य पत्र दिनांक 14.9.2005 अधीक्षण अभियन्ता, नागौर को प्रेषित किया जिसमें भी श्री रामजीवन जाखड़ को बिजली चोरी करवाने में लिप्त पाया ।

उपर्युक्तानुसार परिवाद एवं उसकी सम्पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, **अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से पत्र दिनांक 5.7.2007 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया** जिसके प्रत्युत्तर में उनके पत्र क्रमांक: अविविनिलि/अधि. अभि. /ग्रिवेन्सेज/प्रे.5747 दिनांक 20.8.2007 द्वारा यह अवगत कराया गया कि परिवादी श्री गिरधारी सिंह पुत्र श्री केशुदान की श्री रामजीवन जाखड़ के विरूद्ध की गई शिकायत की **जांच अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अविविनिलि, नागौर द्वारा अधिशाषी अभियन्ता (पवस) अविविनिलि, मेड़ता सिटी से कराई गई जिसमें उन पर लगाये गये आरोप सही पाये गये ।** अत: लोकसेवक श्री जाखड़ को अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कार्य किये जाने पर अधीक्षण अभियन्ता (पवस), अविविनिलि, नागौर द्वारा आरोप पत्र जारी कर कार्यालय आदेश सं. 50 दिनांक 24.7.2007 द्वारा **एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश प्रसारित किये गये जिस पर यह परिवाद दिनांक 22.2.2008 को समाप्त किया गया।**

यहां यह उल्लिखित किया जाना उचित होगा कि लोकसेवक श्री जाखड़ को दिये गये दण्ड की मात्रा उसके विरूद्ध साबित किये जाने योग्य पाये गये आरोपों, जो कि काफी गंभीर प्रकृति के हैं, के अनुरूप नहीं था, उसे और अधिक कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी ताकि आम लोगों, खासकर किसानवर्ग में कानून के शासन में विश्वास बना रहे। विद्युत कम्पनियों को लोकसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग की प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए तभी उसे आम जनता का विश्वास प्राप्त हो सकेगा।

पंचायती राज विभाग

एफ. 12(16)लोआस/2003

परिवादी श्री हेमराज माली ग्राम फूल बड़ौदा, पंचायत समिति छीपाबड़ौद, जिला बारां ने यह परिवाद दिनांक 28.4.2003 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि **ग्राम पंचायत, फूल बड़ौदा के सचिव श्री हीरा लाल वर्मा ने परिवादी से ऋण दिलाने का लालच देकर 500 रूप्ये रिश्वत प्राप्त की ।** परिवादी को न तो ऋण ही दिलवाया और न ही उक्त रूपये ही लौटाये उल्टे उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया । जिला प्रशासन को शिकायत करने पर भी कार्यवाही

नहीं हुई । यह भी आरोप लगाया कि सचिव ने गांव के अन्य बेरोजगार युवकों से भी इसी प्रकार रूपये लिये हैं । अत: जांच कर कार्यवाही की जावे ।

उक्त शिकायत के संबंध में निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 13.5.2003 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 11.11.2003 के द्वारा अवगत कराया कि परिवाद की जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां से कराई गई जिसमें लोकसेवक श्री हीरालाल, ग्राम सेवक को दोषी नहीं पाया गया । परिवादी को जांच रिपोर्ट अवलोकन कर आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जिस पर उसके द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसमें अपने आरोप को दोहराया । इस पर निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से परिवादी की आपत्तियों के मद्देनजर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 13.9.2004 के द्वारा अवगत कराया कि **ग्राम सेवक श्री हीरालाल के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच कराये जाने पर उसे प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है** जिस पर उसके विरूद्ध 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही कराये जाने का निर्णय लिया गया है । पत्र दिनांक 19.5.2005 के द्वारा अवगत कराया गया कि **लोकसेवक श्री हीरालाल को एक वेतनवृद्धि रोकने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है ।**

इस प्रकार परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद दिनांक 26.6.2007 को समाप्त किया गया । यह प्रकरण यह भी दर्शित करता है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर किस प्रकार से लीपापोती की जाती है ।

सिंचाई विभाग

एफ.23(2)लोआस/2002

परिवादी श्री हरीश गौरव निसासी 1 आर-56, गायत्री नगर, सेक्टर 5, उदयपुर ने यह परिवाद दिनांक 20.4.2002 को लोकसेवक श्री लोकेश कोठारी, अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, डूँगरपुर के विरूद्ध गेपसागर ताला, डूँगरपर के डि-सिल्टीकरण एवं कोजवे निर्माण कार्य में फर्जी टेण्डर व खुमान सागर की फीडर में फर्जी मशीनों के हायर पर्चेज के संबंध में प्रस्तुत किया था । परिवाद में लगाये गये आरोपों की सम्पुष्टि में बड़ी संख्या में दस्तावेजात की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की जिस पर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 9.7.2002 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई ।

मुख्य अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक 29.11.2002 के द्वारा अवगत कराया कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग, उदयपुर के पत्रांक वनिस/अमुअसिं/उदय/शिका/17223 दिनांक 31.10. 2002 से प्राप्त पत्र के साथ अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, जाखम परियोजना वृत उदयपुर से विस्तृत जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायत निराधर है, जिससे अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई

संभाग ने अपनी सहमति प्रदान की है, जिससे यह कार्यालय भी सहमत है । परिवादी द्वारा दिनांक 29.8.2003 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले की गहराई से की प्रार्थना किये जाने पर इस सचिवालय के पत्र दिनांक 20.10.2003 के द्वारा शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर को परिवाद, प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट व परिवादी की आपत्तियों की प्रति भिजवाकर इनकी जांच विशेष जांच निरीक्षक दल से करवाने एवं लिये गये निर्णय से इस सचिवालय को अवगत कराने हेतु लिखा गया ।

प्रत्युतर में पत्र क्रमांक: प.5 (9)वित्त/अंकेक्षण/2003 दिनांक 25.6.2004 द्वारा निरीक्षण विभाग द्वारा परिवाद के संबंध में विशेष जांच दल द्वारा सम्पादित कराई गई जांच का प्रतिवेदन संख्या 18/2003-2004 भिजवाया गया जिसमें अपंजीकृत ठेकेदार को निविदा की प्रति विक्रय करने, कार्य स्वीकृत करने, सक्षम स्वीकृति के अभाव में नियम विरूद्ध तरीके से अंतिम बिल का भुगतान करने, निविदा दिये जाने के नियमों की अवहेलना किये जाने आदि के आरोप सही पाये गये । ऐसी स्थिति में दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करने हेतु शासन सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 4.9.2004 के द्वारा लिखा गया ।

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा.स. (कार्य), वास्ते मुख्य अभियन्ता, जन संसाधन, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 24.10.2007 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री हरीश गौरव की शिकायत पर श्री लोकेश चन्द कोठारी, तत्कालीन अधीशाषी अभियन्ता, सिंचाई, खण्ड डूँगरपुर के विरूद्ध खुमान सागर व गेपसागर के मामलों में आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं। कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 6.12.2007 के द्वारा उक्त लोकसेवक को 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत जारी आरोप पत्र की प्रतियां भी इस सचिवालय को प्रेषित की गई जिस पर यह प्रकरण दिनांक 9.1.2008 को समाप्त किया गया ।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, जाखम परियोजना वृत उदयपुर ने परिवाद में लगाये गये आरोपों की जांच सही तरीके से नहीं की और **अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग, उदयपुर ने उनकी जांच पर बिना अपना दिमाग लगाये सहमति प्रदान करदी तथा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थन ने भी जांच रिपोर्ट बिना कोई विवेचन किये ही अपनी सहमति प्रदान करते हुए इस सचिवालय को प्रस्तुत करदी** जिससे जाहिर होता है कि **विभाग के अधिकारी एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं और यदि उन्हें किसी प्रकरण की जांच करने के आदेश दिये जाते हैं वे उसमें लीपापोती करने का पूरा प्रयास करते हैं।**

अध्याय-6

लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता

6.1 लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जावे-

देश में विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना राज्य विधियों के अन्तर्गत की गई है । ऐसी स्थिति में इन लोकायुक्त विधियों के प्रावधानों में एकरूपता नहीं है । विभिन्न राज्यों के लोकायुक्त अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के **तुलनात्मक विश्लेषण** से भी स्पष्ट है कि इन अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों में कोई एकरूपता नहीं है । इस संस्था का संवैधानिक दर्जा नहीं होने के कारण कुछ राज्यों में इस संस्था को समाप्त भी कर दिया गया। कुछ राज्यों में लोकायुक्त का पद लम्बे समय से रिक्त चलते रहे हैं।

अतः सभी राज्यों में लोकायुक्त विधियों के प्रावधान एकसमान हों, इस हेतु संविधान में प्रावधान किया जाना एवं केन्द्रीय विधि बनाया जाना आवश्यक है । लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने मांग इसकी स्थापना के समय से विभिन्न लोकायुक्त सम्मेलनों द्वारा, अनेक प्रख्यात विशिष्टजनों एवं लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा की जाती रही है। इस संबंध में पूर्व के प्रतिवेदनों में भी लिखा जा चुका है ।

तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने आठवें लोकायुक्त सम्मेलन, देहरादून (27 से 29 सितम्बर, 2004) में अपने उद्घाटन भाषण में लोकपाल/लोकायुक्त को संवैधानिक स्तर प्रदान किये जाने के संबंध में विचार व्यक्त किये थे, उन्हें उद्धृत किया जा रहा है-

> "The selection of Lokayukta and Lokpal needs special attention. The wide spread suspicion among the citizens about administrative and political corruption corrodes the very roots of democracy. During my interaction with students, I find this thought is commonly prevalent in the minds of our younger generation. **To revive the confidence of citizens and also to shore up the position of our nation in the corruption perception index, it is essential to strengthen the internal checks and balances of the democratic system through a constitutionally instituted mechanism. In this effort, Lokpal/Lokayuktas can play a pivotal role.**
>
> To add respect, dignity and confidence in these institutions, the appointment of Lokpal/Lokayukta can be done by a two stage selection and appointment process. In the first stage, the short listing of promising candidates for appointment as Lokayukta/Lokpal can be made by a duly appointed collegium of prominent members drawn from all walks of society. They may recommend, a few suitable names for each Lokayukta/Lokpal/Upa-Lokayukta appointment to the

Government. A uniform service/appointment conditions of the Lokpal/Lokayuktas have to be evolved."

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी उसी आठवें लोकायुक्त सम्मेलन, देहरादून में अपने समापन भाषण में लोकपाल/लोकायुक्त को संवैधानिक स्तर प्रदान किये जाने के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किये थे :-

"In this context, let me suggest a few measures to further raise its stature and standing and ensure greater effectiveness of the institution of Lokayukta. There exists a wide variety in composition and functioning of these institutions at the state level. **Therefore, uniformity of their structures, power, functions and jurisdiction has been underlined from time to time and it merits serious consideration. Successive Lokayukta Conferences have demanded Constitutional status to these institutions on the pattern of the Election Commission and the Comptroller and Auditor General of India. I see great merit in this** proposal. However, before granting such status, there is a need to objectively assess the performance of these institutions. The selection process of Lokayukta has to be made sufficiently robust and impartial to inspire confidence among the people. Lokayuktas also need to evolve procedures for carrying on business, which should be systematic, speedy and effective. This will ensure that citizens not only get justice but also see justice being done in a reasonable time frame. By giving adequate powers and resources to handle complaints and take up independent investigation, we can facilitate this process.

In conclusion, I would like to say that I am sure that the 8th Conference of Lokayuktas and Uplokayuktas has afforded opportunities to all of you to exchange ideas and experiences and stimulate constructive thought for meaningful action. The instrumentality of Ombudsman is of immense significance in revitalising democratic institutions all over the world. In our own country, while such an institution has been found useful at the State level, we have to replicate it at the national level by enacting appropriate legislation. At the same time, **I also take note of your recommendation of a need for Central legislation to amend the Constitution to make it obligatory for all states to set up the institution of Lokayukta."**

माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधाराव, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग ने अपने सम्बोधन में ये विचार व्यक्त थे :-

"If we read the speeches made and views expressed in the various articles published at the last several conferences of the Lok Ayuktas/Lokpals, we find that very valuable suggestions have been made but practically nothing has come about. Some States still do not have Lok Ayuktas/Lokpals and those that have, do not have adequate powers. It has been repeatedly pointed that there is no uniformity in legislation made in the various States and that most statutes do not grant adequate powers to the Lok Ayuktas/Lokpals at least to the extent granted by the Karnataka and Madhya Pradesh Acts. In the various Acts, jurisdictions vary and classes of persons covered also vary. This variance has led to two significant

recommendations in the previous Conferences. One relates to producing a Model Lok Ayukta Act to be adopted by each State and the other recommendation is for seeking Constitutional status. A Model Lok Ayukta Act 2001 has indeed been prepared by the participants in the previous Conferences. **Several Committees and Commissions, including the recent Commission to Review the Constitution, have also advocated that** the institution be given Constitutional status.

That is where we stand now. At the national level, the Lok Pal Bill, which has lapsed on several occasions in Parliament, is yet to become law. "

लोकायुक्त संस्था को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु 27-29 सितम्बर, 2004 को देहरादून में सम्पन्न हुए आठवे अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल /उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन, 2004 में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधा राव, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये, उनके प्रमुख अंशों को यहां उद्धृत किया जाना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है :-

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलामः-

"The jurisdiction of the Lokayuktas has been a great subject of debate in the country. In some States it has been made applicable over all elected representatives including the Chief Minister. In some other States it has no power over the Chief Minister and MLAs. In yet other States, the Chief Minister and bureaucracy are outside its purview. Thus we can see, there is no uniform thinking in the jurisdiction of Lokayukta all over the country.

In my view all elected representatives and all top level executives in the States who are responsible for executing the schemes of the Government should be brought under the purview of this body. I would even suggest that the office of the fountain head of judiciary, which in our system is the President, be also brought under the purview of Lokpal. However, it is to be ensured by the Lokayukta that the elected representatives and the Govt servants do not become a victim of vilification campaign by vested interests. Sufficient safeguards have to be built in to ensure that no pathfogging takes place to redicule these high offices just for the sake of doing so.

I understand that there is no uniformity in legislation made in the various States regarding the functioning of the Lokayuktas and most Statutes do not grant adequate powers to the Lokayuktas. In the various States' acts jurisdiction vary and the classes of persons to be covered also vary. There is need to address this anomaly in the national scale. I was also told that a model Lokayukta Act was prepared by the participants of previous conference. It may be appropriate for the Government to appoint a review committee of jurists to review the model Lokayukta Act, with a view to injecting more simplicity, which, after public debate, can be made applicable on a national scale.

I am sure in times to come the Lokayukta/Lokpal would emerge as a powerful effective institution with a strong moral force that would serve as a healthy check against the abuse of authority by certain elements in the society and make India a model of transparent progressive democracy. "

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंहः-

"The establishment of the institutions of Lokayukta and Uplokayukta is part of an ongoing effort to provide clean, transparent and accountable government to the people. Our struggle for independence too was also a struggle for good governance. Mahatma Gandhiji had understood the gathering crisis of corruption and prophesied that the public would need to be in the forefront in exposing corrupt practices and taking to task those who were involved in them.

As part of their responsibilities, Lokayuktas have been unearthing corruption cases, recommending measures to redress grievances of the people and above all, acting as a much needed safety valve to release the bottled up pressure of aggrieved citizens, which, if allowed to accumulate, would put a question mark on the credibility of our administrative apparatus. In many States, the work of Lokayuktas has brought to light the misdeeds of public functionaries and alerted them to discharge their responsibilities with care, sensitivity and concern for the public interest. **The very existence of a Lokayukta helps to generate a feeling of assurance among the public at large, that they have a mechanism to fall back upon when faced with corrupt public servants. Such a perception is itself an important factor in an accountable, clean responsive and responsible administration.**

There is also a broad agreement that public functionaries, directly or indirectly elected by and responsible to the public such as Members of Parliament and Ministers, including the Prime Minister, should be brought within the purview of the Lok Pal legislation.

As institutions to look into the conduct of highly placed public functionaries, the Lokayukta is a potent instrument to keep a check on administrative high-handedness and injustice. It should not be perceived as an overbearing organisation creating bottlenecks in the functioning of Government and coming in the way of administrative machinery in carrying out its duties.

In fact by pointing out mistakes, identifying problem areas and exposing the black sheep in administration, the Lokayukta is rendering valuable service in making our State Governments more effective.

In this sense it is an institution, which is a friend of the administration and complements the national effort for good governance".

माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधाराव, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोगः-

"Corruption, inefficiency, delays and insensitivity to people's grievances have been identified as key problems with which the Lok Ayuktas/Lokpals are to deal with in their functions. The present incumbents in these high offices, who are either

former Supreme Court Judges or Chief Justices or Judges of the High Court or Senior bureaucrats appear to have a genuine feeling that, in the last more than two decades, **these institutions have not had the desired impact due to various reasons, including the apathy of the governments and inadequacies inherent in the various legislations.** That, in fact, is the reason for holding periodical Conferences to highlight the problems that are being faced by the Lok Ayuktas/Lokpals.

Article 36 of the latest UN Convention against corruption exhorts that 'specialized authorities' be created. It states:-

> 'Art.36: Each State shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement. Such body or bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of the legal system of the State party, to be able to carry out their functions effectively and without any undue influence. Such persons or staff of such body or bodes should have the appropriate training and resources to carry out that work.'

The above Article of the Convention obviously contemplates mechanisms like the Lok Ayukta/Lokpal to be constituted, apart from the regular anti-corruption agencies of Governments.

आठवें लोकायुक्त सम्मेलन में इस संबंध में पारित प्रस्ताव निम्नवत् है:-

Resolution No.2 : The President of the Association shall address letters to Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Union Home Minister, Hon'ble Union Law & Justice Minister, Hon'ble Union Minister for Parliamentary Affairs and Hon'ble Leader of Opposition in Lok Sabha requesting them to **take necessary steps for making provisions in the Constitution of India, so as to oblige every State and Union Territory in India, to have the Institution of Lokayukta and also to ensure its independent and effective functioning and also to** make central legislation in this regard on the pattern of Model Lokayukta Bill.

उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्तों की एसोसियेशन की एक बैठक दिल्ली में दिनांक 20.11.2004 को सम्पन्न हुई जिसने एक केन्द्रीय लोकायुक्त विधि का प्रारूप बनाने हेतु एक उप समिति का गठन किया । तदनुसार उप समिति ने बिल का प्रारूप तैयार किया जिसे अंतिम रूप से एसोसियेशन की बैठक दिनांक 8.2.2005 में अनुमोदित किया गया । एसोसियेशन ने माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच.ए.रजा, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड को उक्त प्रारूप बिल को महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री एवं केबीनेट द्वारा संस्थापित मंत्रियों के समूह, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विधि मंत्री एवं विज्ञान एवं टेक्नोलोजी मंत्री सम्मिलित थे, को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया । दिनांक 10.2.2005 को बिल का प्रारूप उपर्युक्त डिगनेटरीज को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। **प्रारूप लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त बिल 2005 परिशिष्ट-''सी''** में दिया गया है ।

उक्त बिल को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने अपनी चौथी रिपोर्ट के चैप्टर 4 के पैरा 4.4.5 में उद्धृत किया है । **आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रावधान किये जाने की अनुशंसा की है** तथा राज्यों के लोकायुक्त संगठनों को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है जो निम्नानुसार है:-

"4.3.15 Recommendations:

(a) **The Constitution should be amended to provide for a national Ombudsman to be called the Rashtriya Lokayukta**. The role and jurisdiction of the Rashtriya Lokayukta should be defined in the Constitution while the composition, mode of appointment and other details can be decided by Parliament through legislation.

4.4.9 Recommendations:

(a) **The Constitution should be amended to incorporate a provision making it obligatory on the part of State Governments to establish the institution of Lokayukta** and stipulate the general principles about its structure, power and functions."

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट (जनवरी 2007) का संबंधित अंश **परिशिष्ट-'सी-1'** में दिया गया है ।

6.2 लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया जावे :-

दिनांक 1.5.2007 को लोकायुक्त पद ग्रहण करने के लगभग पांच माह पश्चात् तक मैंने यह महसूस किया कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1973) को बनाये जाने के उद्देश्य इस अधिनियम की कई कमियों के कारण प्राप्त नहीं पाये हैं । इसकी प्रस्तावना में इसे बनाये जाने का एक प्रमुख उद्देश्य कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करना है परन्तु ''लोकसेवक'' की परिभाषा में कई ऐसे अधिकारी/लोकसेवक/लोककृत्यकारी सम्मिलित नहीं हैं जो कि सरकार/स्थानीय निकायों/निगमों की सेवा में हैं या उनके वेतनभोगी हैं । इसे दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम में संशोधन किये जाने के लिए मेरे द्वारा एक विस्तृत अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक: एफ.1(4)एलएएस/2007/6155 दिनांक 4.10.2007 **परिशिष्ट-'सी-2'** माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया था जिसकी सारांश प्रति निम्नानुसार है :-

"After working as Lokayukta, Rajasthan for more than five months, I have felt that the objectives, for which the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 (Act No. 9 of 1973) was brought on Statute Book, have not been achieved. It is because of the obvious shortcomings in the Act itself.

The Preamble of the Act says "for the investigation of allegations against the Ministers and public servants.........". However, the definition of **'public servant'**

does not cover many officers/officials/functionaries, who are in the service or pay of the Government/Local authorities/Corporations etc.

For example the definition of **'public servant'** appearing at sub-clause (b) of sub-clause (iv) of clause (i) of Section 2 of the Act does not cover the persons in the employment of or on deputation in the Rajasthan State Road Transport Corporation (hereinafter called 'the RSRTC'). Various complaints have been received against the officers/officials of the RSRTC, but it is not possible to proceed against them because of the words used in sub-clause (b) of sub-clause (iv) of clause (i) of Section 2. The relevant provision reads as follows:-

> "2(i)(iv)(b) any corporation (not being a local authority) **established by or under a State Act** and owned or controlled by the State Government,"

The RSRTC has been established under the Central Act. At the same time, it is owned and controlled by the State Government. The officers/officials working in the RSRTC can be brought under the purview of the Rajasthan Lokayukta Act, 1973, if the words **"or Central Act"** are added after the words **"Act"** and before the words "**and owned**".

It is, therefore, suggested that a provision be made in the manner as it finds place in the Karnataka Lokayukta Act 1984. There the relevant provision at sub-clause (ii) of sub-clause (g) of clause (12) of Section 2 reads as follows:-

> "2(12)(g)(ii) a statutory body or a corporation (not being a local authority) **established by or under a State or Central Act**, owned or controlled by the State Government and any other board or Corporation as the State Government may, having regard to its financial interest therein by notification, from time to time, specify;"

Then**,** it is seen that the **employees of the Universities** are not covered by the definition of **'public servant'** in our Act. It may be noticed that our Act was brought into force in 1973. Thereafter the situation has changed a lot. The Prevention of Corruption Act has been amended. Rather new Prevention of Corruption Act of 1988 has been brought on the Statute Book wherein the definition of a **'public servant'** has been given, which comprises of 12 sub-clauses. Relevant sub-clause (xi) of clause (c) of Section 2 reads as follows:-

> "2(c)(xi) Any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University and any person whose services have been availed of by a University or any other public authority in connection with holding or conducting examinations;"

It is not uncommon that these days serious allegations of corruption are made against the officials mentioned in the above said sub-clause (xi) of the Prevention of Corruption Act. The leakage of the Question Papers is often heard. There are complaints against Invigilators also. So also against the Examiners. Therefore, it is

desirable that a suitable amendment is made in our Act in terms of sub-clause (xi) referred to above.

It is significant to point out that as per the provisions of Section 2(12)(g)(vi) of the Karnataka Lokayukta Act, **any person, who is in the service or pay of a University** is treated as **'public servant'**.

It is, therefore, suggested that Section 2(i) be amended suitably so as to include the provision like Section 2(c)(xi) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

So also the **Sarpanchas**, **Up-Sarpanchas** and **Panchas** elected to the Panchayats and the persons in the service of Panchayats are not included in the definition of **'public servant'**. Various complaints are received against the **Sarpanchas**, **Up-Sarpanchas** and **Panchas**, who have got financial powers in the execution of developmental works. It is, therefore, desirable that **Sarpanchas**, **Up-Sarpanchas** and **Panchas** and **persons in the service of Panchayats** are included in the definition of **'public servant'**.

It is significant to point out that the **Pramukh** and **Up-Pramukh** of Zila Parishad and **Pradhan** and **Up-Pradhan** of Panchayat Samiti and Chairman of any Standing Committee have been included in the definition of **'public servant'** at sub-clause (a) of sub-clause (iii) of clause (i) of Section 2 of the Act, but **Sarpanchas, Up-Sarpanchas** and **Panchas of Panchayats** and **persons in the service of Panchayats** have not been included. There cannot be any justification for not including these authorities i.e. **Sarpanchas, Up-Sarpanchas** and **Panchas** and **persons in the service of the Panchayats, Panchayat Samitis** and **Zila Parishads** in the definition of **'public servant'**. It may also be pointed out here that in the provision mentioned in sub-clause (a) of sub-clause (iii) of clause (i) of Section 2, there is reference of Panchayat Samiti and Zila Parishad Act, 1959, which is probably not in force now. After the coming into the force of the 73rd Constitutional Amendment, whereby new Articles 243A to 243O have been added and the new Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) has been enacted, the reference of old law has to be avoided.

It is, therefore, suggested that necessary amendments be made in Section 2 of the Act to include **Sarpanchas**, **Up-Sarpanchas** and **Panchas of the Panchayats** and **the persons, who are employed by the Panchayats, Panchayat Samitis** and **Zila Parishads**. At the same time, the existing Section 2(i)(iii) deserves to be amended.

That apart, the Government constitutes various **Committees or Boards**, some of which are statutory and some are non-statutory. The individuals manning such Committees/Boards and the **persons in the service or pay of such Committees/Boards** are also not covered in the existing definition of **'public servant'**.

As already stated, our Act came into force in the year 1973 when there might not be such Committees/Boards and no necessity was felt of including the members

and staff of those Committees/Boards. Now it is imperative need to include the **Chairman/Members** as also the **persons in the service or pay of such Committees/Boards** in the definition of **'public servant'**. Necessary amendment may be made in this regard.

Then, the **Cooperative Societies** and the Cooperative Banks have also not been included in the definition of **'public servant'**. Though complaints are often received against the Managers of the Cooperative Banks and the **persons in the service or pay of** such Cooperative Societies. In the Karnataka Lokayukta Act, there is a clear provision that a person in the service or pay of a Cooperative society is a public servant. In my view, similar provision requires to be added in clause (i) of Section 2 of the Act.

Further, it is noticed that the definition of **'public servant'** in our Act does not cover a **'public servant'**, who has ceased to hold the office. It means that once a **'public servant'** retires from the service or post or lays down his office, he gets absolved, though there might be already pending complaints of serious charges of corruption against him. Therefore, it is suggested that in the definition of **'public servant'**, it may be made clear that **a person, who is or was at any time** holding the position enumerated in the various sub-clauses of clause (i) of Section 2 shall be deemed to be a public servant. This amendment will take care of the public servants, who were involved in corruption, but have retired/laid down their office.

The aforesaid amendments will go a long way to enable the office of Lokayukta to entertain and enquire into the complaints, which are filed against the officers/officials of RSRTC and the Universities, functionaries under the Panchayati Raj Act, Cooperative Societies Act and the various Committees/Boards.

Apart from the above suggestions, it may also be considered to include the **members of the State Legislature** in the definition of a public servant. In the Karnataka Lokayukta Act, 1984, a Member of the State Legislature is treated as **'public servant'**.

You are, therefore, requested kindly to consider the matter and take appropriate action. "

उपर्युक्त संशोधनों के अतिरिक्त निम्न संशोधन भी किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए:-

धारा 5 (1) में संशोधन की आवश्यकता :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5(1) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि पांच वर्ष की है । मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि छः वर्ष है। पदावधि की इस विसंगति को दूर करने एवं इसे छः वर्ष करने के लिये पूर्व में 12वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी लिखा गया था, जो निम्नानुसार है -

"Sec. 5 (1) Conditions of Service.

The term of office of the Member of the Public Service Commission as provided in Article 316 (2) of Constitution is six years. Similarly the term of office the

Comptroller and Auditor General of India is six years as provided in Section 2 of the Comptroller and Auditor General (Conditions of Service) Act, (XXI of 1953). To make the law uniform, the State of Uttar Pradesh has also amended Section regarding the term of the Office of Lokayukta and now the term of Office of the Lokayukta is six years. Similarly amendments have been moved in other Acts in other States.

It is, therefore, proposed that in Section 5 (1) the words "six years" should be substituted for the words "five years".

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि में एकरूपता होना उचित है ।

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 5(1) में संशोधन किया जाकर लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि 6 वर्ष की जावे ।

धारा 8(3) के संशोधन की आवश्यकता:-

धारा 8(3) शिकायत प्रस्तुत किये जाने की जो पांच वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, वह उचित नहीं है । कई मामलों में यह देखा गया है कि भ्रष्ट व्यक्ति इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे अपने प्रभाव से या उनके डर के कारण उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की कोई शिकायत उनके पदासीन रहते नहीं की जाती । कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के मामले पांच वर्ष बाद उजागर होते हैं । ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारियों को केवल समय सीमा लाभ देकर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः धारा 8(3) के नीचे यह परन्तुक जोड़ा जाना चाहिए कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उक्त पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी शिकायतों के संबंध में अन्वेषण कर सकेंगे, जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, शिकायत को उक्त अवधि में प्रस्तुत न करने के शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये कारणों से संतुष्ट हों।

धारा 9(1) में संशोधन कर लोकसेवकों को भी शिकायत किये जाने की अधिकारिता दिये जाने की आवश्यकता:-

भ्रष्टाचार, पद का दुरूपयोग, भाई-भतीजावाद आदि कृत्य लोकसेवकों द्वारा ही किये जाते हैं और इनकी सबसे अधिक जानकारी भी लोकसेवकों को ही होती है, परन्तु उन्हें लोकायुक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं दी गई है । इसका कोई उचित कारण नजर नहीं आता है । इसी कारण बहुत सारी शिकायतें गुमनाम या छद्मनाम से प्राप्त होती हैं, जिनमें से जांच किये जाने योग्य मामला बनना पाये जाने पर लोकायुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर जांच के आदेश दिये जाते । ऐसी स्थिति में किसी लोकसेवक को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता न देना तर्कसंगत नहीं लगता

है । दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकसेवकों को भी शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है ।

अतः यदि वास्तव में हम भ्रष्टाचारमुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के सभी उपायों को अपनाना ही होगा और इस हेतु लोकसेवकों को, जो कि भ्रष्टाचार के स्रोतों एवं भ्रष्टाचारियों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके सबूतों के बारे में जानते हैं, को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता देनी होगी ।

इसके लिये धारा 9(1) में आंशिक संशोधन करते हुए शब्द ''लोक सेवक से भिन्न'' को हटाया जाना उचित होगा ।

शपथ पत्र को समाप्त किये जाने की आवश्यकता :-

धारा 9(2) सपठित नियम 4, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शिकायत ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे शपथ पत्रों सहित प्रस्तुति की जायगी जो विहित किये जायें।

इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश जनता अब भी अधिक पढ़ी-लिखी नहीं है । लोग अब भी कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते । उन्हें ऐसी संस्था की आवश्यकता है, जहां उन्हें वकीलों और अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता न पड़े और यह सब लोकायुक्त सचिवालय प्रदान कर सकता है । आज अधिकाधिक लोग फैक्स व ई-मेल का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण मूल शपथ पत्र आदि प्रेषित किया जाना संभव नहीं है ।

लोकायुक्त सचिवालय के लिये अब इन नवीनतम माध्यमों को नकारना उचित नहीं होगा । इसके अतिरक्त जब लोकायुक्त को स्वमेव स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिये जाने की शक्ति प्रदत है और लोकायुक्त का कार्य केवल जांच करना व मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर केवल अपनी सिफारिश करना है तो फिर किसी शिकायत के संबंध में प्रारूप निर्धारित किये जाने या उसके समर्थन में कोई शपथ पत्र को प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

अतः समय की आवश्यकता को देखते हुए व आम जनता के हित को देखते हुए धारा 9(2) को विलुप्त किया जाना उचित होगा।

धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) को समाप्त करने की आवश्यकता:-

धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में यह प्रावधान है कि जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त (ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे)

लोकायुक्त अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करना प्रस्थापित करते है, तो वह उस शिकायत की प्रतिलिपि, या किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में, जो वह स्वप्रेरणा से करना प्रस्थापित करे, उसके लिये आधारों का एक विवरण, संबंधित लोक सेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेंगे, संबंधित लोक सेवक को उस शिकायत या विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे ।

जहां तक औपचारिक अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रावधान है, वह उचित है, परन्तु अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व ही संबंधित लोकसेवक को प्रतिलिपि या सारांश दिये जाने और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये जाने से अन्वेषण का महत्व ही निष्फल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश मामलों में संबंधित लोकसेवक द्वारा रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ किये जाने और गवाहों को डराने-धमकाने या अपने प्रभाव में लेने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । लोकसेवक को विभागीय जांच अथवा अभियोजन के दौरान् अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है।

अतः धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और अन्वेषण के दौरान् क्या प्रक्रिया अपनाई जावे, इसे लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त के विवेक पर छोड़ देना चाहिए ।

तलाशी एवं जब्ती की शक्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकताः-

धारा 11(2)(ख) के अनुसार लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त को किसी भी अन्वेषण एवं प्रारंभिक जांच के प्रयोजनार्थ किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त हैं, किन्तु अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि लोकायुक्त द्वारा तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है, एवं अनैतिकता से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती का आदेश भी दिया जा सकता है ।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात के लोकायुक्त अधिनियमों में तलाशी एवं जब्ती का वारंट जारी करने की शक्ति विशिष्ट रूप से प्रदत्त हैं ।

अतः अन्वेषण/जांच के उचित एवं लाभदायक निस्तारण के लिये राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में भी तलाशी एवं जब्ती का विशिष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए।

सिफारिश की पालना :-

वर्तमान धारा-12 की उप धारा (2) में यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा(1) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से

तीन मास के भीतर लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई की सूचना देगा ।

अभी तक का अनुभव यह बताता है कि इस वैधानिक प्रावधान की पालना सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती है । प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में सूचना कई स्मृति पत्र जारी करने के बाद महीनों एवं वर्षो के बाद दी जाती है । तब तक सिफारिश का महत्व ही समाप्त हो जाता है ।

आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर बिना किसी अग्रिम जांच के किसी लोकसेवक को अपने पद से हटाया जा सकता है । कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि लोकायुक्त इस संबंध में संतुष्ट हो कि संबंधित लोकसेवक को उसके पद पर से हटना चाहिए, तो उस स्थिति में इस आशय की घोषणा कर दी जावेगी ।

यह भी प्रावधान है कि लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली ऐसी घोषणा यदि 3 माह में अस्वीकार नहीं की जाती है, तो उसे स्वीकृत माना जायेगा । यदि संबंधित लोकसेवक अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार ऐसे लोकसेवक को उस पर लागू सेवा नियमों के अनुसार निलम्बित रखने की कार्यवाही करेगी ।

महाराष्ट्र, उड़ीसा व केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में परिवेदना के मामलों में लोकायुक्त की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है।

अतः लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को महत्व देने हेतु धारा 12 को समुचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए जिससे लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिश का कियान्वयन तत्काल हो जावे ।

धारा 22 में संशोधन किये जाने की आवश्यकताः-

धारा 22(क) में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण नहीं कर सकेंगे, परन्तु इसके साथ ही धारा 22(ख) में प्रावधान किया गया है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त भारत में किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण करने नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण विभिन्न विधियों के तहत् न्यायालय की तरह कार्य करने वाले राजस्व न्यायालयों व उन अन्य न्यायालयों को भी धारा 22(क) में परिभाषित न्यायालयों के समान लोकायुक्त के अधिकारक्षेत्र के बाहर माना जा रहा है, जबकि ये सीधे रूप से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं हैं।

इसी प्रावधान के कारण राजस्व न्यायालयों के आरोपित पीठासीन अधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान का आश्रय लिया जाता रहा है ।

अत: किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिये धारा 22 के खण्ड (क) व (ख) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जावे :-

''(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा भारत के संविधान के पार्ट VI के चैप्टर VI में यथापरिभाषित अधीनस्थ न्यायालय के किसी न्यायिक अधिकारी,

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,''

लोकसेवकों एवं लोककृत्यकारियों (public functionary) द्वारा सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता :-

अधिकतर लोकसेवक भ्रष्टाचार से अर्जित धन को जमीन जायदाद व अन्य चल-अचल सम्पत्तियों को स्वयं एवं अपने रक्त सम्बन्धियों के नाम से या बेनामी क्रय करने में निवेश करते हैं। अत: भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोकायुक्त **अधिनियम में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि सभी लोकसेवक एवं लोककृत्यकारी (public functionary) अपने एवं निकट संबंधियों की सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रेल तक आवश्यक रूप से लोकायुक्त को प्रस्तुत करें,** जिन्हें लोकायुक्त द्वारा प्रकाशित करवाया जावे ताकि यदि किसी लोकसेवक या लोककृत्यकारी (public functionary) के प्रकाशित किये गये सम्पत्ति विवरण के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह लोकायुक्त को प्रस्तुत कर सके और लोकायुक्त उनका अन्वेषण कर सके। सम्पत्ति के विवरण की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होना चाहिए और उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि उनके पास सम्पत्ति विवरण में दी गई सम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है और न ही कोई बेनामी सम्पत्ति है । यदि शपथ पत्र को झूठा पाया जावे तो ऐसे लोकसेवक को अभियोजित करने की शक्तियां भी लोकायुक्त में निहित किये जाने की आवश्यकता है । यह प्रावधान किये जाने पर भ्रष्ट लोकसेवकों एवं लोककृत्यकारियों पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा।

अंतरिम सिफारिश किये जाने की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता:-

कई बार शिकायतें लोकसेवक की किसी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को होने वाले अन्याय या अनुचित परेशानी के बारे में, लोकसम्पत्ति, राजकोष को क्षति पहुंचाने वाले आदेश की विरूद्ध या ऐसी कार्रवाही के विरूद्ध की जाती है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । परन्तु वर्तमान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत् लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उनके क्रियान्वयन को रोकने हेतु अंतरिम सिफारिश कर सके ।

अतः वर्तमान अधिनियम में अंतरिम सिफारिश किये जाने का एक नया प्रावधान यह जोड़ा जावे कि **लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त** का यदि प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि शिकायतकर्ता को लोकसेवक की किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुए अन्याय या अनुचित परेशानी की अंतरिम सहायता की मंजूरी की सिफारिश करना आवश्यक है, लोककृत्यकारी के प्रशासनिक कृत्यों से होने वाले लोकसम्पत्ति या लोक राजस्व के होने वाले अपव्यय को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, लोककृत्यकारी के अवचार के कृत्यों को रोकना आवश्यक है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को समुचित निर्देश **देते हुए अंतरिम सिफारिश अग्रेषित कर सके ।**

यह भी प्रावधान किया जावे कि यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि जिस लोकसेवक या लोककृत्यकारी के विरूद्ध शिकायत की गई है, उसका उस पद पर बने रहना उचित नहीं है तो वह सक्षम **प्राधिकारी को उसके निलम्बन या स्थानान्तरण की सिफारिश कर सके ।**

अतः उपर्युक्तानुसार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने पर विचार किया जावे अथवा यदि इतनी बड़ी संख्या में संशोधन किया जाना व्यावहारिक न समझा जावे तो वर्तमान अधिनियम को परिशिष्ट-सी में दिये गये 'प्रारूप लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 2005' के अनुसार एक नवीन लोकायुक्त अधिनियम बनाया जाकर उससे प्रतिस्थापित (substitute)किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

6.3 अन्वेषण एजेन्सी एवं स्टाफ की आवश्यकता -

इस सचिवालय में वर्तमान में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के केवल दो अधिकारी, सचिव एवं उप सचिव, ही अन्वेषण कार्य सम्पन्न कराने में भागीदारी निभाते हैं। राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है और निरन्तर विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर है । बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्यो के साथ-साथ शिकायतों की संख्या में भी उत्तरोत्तर भारी वृद्धि हो रही है । कतिपय शिकायतें ऐसी प्रकृति की शिकायतें होती है जिनमें इस सचिवालय स्तर पर सुविधा एवं संसाधनों के अभाव में त्वरित अन्वेषण किया जाना संभव नहीं हो पाता । अतः ऐसे मामलों के अन्वेषण में हमारे राज्य की जांच एजेन्सी ''भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो'' एवं केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सी ''केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो'' की सेवाओं की इस सचिवालय द्वारा उपयोगिता बहुधा अपेक्षित होती है ।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 14(3) में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ राज्य व केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से, या अन्य किसी भी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का, उपयोग कर सकेंगे । इस प्रावधान का कर्नाटक, गुजरात एवं केरल के लोकायुक्त अधिनियमों से तुलनात्मक

विश्लेषण किया जाता है तो यह पाया जाता है कि इन अधिनियमों के तहत् लोकायुक्त को अन्वेषण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की किसी भी एजेन्सी अथवा अधिकारी की सेवाएं लेने हेतु राज्य सरकार की पूर्व सहमति लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 18(2) में यह प्रावधान है कि महामहिम राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा एवं लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त एजेन्सियों, प्राधिकरणों या अधिकारी-वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकेंगे।

पूर्व में सभी लोकायुक्तों द्वारा इस संस्था की एक स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी बनाये जाने या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का पर्यवेक्षण लोकायुक्त के अधीन करने की आवश्यकता समय-समय पर पत्रों एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों के माध्यम से प्रतिपादित की जाती रही है। सर्वप्रथम पूर्व लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ ने अपने पत्र क्रमांक: डी. 18/एलए/77 दिनांक 25 अगस्त, 1977 द्वारा लोकायुक्त संस्था हेतु एक स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी प्रदान करने की मांग तत्कालीन मुख्यमंत्री से की थी ।

इसके पश्चात् वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को लोकायुक्त के सीधे नियंत्रण में देने की मांग की गई। इसके पश्चात् 5वें, 7वें 8वें, 9वें, 12वें, 13वें एवं 15वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी प्रदान करने एवं भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो को लोकायुक्त के सीधे नियंत्रण में देने की मांग की गई ।

पूर्व लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा ने भी लोकायुक्त संस्था की एक स्वंत्रत अन्वेषण एजेन्सी की स्थापना मांग अपने पत्र क्रमांक: एफ.1(11)लोआस/96/एसपीए-22 दिनांक 14.10.1997 के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री से की थी । इन सबका विवरण पूर्व के वार्षिक समेकित प्रतिवेदनों में दिया जा चुका है ।

पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन ने भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग लोकायुक्त द्वारा किये जाने की हेतु काफी पत्राचार किया, जिसका विवरण 20वें प्रतिवेदन में किया जा चुका है, परन्तु किसी भी सरकार द्वारा कोई सहमति प्रदान नहीं की गई । इतने वर्षो तक लगातार मांग किये जाते रहे होने के बावजूद भी लोकायुक्त संस्था को न तो अब तक कोई स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी प्रदान की गई है, न ही धारा 14(3) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग करने हेतु सहमति प्रदान की गई है और न ही धारा 18(2) के प्रावधान के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर लोकायुक्त को पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गई । अन्वेषण एजेन्सी के अभाव में यह संस्था कई प्रकरणों के अन्वेषण में कठिनाई महसूस करती है ।

यहां अन्वेषण स्टाफ की उपलब्धता के संबंध में राजस्थान, मध्यप्रदेश व कर्नाटक के लोकायुक्त संगठनों का तुलनात्मक विवरण दिया जाना उपयुक्त होगा, जो निम्नानुसार है‘–

	राजस्थान	मध्यप्रदेश	कर्नाटक
प्रशासनिक शाखा	1 सचिव, 1 उप सचिव 1 सहायक सचिव 2 अनुभाग अधिकारी	1 सचिव 1 उप सचिव 1 अवर सचिव 1 लेखाधिकारी 4 अनुभाग अधिकारी	1 रजिस्ट्रार 1 उप रजिस्ट्रार (प्रशा.) 1 सहायक रजिस्ट्रार (प्रशा.) 1 प्रबन्धक (प्रशा.) 1 संयुक्त रजिस्ट्रार (सांख्यिकी)
विधि एवं जांच शाखा	कोई नहीं	3 विधि सलाहकार (जिला जज रैंक के अधिकारी) 1 उप विधि सलाहकार (सी.जे.एम. रैंक के अधिकारी)	5 अतिरिक्त रजिस्ट्रार-जांच 5 उप रजिस्ट्रार-जांच 3सहायक रजिस्ट्रार (लीगल ऑपिनियन) 1 पब्लिक प्रोसीक्यूटर 5 सीनियर ए.पी.पी.
पुलिस शाखा	कोई नहीं	1 महानिदेशक 1 महानिरीक्षक पुलिस 2 उप महानिरीक्षक पुलिस 8 पुलिस अधीक्षक 26 उप पुलिस अधीक्षक 41 पुलिस निरीक्षक	1 अतिरिक्त महानिदेशक 1 महानिरीक्षक पुलिस 17 पुलिस अधीक्षक 2 उप पुलिस अधीक्षक 56 पुलिस निरीक्षक
तकनीकी शाखा	कोई नहीं	1 मुख्य अभियन्ता 3 अधीक्षण अभियन्ता 6 सहायक अभियन्ता 4 तकनीकी सहायक	1 मुख्य अभियन्ता 1 अधीक्षण अभियन्ता 4 अधीशाषी अभियन्ता 4 सहायक अभियन्ता 1 उप लेखा नियंत्रक

उपर्युक्त तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक के लोकायुक्त संगठनों के तुलना में राजस्थान में अन्वेषण कार्य के लिये कोई विशिष्ट स्टाफ नहीं है ।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरप्पा मोईली की अध्यक्षता में **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट (जनवरी 2007) में यह सिफारिश की है कि लोकायुक्त की खुद की अन्वेषण मशीनरी होनी चाहिए ।** प्रारंभ में वह राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी ले सकते हैं, परन्तु पांच वर्ष के पश्चात् उसे स्वयं केडर में भर्ती करने एवं उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित करने के कदम उठाने चाहिए।

सिफारिश का संबंधित अंश निम्नानुसार है :-

"4.4.9 Recommendations:

----

h. The Lokayukta should have its own machinery for investigation. Initially, it may take officers on deputation from the State Government, but over a

> period of five years, it should take steps to recruit its own cadre, and train them properly.
> ----------"

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में यह विचार किये जाने की आवश्यकता है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में समुचित संशोधन किये जावें जिससे लोकायुक्त सचिवालय को अन्वेषण कार्य हेतु एक स्वतंत्र अन्वेषण टीम प्रदान की जा सके ।

अन्य सुझावः-

सुशासन की स्थापना के लिये निम्न उपाय भी शीघ्रातिशीघ्र अमल में लाये जाने चाहिए:-

1. जहां तक हो सके सभी राजकीय कार्यो के निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता लाई जावे तथा समस्त राजकीय कार्यो का कम्प्यूटरीकरण किया जावे ।
2. प्रत्येक कार्य को निपटाने की तय अवधि एवं उसे निपटाने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम की सूचना प्रत्येक विभाग/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से अंकित करवाई जावे । यदि किसी कार्य को तय अवधि में संबंधित लोकसेवक द्वारा नहीं निपटाया जा रहा है तो इसकी शिकायत किस अधिकारी की जा सकती है, इसकी सूचना भी अंकित करवाई जावे, व प्रत्येक विभाग में सभी कार्यो की मॉनीटरिंग की व्यवस्था करवाई जावे ।
3. प्रत्येक विभाग/कार्यालय में शिकायत पुस्तिका रखवाया जाना अनिवार्य किया जावे एवं उसे आम जनता को शिकायत दर्ज करने की हेतु उपलब्ध करावाया जावे तथा उसमें दर्ज शिकायत का निवारण 24 घण्टे के भीतर किया जाना अनिवार्य किया जावे । उस शिकायत पुस्तिका की एक प्रति प्रत्येक माह लोकायुक्त सचिवालय में प्रेषित हो, जिससे यह संस्था निगरानी रख सके ।
4. प्रत्येक विभाग/कार्यालय में उन लोकसेवकों को चिन्हित किया जावे जिनका जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं हो, जो अपने कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते हों, विलम्ब करते हों, कार्य को निर्धारित समयावधि में बिना किसी उचित कारण के पूर्ण नहीं करते हों व अपने काम को पूरा करने के सिलसिले में जनता से कोई अपेक्षा रखते हों, जिनकी आम शोहरत अच्छी न हो, ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे व उन्हें कभी भी आम जनता से जुड़े कार्यो का दायित्व नहीं दिया जावे ।
5. प्रत्येक विभाग/कार्यालय के अधिकारी जनसाधारण की पहुंच में हों, वे जनसाधारण से मिलने के लिये समय निर्धारित करें और उस समयावधि में वे कार्यालय में मिलने के लिये उपस्थित रहें । इस हेतु अवांछित बैठकों एवं दौरों पर अंकुश लगाया जावे ।
6. जहां तक हो सके, प्रत्येक लोकसेवक की पदस्थापन अवधि निश्चित की जावे, जो तीन से पांच वर्ष हो सकती है ताकि लोकसेवकों को अपनी कार्यक्षमता एवं प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिल सके एवं उसकी जवाबदेही भी तय की जा सके ।
7. भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर उन पर तत्काल व प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जावे ।

परिशिष्ट–''सी''

The Proposed Lokayukta & Upa-Lokayukta Bill

An act to make provision in all the States of India, for the appointment and functions of certain authorities for making enquiries into administrative action relatable to matters specified in List II or List III of the Seventh Schedule to the Constitution, taken by on behalf of the State Government or certain public authorities in the State (including any omission or commissions in connection with or arising out of such action) in certain cases and for matters connected therewith or ancillary thereto.

Be it enacted by the Parliament in the 56th year of the Republic of India, as follows:

1. Short title and commencement:-

(1) This Act may be called the Lokayukta and Upa-Lokayuktas Act 2005.

After the Conference was over, it was considered necessary by the Lokayuktas/Lokpals/Upa-Lokayuktas that a draft of a Central Legislation be prepared and submitted to the Union Government for an enactment, so the divergence in state laws may come to an end. The Lokayuktas/Lokpals/Upa-Lokayuktas Association met at Delhi on 20th November, 2004, which appointed a sub-committee to draft a Central legislation on the subject. Accordingly the sub-committee drafted the draft bill which was finally approved by the Association in its meeting held on 8th February, 2005. The Association authorised Mr. Justice S.H.A. Raza to present the draft to H.E. the President of India, Hon'ble the Prime Minister and the 'Group of Ministers' constituted by the cabinet consisting of Defence Minister, Home Minister, Law Minister and Minister of Science and Technology. On 10th February, 2005 the draft was presented to above mentioned dignitaries for consideration.

(2) It extends to the whole of India and it shall come into force in the State/s on such date/s as the Central Government may by Notification in the official Gazette, appoint.

2. Definitions:-

In this Act, unless the context otherwise requires,-

(1) "Action" means any action taken by a public functionary, in the discharge of his functions as such public functionary and includes decision, recommendation or finding or in any other manner and includes wilful failure or omission to act and all other expressions relating to such action shall be construed accordingly;

(2) "Allegation" in relation to a public functionary, includes any affirmation that such public functionary, in his capacity as such,-

(a) is guilty of corruption, favouritism, nepotism or lack of integrity;

(b) was actuated in the discharge of his functions by personal interest or improper or corrupt motive;

(c) has abused or misused his position to obtain any gain or favour to himself or to any other person, or, to cause loss or undue harm or hardship to any other person;

(d) has failed to act in accordance with the norms of integrity and conduct which ought to be followed by public functionaries of the class to which he belongs:

(e) or any person on his behalf, is in possession or has at any time during the period of his office, been in possession for which the public functionary cannot satisfactorily account, of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income;

(3) "Chief Minister" means Chief Minister of the State;

(4) "Competent Authority" in relation to a public functionary, means-

(i)	in case of the Chief Minister,	-	the Governor of the State;
(ii)	in the case of a Minister, or a Secretary	-	the Chief Minister or during the period of operation of any proclamation issued under Article 356 of the Constitution of India, the Governor;
(iii)	in the case of a Member of either House of the State Legislature,	-	the Governor of the State;
(iv)	in the case of a Vice-Chancellor of a University,	-	the Chancellor of the University;
(v)	in the case of any other public functionary;	-	any appointing authority, prescribed or State Government, as the case may be;

(5) "Corruption" includes anything made punishable under Chapter IX of the Indian Penal Code 1860 or under the Prevention of Corruption Act, 1988;

(6) "Governor" means the Governor of the State concerned or the Lieutenant Governor of Union Territory concerned;

(7) "Grievance" includes a claim made by a person that he sustained injustice or undue hardship in consequence of mal-administration;

(8) "Lokayukta" means person appointed to Lokayukta under section 3;

(9) "Mal-administration" includes action taken or purported to have been taken in exercise of administrative functions in any case, where,-

(a) such action or the administrative procedure or practice governing such action is illegal, unreasonable, unjust, oppressive or unreasonably discriminatory; or

(b) there has been negligence or undue delay in taking such action or the administrative procedure or practice governing such action involves undue delay;

(10) "Minister" means a member (other than the Chief Minister) of the Council of Ministers, for the State and includes a Deputy Chief Minister, a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister and a Parliamentary Secretary;

(11) "Notification" means a notification published in the State Gazette and the expression "notified" shall be construed accordingly;

(12) "Officer" means a person appointed to a civil or public service, or post in connection with the affairs of the State;

(13) "Prescribed" means prescribed by Rules made under this Act or prescribed under any Act, Rule or Order, in force;

(14) “Public functionary” means a person who is or was at any time,-

(i) the Chief Minister or a Minister,

(ii) a Member of the State Legislature;

(iii) an officer, referred to clause 12;

(iv) a Chairman, Vice-Chairman of the Standing or Subject Committee or a Member (by whatever name called) of a local authority, constituted under the relevant law for the time being in force;

(v) a Vice-Chancellor or Registrar of a University established or deemed to have been established by law made by the State Legislature;

(vi) a Chairman, Vice-Chairman, Managing Directory or a Member of the Board of Directors (by whatever name called) in respect of-

(a) any Statutory body or Corporation (not being a local authority) established by or under a State or Central Act, owned or controlled by the State Government;

(b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 or State's Societies Registration Act, if any, which is subject to the control of the State Government;

(c) any cooperative society registered or deemed to be registered under the relevant law for the time being in force, which is subject to the control of the State Government;

(d) any Government company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956, in which not less than 51 percent of its paid up share capital is held by the State Government or any company which is a subsidiary of such a company in which not less than 51 percent of its paid-up share capital is held by the State Government;

(e) such other Body or Corporation owned or controlled by the State Government;

(vii) a person in the service or pay of a local authority, University, Statutory Body or Corporation, Society, Government Company or other Institution as is referred to in sub-clauses (iv) to (vi);

(15) “Secretary” means a Secretary of the State Government and includes the Chief Secretary, an Additional Chief Secretary, a Principal Secretary, an Additional Secretary, a Special Secretary or a Joint Secretary;

(16) "State" includes Union Territory;

(17) “Upa-Lokayukta” means a person appointed to be Upa-Lokayukta under Section 3.

3. Establishment of Lokayukta Institution and appointment of Lokayukta and Upa-Lokayukta.

(1) For the purpose of conducting inquiries and investigations in accordance with the provisions of this Act, there shall be an Institution known as Lokayukta

Institution of the State, which shall consist of a Lokayukta and one or more Upa-Lokayukta/s, and the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as the Lokayukta and one or more person/s to be known as the Upa-Lokayukta or Upa-Lokayuktas. The Lokayukta shall be the Head of that Institution.

Provided that-

(a) the Lokayukta shall be appointed on the advice tendered by the Chief Minister of the State in consultation with the Chief Justice of the State High Court, the Speaker/Chairman of the State Legislature/s. and Leader/s of the Opposition in the State Legislature/s;

Provided further that the Lokayukta for Union Territory shall be appointed by the Lieutenant Governor with the prior approval of the President of India.

(b) the Upa-Lokayukta shall be appointed on the advice tendered by the Chief Minister of the State in consultation with the Chief Justice of the State High Court, Lokayukta, the Speaker/Chairman of the State Legislature/s, and Leaders of the Opposition in the State Legislature/s;

Provided further that the Upa-Lokayukta for Union Territory shall be appointed by the Lieutenant Governor in consultation with the Lokayukta.

(2) A person shall not be qualified for appointment as the Lokayukta unless he is/had been a Judge of the Supreme Court of India or the Chief Justice of a High Court or a Judge of a High Court in India.

(3) A person shall not be qualified for the appointment as Upa-Lokayukta unless he is/had been a Judge of a High Court or a District Judge qualified to become the Judge of the High Court.

(4) Every person appointed as Lokayukta or Upa-Lokayukta, shall, before entering upon his office, make or subscribe, before the Governor, an oath or affirmation in the form set out for the purpose in the First Schedule.

(5) If the office of the Lokayukta or Upa-Lokayukta becomes vacant, or if the Lokayukta or Upa-Lokayukta is, by reason of absence or for any other reason whatsoever, unable to perform the duties of his office, those duties shall until some other person is appointed under sub-section (1) and enters upon such office, or as the case may be, until the Lokayukta or Upa-Lokayukta resumes his duties, be performed

(a) where the office of the Lokayukta becomes vacant or where for any reason aforesaid he is unable to perform the duties of his office, by the Upa-Lokayukta or if there are two or more Upa-Lokayuktas, by such one of the Upa-Lokayuktas, who is the senior most.

(b) where the office of the Upa-Lokayukta becomes vacant or where for any reason aforesaid, he is unable to perform the duties of his office, by the Lokayukta himself or if the Lokayukta so directs by the other Upa-Lokayukta, or as the case may be, such one of the other Upa-Lokayuktas as may be specified in the direction.

(6) The Upa-Lokayukta shall, while acting as or discharging the functions of Lokayukta, have all the powers and immunities of the Lokayukta, and be entitled to salary, allowances and perquisites as are applicable in relation to the Lokayukta.

(7) A vacancy occurring in the office of the Lokayukta or Upa-Lokayukta by reason of his death, resignation, retirement or removal shall be filled in as soon as possible, but not later than three months from the date of occurrence of such vacancy.

4. Lokayukta or Upa-Lokayukta to hold no other office- The Lokayukta or Upa-Lokayukta shall not be a member of Parliament or a member of the Legislature of any State, nor shall he hold any office of profit (other than his office as the Lokayukta or, as the case may be, Upa-Lokayukta) nor shall he be connected with any political party, or shall carry on any business or practice any profession; and accordingly, before he enters upon his office, a person appointed as the Lokayukta or Upa-Lokayukta, shall-

(a) if he is a Member of the Parliament or of the Legislature of any State, resign such membership;
(b) if he holds any office of profit, resign such office;
(c) if he is connected with any political party, sever his connection with it;
(d) if he is carrying on any business, sever his connection (short of divesting himself of ownership) with the conduct and management of such business; or
(e) if he is practicing any profession, suspend practice of such profession.

5. Term of office of the Lokayukta and Upa-Lokayukta –

(1) Every person appointed as the Lokayukta or Upa-Lokayukta shall hold office for a term of six years from the date on which he enters upon his office.

Provided.-

(a) the Lokayukta or Upa-Lokayukta may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office;
(b) the Lokayukta or Upa-Lokayukta may be removed from office in the manner provided in Section 6.

(2) On ceasing to hold office, the Lokayukta or Upa-Lokayukta shall be ineligible for reappointment or any other employment under the State Government or for any employment under any Local Authority, University, Statutory Body or Corporation, Society, Co-operative Society, Government Company, other Body or Corporation, as is referred to in sub-clauses (iv), (v) and (vi) of Clause (14) of Section 2.

6. Removal of Lokayukta or Upa-Lokayukta-

(1) The Lokayukta or Upa-Lokayukta shall not be removed from his office except by an order of the Governor passed after an address by each House of the State Legislature supported by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, has been presented to the Governor in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.

(2) The procedure of the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehaviour or incapacity of the Lokayukta or Upa-Lokayukta under sub-section (1) shall be as provided in the Judges (Inquiry) Act, 1968, in relation to the removal of a Judge and accordingly the provisions of that Act shall, mutatis mutandis, apply in relation to the removal of the Lokayukta and Upa-Lokayukta, as they apply in relation to the removal of a Judge, subject to the modification that in Section 3 of the Judges (Inquiry) Act, 1968, for the expression "100 members of that House and 50 members of that Council", the expression "1/5th members of the Legislative Assembly and 1/5 members of the Legislative Council" where it exists, shall be substituted.

7. Conditions of Service of Lokayukta and Upa-Lokayukta.

(1) The salary, allowances, pension and retiral benefits like gratuity, leave encashment and commutation of pension, etc. and other perquisites payable to and other conditions of service of Lokayukta shall be that of the Chief Justice of Supreme Court of India, if he is/was, the Judge of the Supreme Court of India or the Chief Justice of a High Court in India, if he is/was the Judge of a High Court in India.

(2) The salary, allowances, pension and retiral benefits like gratuity, leave encashment and commutation of pension, etc. and other perquisites payable to and other conditions of service of Upa-Lokayukta shall be the same as admissible to a sitting Judge of a High Court.

Provided that, if the Lokayukta or Upa-Lokayukta at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service, his salary in respect of service as Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, shall be reduced by the amount of that pension including the commuted portion of such pension.

(3) In addition to the pension, which the Lokayukta or the Upa-Lokayukta may be receiving at the time of his appointment, the Lokayukta and the Upa-Lokayukta shall be paid pension at the rates applicable in the case of Chief Justice of the High Court and Judges of the High Court respectively in respect of each completed year of service as Lokayukta and Upa-Lokayukta.

(4) The allowances and perquisites admissible and pension, if any, payable to and other conditions of service of the Lokayukta or Upa-Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(5) The administrative expenses of the office of the Lokayukta and Upa-Lokayukta including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of persons serving in that office, shall be charged on the Consolidated Fund of the State.

8. Matters which may be investigated by Lokayukta or Upa-Lokayukta.–

(1) Subject to the provisions of this Act, the Lokayukta may investigate any action, which is taken, by or with the general or specific approval of.-

(i) the Chief Minister or a Minister or a Secretary;

(ii) a Member of the State Legislature;

(iii) the Vice-Chancellor or Registrar of a University;

(iv) the Chairman or Vice-Chairman or Commissioner/s (by whatever name called) of Municipal Corporations, City Municipal Councils or Standing Committees or Subject Committees or such Municipal Corporations or City Municipal Council or the Chairman, Vice-Chairman or Chief Executive Officer (by whatever name called) of Jilla Panchayats;

(v) any other public functionary;

in any case where a complaint involving a grievance or an allegation is made in respect of such action or such action can be or could have been, in the opinion of the Lokayukta, the subject of a grievance or an allegation.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Upa-Lokayukta may investigate any action, which is taken by or with the general or specific approval of, any public functionary, other than those public functionaries referred to in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) or of the public functionaries above the rank of Deputy Secretaries or equivalent rank among the public functionaries in clause (v) of sub-section (1), in any case where a complaint involving a grievance or an allegation is made in respect of such action or such action can be or could have been, in the opinion of the Upa-Lokayukta, the subject of a grievance or an allegation.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (2), the Lokayukta or Upa-Lokayukta shall investigate an action by or with the general or specific approval of a public functionary, within their respective jurisdiction, if it is referred to him by the Governor of the State Government, as the case may be.

(4) Where two or more Upa-Lokayuktas are appointed under this Act, the Lokayukta may, from time to time, by general or special order, assign to each of them matters that are to be investigated by them under this Act.

Provided that no investigation made by an Upa-Lokayukta under this Act,

and no action taken or thing done by him in respect of such investigation shall be open to question on the ground only that such investigation relates to a matter, which is not assigned to him by such order.

9. Matters not subject to investigation:-

(1) Except as hereinafter provided, the Lokayukta or Upa-Lokayukta shall not conduct any investigation under this Act in the case of a complaint involving an allegation or a grievance in respect of any action, -

(a) if such action relates to any matter specified in the Second Schedule; or

(b) if the complainant has or had, any adequate remedy before any forum or other authority.

Provided that nothing in clause (b) shall prevent the Lokayukta or Upa-Lokayukta from conducting an investigation, if the Lokayukta or, as the case may be, the Upa-Lokayukta, is satisfied that such person could not or cannot, for sufficient cause, have recourse to such remedy.

(2) The Lokayukta or Upa-Lokayukta shall not investigate, -

(a) any action in respect of which a formal and public inquiry has been ordered under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 by the State Government or Government of India;

(b) any action in respect of a matter which has been referred for inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952 by the State Government or Government of India;

(3) The Lokayukta or Upa-Lokayukta shall not investigate,-

(a) any complaint involving a grievance made after the expiry of twelve months limitation from the date on which the action complained against becomes known to the complainant;

(b) any complaint involving an allegation made after the expiry of five years from the date on which the action or conduct complained against is alleged to have taken place:

Provided that, the Lokayukta or Upa-Lokayukta in respect of grievance or allegation as the case may be, may entertain a complaint made after the expiry of the said period, for meeting the ends of justice.

10. Provision relating to complaints-

(1) Subject to the provisions of this Act, a complaint may be made under this Act to the Lokayukta, in the case of an allegation by any person and in the case of a grievance, by a person aggrieved.

Provided that where the person aggrieved is dead or, is for any reason, unable to act for himself, the complaint may be made or continued by his legal representative or by any other person who is authorised by him in writing in this behalf.

(2) Every complaint shall be made in such form and in such manner and shall be accompanied by such affidavit, as may be prescribed, however that the

Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, may dispense with such affidavit in any appropriate case.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, any letter written to the Lokayukta by a person in police custody or in a jail or in any asylum or other place from insane persons, shall be forwarded to the Lokayukta unopened and without delay by the police officer or other person in-charge of such jail, asylum or other place and the Lokayukta may, if satisfied that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub-section (2).

11. Provisions relating to Enquiries and Investigations.

(1) the Lokayukta or Upa-Lokayukta on receipt of a complaint or in a case initiated on his own motion, may, before proceeding to investigate such complaint or case, make such preliminary inquiry or direct any other person to make such preliminary inquiry as he deems fit for ascertaining whether there exists reasonable ground for conducting the investigation. If on such preliminary inquiry, he finds that there exists no such ground he shall record a finding to that effect and thereupon the matter shall be closed and the complainant shall be informed accordingly.

(2) The procedure for verification of a complaint made under sub-section (1) shall be such as the Lokayukta or Upa-Lokayukta deems appropriate in the circumstances of the case and in particular, the Lokayukta or Upa-Lokayukta may, if he deems it necessary to do so, call for the comments of the public functionary, concerned.

(3) Where the Lokayukta or Upa-Lokayukta proposes, after making such preliminary inquiry as he deemed fit to conduct any investigation under this Act, he may forward a copy of the complaint to the Public functionary concerned and obtain comments from him, on the complaint, before proceeding with the investigation on the complaint, as provided for in Section 13.

(4) Save as aforesaid, the procedure for conducting any such investigation shall be such, and may be held either in public or in camera, as the Lokayukta or the Upa-Lokayukta, as the case may be, considers appropriate in the circumstances of the case.

(5) The Lokayukta or Upa-Lokayukta may, at any stage, refuse to investigate or cease to investigate any complaint involving a grievance or an allegation, if in his opinion,-

(a) the complaint is seen to be frivolous or vexatious or is not made in good faith;

(b) there are no sufficient grounds for investigating or, as the case may be, for continuing the investigation; or

(c) other adequate remedies are available to the complainant and in the circumstances of the case it would be more proper for the complainant to avail such remedies.

(6) In any case where the Lokayukta or Upa-Lokayukta decides not to entertain a complaint or to discontinue any investigation in respect of a complaint, he shall record his reasons therefor and communicate the same to the complainant and the public functionary concerned.

(7) The conduct of an investigation under this Act against a Public functionary in respect of any action, shall not affect such action, or any power or duty of any other public functionary, to take further action with respect to any matter subject to the investigation.

(8) The Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, shall have power, to review his order or decision to restore any matter closed at any stage and to grant or refuse permission to the complainant to withdraw the complaint.

Provided that the Lokayukta or Upa-Lokayukta shall record his reason in writing therefor.

12. Issue of Search Warrants, etc.-

(1) Wherein consequence of information in his possession, the Lokayukta or an Upa-Lokayukta –

(a) has reason to believe that any person. -

(i) to whom summons or notice under this Act, has been issued or likely to be issued, may not produce or cause to be produced or may tamper with any property, document or thing which will be necessary or useful for or relevant to any inquiry or other proceedings to be conducted by him;

(ii) is in possession of any money, bullion, jewellery or other valuable article or thing representing either wholly or partly income or property which has not been disclosed to the authorities as required under any law or rule for the time being in force; or

(b) considers that the purposes of any inquiry or other proceedings to be conducted by him will be served by a general search or inspection, he may by a search warrant authorize any officer subordinate to him or any officer of the institution of Lokayukta or any person or agency referred to in Section 16 or any Commissioner appointed by him under clause (e) of sub-section (2) of Section 13, to conduct a search or carry out an inspection in accordance therewith and in particular to,-

(i) enter and search any building or place where he has reason to suspect that such property, document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing is kept;

(ii) search any person who is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made;

(iii) break open the lock of any door, box, locker safe, almirah or other receptacle for exercising the powers conferred by sub-clause (i) where the keys thereof are not available.

(iv) seize or seal any such property, document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing found as a result of such search;

(v) place marks of identification on any property or document or make or cause to be made; extracts or copies therefrom; or

(vi) make a note or an inventory of any such property, document, money, bullion, Jewellery or other valuable article or thing.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure shall mutatis mutandis, apply to searches and seizures under sub-section (1).

(3) A warrant issued under sub-section (1) shall, for all purposes, be deemed to be a warrant issued by a court under section 93 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

13. Evidence.-

(1) Subject to the provisions of this section, for the purpose of any investigation, including the preliminary inquiry, under this Act, the Lokayukta or Upa-Lokayukta may require any public functionary or any other person who, in his opinion is able to furnish information or produce documents relevant to the investigation to furnish any such information or produce any such document and such public functionary shall be, person or authority so required shall be, deemed to be legally bound to furnish such information within the meaning of Section 176 and 177 of the Indian Penal Code.

(2) For the purpose of any such investigation, including the preliminary inquiry, the Lokayukta or Upa-Lokayukta shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 , in respect of the following matters, namely:-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) Requiring the discovery and production of any document;

(c) Receiving evidence on affidavits;

(d) Requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) Issuing commissions for the examination of witnesses or documents;

(f) ordering payment of compensatory cost in respect of a false or vexatious claim or defense;

(g) ordering cost for causing delay;

(h) Such other matters as may be prescribed.

(3) Any proceeding before the Lokayukta or Upa-Lokayukta or others whose services are utilized under Section 16 shall be deemed to be a judicial proceeding with in the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) No person shall be required or authorised by virtue of this Act to furnish any such information or answer any such question or produce so much of any document.

(a) as might prejudice the affairs of the State or the security or defense or international relations of India (including India's relations with the Government of any other country or with any international organization);

(b) as might involve the disclosure of proceedings of the Cabinet of the State Government or any Committee of that Cabinet, and for the purpose of this sub-section, a certificate issued by the Chief Secretary certifying that any information, answer or portion of a document is of the nature specified in clause(a) or clause(b), shall be binding and conclusive.

Provided that the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, may require any information or answer or portion of a documents in respect of which a certificate is issued under this sub-section to the effect that it is of the nature specified in clause (a) or (b); to be disclosed to him in private for scrutiny and if on such scrutiny the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, is satisfied that such certificate ought not to have been issued, he shall declare the certificate to be of no effect.

14. Interim Recommendations.

If, during the course of preliminary inquiry or investigation under this Act, the Lokayukta or Upa-Lokayukta is prima facie satisfied that allegation or grievance against any action is likely to be substantiated either wholly or partly, he may, by a report in writing, recommend to the public functionary concerned to stay the implementation or enforcement of the decision or action complained against, or to take such mandatory or preventive action, on such terms and conditions, as he may specify in his Report.

15. Interim Report.

(1) the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, forward an interim report to the competent authority recommending grant of interim relief to the complainant if he is satisfied at any stage of preliminary inquiry or investigation that the complainant has sustained injustice or undue hardship in consequence of any decision or action of a public functionary and that the grievance complained of should be redressed expeditiously.

(2) the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, may at any stage of inquiry or investigation, under this Act, forward an interim report to the competent authority recommending to take such action as may be considered necessary by him against the public functionary, pending inquiry or investigation-

(a) to safeguard wastage or damage of public property or public revenue by the administrative acts of the public functionary;
(b) to prevent further acts of misconduct of the public functionary;
(c) to prevent the public functionary from secreting the assets earned by him allegedly by corrupt means; or
(d) to promote public interest.

16. Utilization of services of other persons-

(1) the Lokayukta or Upa-Lokayukta may for the purpose of conducting a preliminary inquiry or an investigation under this Act, utilize the services of:
(a) any officer or investigating agency of the State Government;
(b) any officer or investigating agency of Central Government, with the consent of that Government;
(c) any other person or agency.

(2) Any officer, agency or person whose services are utilized under sub-section (1) may, subject to the direction and control of the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be:
(a) summon and enforce the attendance of any person and examine him;
(b) require the discovery and production of any document; and
(c) requisition any public record or copy thereof from any office.

(3) The officer, agency or person whose services are utilized under sub-section (1) shall enquire into the matter and submit a report to Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, within such period as may be specified by him in this behalf.

(4) Any officer, agency or person whose services are utilized under sub-section (1) shall act under the directions of the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, and they may be paid such remuneration and expenses, as may be allowed by the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be.

17. Power of inspection-

The Lokayukta or Upa-Lokayukta or any officer authorised by him shall have the power to inspect any office of the State Government, local authority, corporation, Government company, society, university, as is referred to in sub-clauses (iv) to (vi) of clause (14) of Section 2, in connection with preliminary inquiry or investigation of any complaint involving a grievance or an allegation under this Act.

18. Secrecy of Information-

(1) Any information obtained by the Lokayukta or Upa-Lokayukta or members of his staff or any other officer, person or agency referred to in Section 16, in the course of, in camera enquiry or investigation under this Act and any evidence recorded or collected in connection with such information, shall be treated as confidential, and notwithstanding anything contained in the

Indian Evidence Act, 1872, no court shall be entitled to compel the Lokayukta or Upa-Lokayukta or any such member, officer, person or agency or any public functionary to give evidence relating to such information or to produce the evidence so recorded or collected.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of any information or evidence referred to therein,-

(a) for the purpose of any report to be made under this Act; or for the purposes of any action or proceedings to be taken on such report; or

(b) for purposes of any proceedings, for an offence under the Official Secrets Act, 1923, or an offence of giving or fabricating false evidence under Section 193 of Indian penal Code or for purposes of trial of any offence under Section 19 or any proceedings under Section 21; or

(c) for such other purposes as may be prescribed.

19. Prosecution for false complaints-

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, whoever makes any false, frivolous or vexatious complaint under this Act shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term, which may extend to one year or with fine or with both.

(2) No court, except a Court of Session, shall take cognizance of an offence under sub-section (1).

(3) No such Court shall take cognizance of an offence under sub-section (1) except on a complaint in writing made by the public prosecutor at the direction of the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, and the Court of Session may take cognizance of the offence on such complaint without the case being committed to it.

(4) The Court of Session on conviction of the person making false, frivolous or vexatious complaint, may award, out of the amount of fine, to the public functionary against whom such false complaints has been made, such amount of compensation as he thinks fit.

(5) The provisions of this section shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973.

20. Power to punish for contempt-

(1) The Lokayukta institution shall have and exercise the same jurisdiction, powers and authority in respect of contempt of itself as a High court has, and may exercise, and for this purpose, the provisions of the Contempt of Courts Act, 1971 (Central Act 70 of 1971) shall have the effect subject to the modification that the references therein to the High Court shall be construed as including a reference to the Institution.

(2) The Lokayukta institution shall be deemed to be a Court within the meaning of Contempt of Courts Act.

21. Intentional insult or interruption to, or bringing into disrepute, the Lokayukta or Upa-Lokayukta or his delegatee-

(1) Whoever intentionally insults or causes any interruption or obstruction to the Lokayukta or Upa-Lokayukta or his delegatee in conducting any inquiry or investigation under this Act, shall, on conviction, be punished with a simple imprisonment, which may extend to six months, or with fine, or with both.

(2) Whoever, by words spoken or intended to be read, makes or publishes any statement or does any other act, which is calculated to bring the Lokayukta or Upa-Lokayukta or his delegatee into disrepute, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

(3) The provisions of Section 199 of Code of Criminal Procedure, 1973, shall apply in relation to an offence under sub-section (1) or sub-section (2) as they apply in relation to an offence referred to in sub-section (2) of the said Section 199, subject to the modification that no complaint in respect of such offence shall be made by the Public Prosecutor except with the previous sanction-

(a) in the case of an offence against the Lokayukta or his delegatee, of the Lokayukta;

(b) in the case of an offence against Upa-Lokayukta or his delegatee, of the Upa-Lokayukta concerned.

22. Protection of action taken in good faith-

(1) No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against the Lokayukta or Upa-Lokayukta or against any member of the staff of the office of the Lokayukta or any officer, agency or person referred to in Section 16, in respect of anything which is done or intended to be done in good faith done under this Act.

(2) Save as otherwise provided in this Act, no proceedings, decision, order or any report of the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, including any recommendation made thereunder, shall liable to be challenged, reviewed, quashed, modified or called in question in any manner whatsoever in any court or tribunal.

23. Reports of Lokayukta and Upa-Lokayukta-

(1) (a) If, after investigation of any action involving a grievance, the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, is satisfied that such action has resulted in injustice or undue hardship to the complainant or to any other person, the Lokayukta or Upa-Lokayukta shall, by a report in writing, recommend to the competent authority concerned that such injustice or hardship shall

be remedied or redressed in such manner and within such time as may be specified in the report;

(b) The Lokayukta or Upa-Lokayukta in his report under sub-section (1) may also recommend with a view to ensuring that similar instances of maladministration do not occur in future;

(i) that any practice on which a decision, recommendation, act or omission was based should be altered or reviewed; or

(ii) that any law on which a decision, recommendation, act or omission was based should be altered or modified; or

(iii) that reasons should be given for any decision, recommendation, act or omission; or

(iv) that any other steps should be taken.

(2) The competent authority to whom a report is sent under sub-section (1) shall, within one month of the expiry of the period specified in the report, intimate or cause to be intimated to the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, the action taken on the report.

(3) If, after investigation of any action involving an allegation, the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, is satisfied that such allegation is substantiated either wholly or partly, he shall by a report in writing communicate his findings and recommendations along with the relevant documents, materials and other evidence to the competent authority concerned.

(4) The Competent authority, in the case of a public functionary shall examine the report forwarded to it under sub-section (3), shall take action on the basis of the recommendation and within ninety days from the date of receipt of the report, intimate or cause to be intimated to the Lokayukta or the Upa-Lokayukta, the action taken or proposed to be taken on the basis of the report.

(5) If the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, is satisfied with the action taken or proposed to be taken on his recommendations referred to in sub-section (1) or sub-section (3), he shall close the case under information to the complainant if any, the public functionary and the competent authority concerned; but where he is not so satisfied and if he considers that the case so deserves, he may make a special report upon the case to the Governor and also inform the competent authority concerned and the complainant, if any.

(6) The Lokayukta shall present annually a consolidated report on the performance of his functions and that of Upa-Lokayukta under this Act to the Governor.

(7) On receipt of a special report under sub-section (5) or the annual report under sub-section (6), the Governor shall cause a copy thereof together with an explanatory memorandum to be laid before each House of the

State Legislature within four months from the date of the receipt of the report by the Governor or till the Legislature meets next, which ever is later.

(8) If the Annual Report is not laid in the State Legislature within the time provided in sub-section (7), the Lokayukta shall be free to make the Report public in the manner he may choose.

(9) The Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, may, at his discretion, make available, from time to time, the substance of cases closed or otherwise disposed of by him, which may appear to him to be of general, public, academic or professional interest in such manner and to such persons, as he may deem appropriate.

24. Initiation of Prosecution- If, after investigation into any complaint, the Lokayukta or Upa-Lokayukta, as the case may be, is satisfied that the public functionary has committed any criminal offence and should be prosecuted in a court of law for such offence, then he may pass an order to that effect and the appropriate authority or agency shall initiate prosecution of the public functionary concerned, and if prior sanction of any authority is required for such prosecution, then, notwithstanding anything contained in any law, for the time being in force, such sanction shall be deemed to have been granted by the appropriate authority on the date of such order.

25. Staff of the office of the Lokayukta-

(1) The Lokayukta may appoint or authorise Upa-Lokayukta or any officer subordinate to the Lokayukta to appoint officers and other employees to assist the Lokayukta and Upa-Lokayukta in the discharge of their functions under this Act.

(2) That the categories of officers and employees who may be appointed under sub-section (1), their salaries, allowances and other conditions of service and the administrative powers of the Lokayukta shall be such as may be prescribed after consultation with the Lokayukta.

(3) That the State Government in consultation with Lokayukta, shall provide for the adequate number and categories of staff of the investigating agency to assist the Lokayukta and Upa-Lokayukta in the discharge of their functions under this Act.

(4) The officers and employees other than those appointed by the Lokayukta under sub-section (1) shall neither be posted nor be taken back without prior concurrence of the Lokayukta.

(5) In the discharge of their functions under this Act, the officers and employees, referred to in sub-section (1) shall be subject to the exclusive administrative control and directions of the Lokayukta.

26. Conferment of Additional Functions on Lokayukta or Upa-Lokayukta-

(1) The Governor may, by notification and after consultation with the Lokayukta or Upa-Lokayukta, confer on the Lokayukta or Upa-Lokayukta such additional functions, as may be specified in the notification.

(2) The Governor may, by order in writing and with the concurrence of the Lokayukta, confer on the Lokayukta or Upa-Lokayukta such powers of supervisory nature over agencies, authorities or officers set up, constituted or appointed by the State Government for the eradication of corruption as may be specified in the order.

(3) When any additional functions are conferred on the Lokayukta or Upa-Lokayukta under sub-section (1), the Lokayukta or Upa-Lokayukta shall exercise the same powers and discharge the same functions as he would in the case of any investigation made on a complaint involving an allegation, and the provisions of this Act shall apply accordingly.

27. Power to Delegate-

The Lokayukta or Upa-Lokayukta may, by a general or special order in writing, direct that any power conferred or duties imposed on him by or under this Act (Except the power to make report to the appropriate authority, or the power to punish for contempt or to order prosecution of a public functionary under Section 24), may also be exercised or discharged by such of the officers, employees, agencies referred to in Section 16, or 25, as may be specified in the order.

28. Public Functionaries to Submit Property Statements-

(1) Every public functionary falling within the purview of the Lokayukta for the purpose of investigation under this Act, other than the Officer referred to in clause (12) and sub-clause (vii) of clause (14) of Section 2, shall, within three months after the commencement of this Act and thereafter before the 30th June of every year, submit to the Lokayukta in the prescribed form a statement of assets and liabilities held by him or by person in his behalf.

(2) If no such statement is received by the Lokayukta from any such public functionary within the time specified in sub-section (1), the Lokayukta shall make a report to that effect to the competent authority and send a copy of the report to the public functionary concerned. If within two months of such report the public functionary concerned does not submit statement of his assets and liabilities, the Lokayukta shall publish or cause to be published the name of such public functionary in two newspapers having wide circulation in the State and in case of Public functionaries referred to in clause (ii) of sub-section (1) of Section 8, a list of such Public functionaries with a report shall be sent to the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, for taking necessary action.

(3) Notwithstanding anything contained in the States' Minister's Salaries and Allowances Act and States' Legislature Salaries, Pension and Allowances

Act, but without prejudice to the provisions of sub-section (2), no Public functionary referred to in clauses (i) and (ii) of sub-section (1) of Section 8, who fails to submit a statement of his assets and liabilities as required under sub-section (1) shall be eligible to draw any salary and allowances as admissible to him under the said enactments from the date of publication of his name under sub-section (2) and till he submits such statement.

Explanation-In this section "family of a Public functionary" means the spouse and such children and parents of the Public functionary as are dependent on him.

29. Power of the State Government to make Rules-

(1) The State Government may, in consultation with the Lokayukta, by notification, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for-

(a) the competent authority to be prescribed under sub-clause (v) of clause (4) of Section 2.

(b) the other purposes in relation to disclosure of any information or evidence to be prescribed under clause (c) of sub-section (2) of Section 18;

(c) any other matter which is to be, or may be, prescribed or in respect of which this Act makes no provision or makes insufficient provision and provision is, in the opinion of the State government, necessary for the proper implementation of this Act.

(3) Every rule made under this section shall immediately after it is made, be laid, before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

30. Power of Lokayukta to make Regulations-

(1) The Lokayukta may, by notification, make such regulations, as he may deem necessary for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the matters, namely:

(a) normal working hours of the office of the Lokayukta and holding of sittings of the Lokayukta and Upa-Lokayukta, outside normal working hours;

(b) holding of sittings of the Lokayukta and Upa-Lokayukta at places other than the place of ordinary sittings.

(c) procedure which may be followed by the Lokayukta and Upa-Lokayukta for conducting proceedings including inquiry and investigation;

(d) such forms and notices as may be necessary in the opinion of the Lokayukta for carrying out the inquiry and investigation; and matters relating to staff, its appointment, conditions of service, not falling within Section 25 of the Act.

31. Removal of doubts-

For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in this Act shall be construed to authorize the Lokayukta or Upa-Lokayukta to investigate any complaint against:

(a) the Chief Justice or any Judge of the High Court, or a Judicial Officer of Subordinate Courts within the meaning of Chapter VI of Part VI of the Constitution of India;

(b) any Officer or servant of any Court referred to in clause (a); the Chairman or a Member of the State Public Service Commission and any member of its staff;

(c) the Election Commissioners and the Regional Commissioners referred to in article 324 of the Constitution of India and the Chief Electoral Officer of the State;

(d) the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, Chairman and Vice-Chairman of the Legislative Council, and the staff of the State Legislature Secretariat;

(e) functionaries appointed under article 323-A, 323-B and 371-D of the Constitution of India or any member of their staff; and

(f) any member of the staff of Governor's Secretariat.

32. Repeal and savings -

(1) On coming into force of this Act, the Lokayukta Acts or any other law for the time being in force in the States or Union Territories which is relatable to the objects of this Act, shall stand repealed.

(2) Notwithstanding such repeal:

(a) the persons appointed under the said Act as Lokayukta and Upa-Lokayukta, shall be deemed to have been appointed under this Act and shall continue for the remaining period of their term as provided under this Act and shall continue in service under the terms and conditions of service prescribed under the respective repealed Acts and the Rules made thereunder; and the other officers and employees in service at the commencement of this Act, shall also be deemed to have been appointed under this Act and shall continue in service under the terms of their original appointment.

(b) anything done or any action taken under the said Act shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act, and shall continue to be in force unless and until it is superseded under the provisions of this Act;

(c) all the investigations, inquiries and other proceedings initiated under the said Act and pending at the commencement of this Act, shall be investigated, heard and disposed of under the provisions of this Act, as if they were commenced under this Act;

(3) The provisions of this Act shall be in addition to the provisions of any other enactment or any rule of law under which any remedy in any other manner is available to a person making a complaint under this Act, and nothing in this Act shall limit or affect the right of such person to avail of such remedy.

*-

FIRST SCHEDULE

(See Section 3(4))

I,______________________ having been appointed Lokayukta/Upa-Lokayukta do
Swear in the name of God
Solemnly affirm

that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear, favour, affection or ill-will.

*-

SECOND SCHEDULE

[See Section 9(1)(a)]

(a) Action taken for the purpose of investigating crimes or relating to the security of the State.

(b) Action taken in the exercise of powers in relation to determining whether a matter shall to a Court of not.

(c) Action in matters which arise out of the terms of a contract governing purely commercial relations of the administration with customers of suppliers, except whose or the complainant alleges harassment gross delay in meeting contractual obligations.

(d) Action taken in respect of appointments, removals, pay, discipline, superannuation or other matters relating to conditions of service of public servants but not including action relating to claims for pension, gratuity, provident fund or to any claim which arise on retirement, removal on termination of service and such other action involving allegation of corruption in respect of appointment not barred under provisions of Section-38 of the Act.

(e) Grant of honours and awards.

Statement of Objects and Reasons

The Administrative Reforms Commission was required to consider, among other matter, problems of redress of citizens' grievances, keeping in mind the need for ensuring the highest standards of efficiency and integrity in the public services, and also for making public administration responsive to the people. More specifically, the Commission was expected to examine:

(i) The adequacy of the existing arrangements for the redress of grievances; and

(ii) the need for introduction of any new machinery or special institution for redress of grievances.

Giving priority to this part of its terms of reference, the Commission made an interim report in which it took note of the oft-expressed public outcry against the prevalence of corruption, the existence of widespread inefficiency and unresponsiveness of administration to popular needs. It felt that the answer to this lay in the provision of a machinery which would examine public complaints and sift the genuine from the false or the untenable so that the administration's failures and achievements could be publicly viewed in their correct perspective. Such an institution was regarded necessary even from the point of view of affording protection to the services. The Commission, therefore, recommend that there should be a statutory machinery to enquire into complaints alleging corruption or injustice arising out of maladministration.

2. The Bill seeks to give effect to the recommendations of the Administrative Reforms Commission in so far as they relate to matters within the purview of the States' Government. In other words, the Bill seeks to provide a statutory machinery to enquire into complaints based on actions of all States' public functionary, including ministers. Since the enquiries and investigations to be made under the provisions of then Bill, being investigatorial and advisorial and the same ought to be done by Judges who hold/have held high judicial offices with full knowledge of men and matters, and the recommendations to be made in their Reports to the States' Government with reference to the findings and materials collected by them cannot be used to penalise any of the public functionaries for their actions or inactions, without regular enquiry being held against them by affording full opportunity to defend themselves in respect of the recommendations made against them, the question of enquiries to be held by Lokayuktas by affording opportunities of hearing on any complaints with principles of natural justice or others wise, will not arise, in as much as, the enquiries/investigations are expected to be completed by them justly, quickly and without expense to the complainants. In other words, the provisions in the Act have been sought to bring about transparency in the functioning of public functionaries and their accountability for their actions and inactions.

Note: Entry No. 45 of List III of Seventh Schedule to the Constitution of India relating to "inquiries and statistics for the purposes of any of the matters specified in List II or List III", is the entry, which empowers the Parliament to Legislate 'the Lokayukta & Upa-Lokayukta Act' for the States in India.

परिशिष्ट–''सी–1''

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की
चौथी रिपोर्ट (जनवरी 2007) की सारांश प्रति

4.3 The Lok Pal

4.3.15 Recommendations:

(a) The Constitution should be amended to provide for a national Ombudsman to be called the Rashtriya Lokayukta. The role and jurisdiction of the Rashtriya Lokayukta should be defined in the Constitution while the composition, mode of appointment and other details can be decided by Parliament through legislation.

(b) The jurisdiction of Rashtriya Lokayukta should extend to all Ministers of the Union (except the Prime Minister), all state Chief Ministers, all persons holding public office equivalent in rank to a Union Minister, and Members of Parliament. In case the enquiry against a public functionary establishes the involvement of any other public official along with the public functionary, the Rashtriya Lokayukta would have the power to enquire against such public servant(s) also.

(c) The Prime Minister should be kept out of the jurisdiction of the Rashtriya Lokayukta for the reasons stated in paras 4.3.7 to 4.3.11.

(d) The Rashtriya Lokayukta should consist of a serving or retired Judge of the Supreme Court as the Chairperson, an eminent jurist as Member and the Central Vigilance Commissioner as the ex-officio Member.

(e) The Chairperson of the Rashtriya Lokayukta should be selected from a panel of sitting Judges of the Supreme Court who have more than three years of service, by a Committee consisting of the Vice President of India, the Prime Minister, the Leader of the Opposition, the Speaker of the Lok Sabha and the Chief Justice of India. In case it is not possible to appoint a sitting Judge, the Committee may appoint a retired Supreme Court Judge.

The same Committee may select the Member (i.e. an eminent jurist) of the Rashtriya Lokayukta. The Chairperson and Member of the Rashtriya Lokayukta should be appointed for only one term of three years and they should not hold any public office under the government thereafter, the only exception being that they can become the Chief Justice of India, if their services are so required.

(f) The Rashtriya Lokayukta should also be entrusted with the task of undertaking a national campaign for raising the standards of ethics in public life.

4.4 The Lokayukta

4.4.9 Recommendations:

a. The Constitution should be amended to incorporate a provision making it obligatory on the part of State Governments to establish the institution of Lokayukta and stipulate the general principles about its structure, power and functions.

....

h. The Lokayukta should have its own machinery for investigation. Initially, it may take officers on deputation from the State Government, but over a period of five years, it should take steps to recruit its own cadre, and train them properly.

परिशिष्ट–"सी–2"

D.O.letter No. .F.1(4)LAS/2007/6155
Jaipur, dated: 4.10.2007

Hon'ble Chief Minister,

After working as Lokayukta, Rajasthan for more than five months, I have felt that the objectives, for which the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 (Act No. 9 of 1973) was brought on Statute Book, have not been achieved. It is because of the obvious shortcomings in the Act itself.

The Preamble of the Act says "for the investigation of allegations against the Ministers and public servants.........". However, the definition of **'public servant'** does not cover many officers/officials/functionaries, who are in the service or pay of the Government/Local authorities/Corporations etc.

For example the definition of **'public servant'** appearing at sub-clause (b) of sub-clause (iv) of clause (i) of Section 2 of the Act does not cover the persons in the employment of or on deputation in the Rajasthan State Road Transport Corporation (hereinafter called 'the RSRTC'). Various complaints have been received against the officers/officials of the RSRTC, but it is not possible to proceed against them because of the words used in sub-clause (b) of sub-clause (iv) of clause (i) of Section 2. The relevant provision reads as follows:-

"2(i)(iv)(b) any corporation (not being a local authority) **established by or under a State Act** and owned or controlled by the State Government,"

The RSRTC has been established under the Central Act. At the same time, it is owned and controlled by the State Government. The officers/officials working in the RSRTC can be brought under the purview of the Rajasthan Lokayukta Act, 1973, if the words **"or Central Act"** are added after the words **"Act"** and before the words "**and owned**".

It is, therefore, suggested that a provision be made in the manner as it finds place in the Karnataka Lokayukta Act 1984. There the relevant provision at sub-clause (ii) of sub-clause (g) of clause (12) of Section 2 reads as follows:-

"2(12)(g)(ii) a statutory body or a corporation (not being a local authority) **established by or under a State or Central Act**, owned or controlled by the State Government and any other board or Corporation as the State Government may, having regard to its financial interest therein by notification, from time to time, specify;"

Then**,** it is seen that the **employees of the Universities** are not covered by the definition of **'public servant'** in our Act. It may be noticed that our Act was brought into force in 1973. Thereafter the situation has changed a lot. The Prevention of Corruption Act has been amended. Rather new Prevention of Corruption Act of 1988 has been brought on the Statute Book wherein the definition of a **'public servant'** has been given, which comprises of 12 sub-clauses. Relevant sub-clause (xi) of clause (c) of Section 2 reads as follows:-

"2(c)(xi) Any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University and any person whose services have been availed of by a University or any other public authority in connection with holding or conducting examinations;"

It is not uncommon that these days serious allegations of corruption are made against the officials mentioned in the above said sub-clause (xi) of the Prevention of Corruption Act. The leakage of the Question Papers is often heard. There are complaints against Invigilators also. So also against the Examiners. Therefore, it is desirable that a suitable amendment is made in our Act in terms of sub-clause (xi) referred to above.

It is significant to point out that as per the provisions of Section 2(12)(g)(vi) of the Karnataka Lokayukta Act, **any person, who is in the service or pay of a University** is treated as **'public servant'**.

It is, therefore, suggested that Section 2(i) be amended suitably so as to include the provision like Section 2(c)(xi) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

So also the **Sarpanchas**, **Up-Sarpanchas** and **Panchas** elected to the Panchayats and the persons in the service of Panchayats are not included in the definition of **'public servant'**. Various complaints are received against the **Sarpanchas**, **Up-Sarpanchas** and **Panchas**, who have got financial powers in the execution of developmental works. It is, therefore, desirable that **Sarpanchas**, **Up-Sarpanchas** and **Panchas** and **persons in the service of Panchayats** are included in the definition of **'public servant'**.

It is significant to point out that the **Pramukh** and **Up-Pramukh** of Zila Parishad and **Pradhan** and **Up-Pradhan** of Panchayat Samiti and Chairman of any Standing Committee have been included in the definition of **'public servant'** at sub-clause (a) of sub-clause (iii) of clause (i) of Section 2 of the Act, but **Sarpanchas, Up-Sarpanchas** and **Panchas of Panchayats** and **persons in the service of Panchayats** have not been included. There cannot be any justification for not including these authorities i.e. **Sarpanchas, Up-Sarpanchas** and **Panchas** and **persons in the service of the Panchayats, Panchayat Samitis** and **Zila Parishads** in the definition of **'public servant'**. It may also be pointed out here that in the provision mentioned in sub-clause (a) of sub-clause (iii) of clause (i) of Section 2, there is reference of Panchayat Samiti and Zila Parishad Act, 1959, which is probably not in force now. After the coming into the force of the 73rd Constitutional Amendment, whereby new Articles 243A to 243O have been added and the new Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) has been enacted, the reference of old law has to be avoided.

It is, therefore, suggested that necessary amendments be made in Section 2 of the Act to include **Sarpanchas**, **Up-Sarpanchas** and **Panchas of the Panchayats** and **the**

persons, who are employed by the Panchayats, Panchayat Samitis and **Zila Parishads**. At the same time, the existing Section 2(i)(iii) deserves to be amended.

That apart, the Government constitutes various **Committees or Boards**, some of which are statutory and some are non-statutory. The individuals manning such Committees/Boards and the **persons in the service or pay of such Committees /Boards** are also not covered in the existing definition of **'public servant'**.

As already stated, our Act came into force in the year 1973 when there might not be such Committees/Boards and no necessity was felt of including the members and staff of those Committees/Boards. Now it is imperative need to include the **Chairman/Members** as also the **persons in the service or pay of such Committees/Boards** in the definition of **'public servant'**. Necessary amendment may be made in this regard.

Then, the **Cooperative Societies** and the Cooperative Banks have also not been included in the definition of **'public servant'**. Though complaints are often received against the Managers of the Cooperative Banks and the **persons in the service or pay of** such Cooperative Societies. In the Karnataka Lokayukta Act, there is a clear provision that a person in the service or pay of a Cooperative society is a public servant. In my view, similar provision requires to be added in clause (i) of Section 2 of the Act.

Further, it is noticed that the definition of **'public servant'** in our Act does not cover a **'public servant'**, who has ceased to hold the office. It means that once a **'public servant'** retires from the service or post or lays down his office, he gets absolved, though there might be already pending complaints of serious charges of corruption against him. Therefore, it is suggested that in the definition of **'public servant'**, it may be made clear that **a person, who is or was at any time** holding the position enumerated in the various sub-clauses of clause (i) of Section 2 shall be deemed to be a public servant. This amendment will take care of the public servants, who were involved in corruption, but have retired/laid down their office.

The aforesaid amendments will go a long way to enable the office of Lokayukta to entertain and enquire into the complaints, which are filed against the officers/officials of RSRTC and the Universities, functionaries under the Panchayati Raj Act, Cooperative Societies Act and the various Committees/Boards.

Apart from the above suggestions, it may also be considered to include the **members of the State Legislature** in the definition of a public servant. In the Karnataka Lokayukta Act, 1984, a Member of the State Legislature is treated as **'public servant'**.

You are, therefore, requested kindly to consider the matter and take appropriate action.

Yours sincerely
Sd/-
(G.L.Gupta)

Hon'ble Smt. Vasundhara Raje,
Chief Minister,
Rajasthan, Jaipur.

अध्याय-7

अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त ऑम्बुड्समैन सम्मेलन

प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त सम्मेलन 26 मई से 30 मई, 1986 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में, **द्वितीय सम्मेलन** 22 अगस्त से 24 अगस्त, 1989 को नागपुर (महाराष्ट्र), **तृतीय सम्मेलन** 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 1991 को जुबिली हाल, पब्लिक गार्डन्स व आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त संस्था के भवन, हैदराबाद, **चौथा सम्मेलन** 7 मार्च, 1995 को गुरूजादा हाल, ए.पी.भवन, नई दिल्ली तथा **पांचवा सम्मेलन** 10 व 11 फरवरी, 1996 को गांधीनगर (गुजरात) में सम्पन्न हुआ ।

छठा सम्मेलन दिनांक 22 एवं 23 जनवरी, 2001 को पार्लियामेंट एनेक्सी, नई दिल्ली एवं दिल्ली सचिवालय में सम्पन्न हुआ ।

सातवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन-2003 (बैंगलोर) दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2003 को बैंक्वेट हॉल, विधान सौधा, बैंगलोर में सम्पन्न हुआ।

आठवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन-2004 दिनांक 27 से 29 सितम्बर, 2004 को देहरादून में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया । सम्मेलन का समापन समारोह को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा सम्बोधित किया गया ।

सम्मेलन को अन्य विशिष्टजनों के अतिरिक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधा राव, अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग ने भी सम्बोधित किया जिन्होंने लोकायुक्त संस्था को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने एवं केन्द्रीय लोकायुक्त विधि बनाये जाने पर दिया।

यह पहला अवसर था जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकायुक्त सम्मेलन को सम्बोधित किया गया ।

पूर्व लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, जो कि अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) संघ के उपाध्यक्ष भी थे, ने सम्मेलन में भाग लिया था । उनके द्वारा दिया गया परिचयात्मक भाषण **परिशिष्ट-'डी'** एवं समापन भाषण **परिशिष्ट-'डी-1'** में दिया गया है । सम्मेलन में पारित प्रस्ताव **परिशिष्ट-'डी-2'** में दिया गया है।

नवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मलेन-2007 दिनांक 22 व 23 सितम्बर, 2007 को बैंगलोर में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया ।

समारोह का समापन माााननीय श्री शिवराज पाटील, गृहमंत्री, भारत सरकार ने अपने भाषण से किया ।

सम्मलेन में मेरे द्वारा **''भ्रष्टाचार एवं कुशासन के उन्मूलन में मीडिया, राजनीतिक दलों एवं गैरसरकारी संगठनों की भूमिका''** पर भाषण दिया गया था जो **परिशिष्ट-'डी-3'** में दिया गया है तथा सम्मेलन में पारित प्रस्ताव **परिशिष्ट-'डी-4'** में व सम्मेलन के कुछ छायाचित्र प्रतिवेदन के अंतिम पृष्ठों में दिये गये हैं ।

परिशिष्ट–''डी''

Introductory Remarks
by Justice M.C.Jain, Lokayukta of Rajasthan

His Excellency the President of India, Dr.A.P.J.Abdul Kalam, His Excellency the Governor of Uttaranchal, Shri Sudarshan Agarwal, Hon'ble the Chief Minister of Uttaranchal, Shri Narayan Dutt Tewari, Hon'ble Mr.Justice N.Venkatachala, Lokayukta of Karnataka and President of the All India Association of Lokayuktas/Lokpals/Upa-Lokayuktas (Ombudsmen), Hon'ble Mr. Justice S.H.A.Raza, Lokayukta of Uttaranchal and Convenor of the Conference, brother Lokayuktas, Lokpals, Upa-Lokayuktas, other esteemed guests, participants, invitees, media representatives, officers and staff of the Lokayukta organisations, ladies & gentlemen,

Lokayukta institutions came into existence in different years, in different States in India. The first Lokayukta institution was established in Orissa in the year 1970. There after, these institutions were established in different States in different years namely: Maharashtra (1972), Rajasthan (1973), Bihar (1974), Uttar Pradesh (1977), Madhya Pradesh (1981), Andhra Pradesh (1983), Himachal Pradesh (1983), Karnataka (1984), Assam (1986), Gujarat (1988), Delhi (1995), Punjab (1996), Kerala (1998), Chhattishgarh (2002) and Uttaranchal (2002).

In Orissa, the earlier law (1970) was repealed and law was re-enacted in the year 1995. In Haryana also, the institution came into existence as a result of the Haryana Lokpal Act, 1997 but the said Act was repealed and re-enacted in 2002 enforced with effect from 1.8.2004, but so far no appointment has been made.

After coming into existence of Lokayukta institutions, some conferences were held: First All India Conference of Lokayukta and Up-Lokayuktas was held on 26th May 1986 at Shimla, Second Conference on 22nd August 1989 at Nagpur, Third Conference on 26th October 1991 at Hyderabad, Fourth Conference on 7th March, 1995 at A.P.Bhawan, New Delhi and Fifth Conference on 10th February, 1996 at Gandhi Nagar (Gujarat).

Regular Conferences were started from the year 2001. 6th All India Conference of Lokayukta and Up-Lokayuktas was held at New Delhi on 22nd and 23rd January, 2001 and the then Hon'ble the Prime Minister of India Shri Atal Bihari Vajpayee inaugurated the same and the Valedictory Function was addressed by the then Hon'ble Union Minister for Law, Justice & Company Affairs, Shri Arun Jaitley as Chief Guest and Hon'ble Union Minister of State, Public Grievances and Plan Implements, Shri Arun Shourie as Chairperson.

It was inter alia unanimously resolved that-

1. Justice M.C.Jain (Coordinator), Lokayukta, Rajasthan will very kindly send letters of request to eminent scholars, Judges of High Courts and Supreme Court, Lokayuktas and Upa-Lokayuktas of various States and other important dignitaries considered appropriate by the Coordinator inviting their valuable suggestions for provisions in the Model Lokayukta Bill. The letter of request

will be sent after receiving the names, addresses as also telephone numbers from the respective Lokayuktas and Upa-Lokayuktas.

2. The Coordinator will address a letter to the Chief Ministers of the States where the Institution of Ombudsman does not exist. Justice M.C.Jain, Lokayukta, Rajasthan will emphasize the need for the establishment of the Institution of Lokayukta to the respective Chief Ministers for enactment of such laws for eradication of corruption and for removal of mal-administration in the States.
3. Where Lokayukta Offices are lying vacant at present, their appointment should be made as early as possible. A letter of request shall be addressed by the Coordinator to the respective Chief Ministers.
4. The Coordinator shall address letters to Hon'ble Prime Minister, Home Minister, Law Minister and Chairperson, National Commission to Review the Working of the Constitution requesting them to bring necessary amendments in the constitution for conferring constitutional status to the Lokayuktas and Upa-Lokayuktas for effective functioning of these Institutions. A letter may also be addressed to the President of India for such action, which His Excellency may deem proper.

During deliberations pursuant to the resolutions, it was thought necessary to form an Association of Lokayuktas/Lokpals/Upa-Lokayuktas and finally as a result of deliberations, an Association was constituted by a memorandum adopted on 21st July 2002.

Pursuant to the resolutions, steps were also taken to draft a Model Lokayukta Bill, which was sent to all the Chief Ministers of the States, Law Ministers, Speakers of the State Legislative Assemblies and steps were also taken to move the National Commission to Review the Working of the Constitution. Other resolutions were also carried out.

After the Association was formed, 7th Conference was held at Bangalore on 17th and 18th January 2003, which was inaugurated by HE the Vice President of India Shri Bhairon Singh Shekhawat and Valedictory Address was given the then Hon'ble Deputy Prime Minister of India, Shri L.K.Advani.

In this series, this 8th Conference is being held at Dehradun. The Association is now trying to hold the Conferences annually with a view to take stock of the developments, interaction among Lokayuktas and also to propagate the concept of good governance through the institutions of Lokayuktas and to discuss further projects and activities. In this conference, apart from the Inaugural and the Valedictory Sessions, we would be having Plenary Sessions.

First Plenary Session:

The First Plenary Session would be on the subject: **" Need of Constitutional Status under Article 323 of the Constitution of India and Uniform Legislation ".** Lokayuktas have been emphasizing all throughout that there is a need for central legislation, without which there would be no uniformity in law. There are divergences on powers and jurisdiction and machinery and the functions of the Lokayuktas. In eight States, Chief Ministers are within the purview of the Lokayukta and in others, they are not. Similarly, the definition of 'public servant' falling within the jurisdiction of the Lokayukta is very much divergent. In some laws, grievance also falls within the purview of Lokayukta

whereas it is not so in others. Suo-motu cognizance may be taken in some laws whereas it is absent in others. In some laws, there is no ground of disproportionate assets acquired beyond the known sources of income and power of search and seizure is not there. In some laws, the inquiries are dropped, if the public servant retires voluntarily or compulsorily or resigns etc. There are divergences regarding maintaining secrecy about the names of the complainant and the public servant. In some laws, a complete investigating machinery is provided, whereas it is not so in other laws. In some laws only Chief Minister and Ministers fall within the jurisdiction of Lokayuktas. Hardly one or two cases come up for examination before the Lokayuktas of these States. It is this aspect, which will be deliberated upon on the subject "Need of Uniform Legislation".

Similarly, so far as the need of constitutional status is concerned, a draft chapter was sent along with memorandum to the National Commission to Review the Working of the Constitution, but the Commission declined to adopt that and simply recommended for having a provision in the Constitution for the States to enact law on the subject, but such a recommendation will not serve the purpose as it will not bring about uniformity in law. Different laws will emanate from different Legislatures. Even the recommendation made by the Commission has not so far been carried out.

Second Plenary Session:

One of the subjects, which will be deliberated upon, is **"Lokayuktas/Lokpals: A Civil Society - Expectations & Reality".** Expectations are very high as these institutions are headed by retired Chief Justice or Judges of the Supreme Court or Judges of the High Court, but it depends on the laws under which these institutions have come into existence. If the laws are laconic, if the laws are not powerful, if the laws do not confer necessary jurisdiction and do not provide necessary machinery, the expectations of the civil society cannot be fulfilled. They will remain decorative offices. To fulfil the expectations of the civil society, it is necessary that the laws should be such, which may really empower the Lokayukta and Lokpals to be effective within their domain.

Third Plenary Session:

Another subject is **"Role of Political Parties in strengthening the institution of Lokayuktas/Lokpals in the present Socio-Economic and Political Scenario**". Suffice it to say that the parties in power must act in a manner so as to strengthen the institutions of Lokayukta. Unless there is a political will to carry out and promulgate such legislations, which empower the institutions of Lokayuktas, it will not be possible for the institutions to be effective. The Governments of the day should take into account the position of Ombudsman in other countries of the world and see what powers are being enjoyed by them and how and in what manner the results can be achieved by empowering the Lokayuktas and Lokpals through strong legislations. Their feeling may be that another centre of power may not come into existence and so the institutions should remain weak and not effective. These institutions can be strengthened only by strong political will. The object of establishment of institutions would only be achieved, if the Government of the day will have political will to enact effective laws in the field so that actions recommended by the Lokayuktas are carried out by the executive. It should not be left to the executive to agree or not agree with the recommendation of the Lokayuktas. In a recent judgment of the Supreme Court, the question was left to be decided in an appropriate case as to whether the recommendation made by the Lokayukta is binding on the Government.

Fourth Plenary Session:

Another subject, which would be deliberated upon, is: **"Lokayuktas/Lokpals: NGOs & Media: Expectations and Realities".** It has assumed a great significance in the present scenario. People do not have much expectations, that is why need arises to create awareness in the public and to build mass movement, which can be possible only by Media and by Non-Governmental Organisations. The deliberations on the subject would be very useful, which will necessarily cover as to what part N.G.Os. can play even in the absence of such like institutions and even when attempts are not made effectively by the Governments of the day. How media can help in this cause would be a subject matter of discussions on the topic. Media can highlight the need of such legislations. It is through such independent institutions that the goal of good governance can be achieved to some extent.

Hon'ble the Prime Minister of India Dr.Manmohan Singh, in his message to the Nation on the Independence Day, said for evolving Code of Conduct for politicians and political parties and also to bring about administrative reforms in governance. It is also under contemplation to bring about radical proposals to change the face of the bureaucracy.

Subjects for discussion in this conference are of vital importance in the present day socio-politic economic scenario. If politicians are corrupt, bureaucracy is bound to be corrupt and if they are not, bureaucracy cannot dare to be corrupt.

The question of tainted Ministers and Legislators assume importance. Persons with clean image only should be allowed to contest but the question requires deeper thought and consideration. The cases may be politically motivated. There may be over implication or false implication. Investigations are some times misdirected. Every person is presumed to be innocent till guilt is proved. What thoughts, views, matters have to be taken into consideration while deciding the question as to who should be allowed to contest and who should not. In such cases, the one solution can be to finalise the cases early. Investigations have to be completed within fixed period and trial of the case should also be over within a particular time limit by Fast Track Courts and there should be only one appeal to the Supreme Court in such cases. Politicians would not like to be controlled by any authority unless there is some law barring their entry.

Recently former Attorney General of India Shri Soli Sorabjee has expressed his views, which appear in Sunday Express dated 12th September 2004. He has said:-

> "The vexed problem is when can a person be regarded as a law-maker? Upon registration of an offence, or upon framing of a charge by a court of law, or only upon conviction? Under the Representation of the People Act, disqualification operates only upon conviction.
>
> This is thoroughly unsatisfactory. The Chief Election Commissioner in its proposals of July 2004 on electoral reforms has pointed out several instances of persons charged with heinous crimes contesting election, pending their trial, and even getting elected in a large number of cases. A trial can be inordinately delayed with repeated adjournments asked for by the lawyers and readily granted by the courts.

> The Election Commission has proposed an amendment to the effect that any person who is accused of an offence punishable by imprisonment for five years or more should be disqualified from contesting an election even when the trial is pending, provided charges have been framed against the person by a competent court. The Law Commission had also made a similar recommendation in 2000. This proposal is opposed by some on the ground that a person is presumed to be innocent until proved guilty. What is overlooked is that by providing for disqualification in such cases, no criminal punishment is imposed on the candidate. The candidate's right to carry on any business or profession is not restricted, unless politics is considered a money-making professional activity. It is only the burning desire of the candidate to serve the people, which is affected."
>
> Moreover, it is settled law that the right to contest elections is neither a common law right nor a fundamental right. It is merely a statutory right and therefore can be regulated by statute. There is nothing unreasonable in such a provision because the disqualification operates when a candidate is accused of serious criminal offences and the court is prima facie satisfied about the candidate's involvement and has consequently framed charges. This is very different from disqualification arising from registration of an offence by filing a FIR, which can be and often is politically motivated. True, motivated political cases may be filed and charges may be framed illegally, as happened during the Emergency. In that case the aggrieved person can approach a superior court to have them quashed.
>
> The proposal is not foolproof, but in view of the current political scenario and in the larger interests of purity of elections and decriminalization of politics, such a disqualifying provision is necessary. Extraordinary situations warrant extraordinary solutions."

There may be cases, where prosecution may ultimately turn in acquittal. The question needs consideration whether person, who has been debarred from election, has been deprived of contesting election, some times for a very long period till finally he is not found guilty and he is ultimately acquitted.

There may be heated debates and sessions are likely to be stormy but we have to consider the concrete practical measures, which are to be adopted at different levels to bring about probity in public life.

Citizens' grievances have to be redressed for good governance. Grievances should be made the ground of action before the Lokayuktas, and such matters, if power is conferred, can be dealt with by Lokayuktas. The grievances fall within the jurisdiction of Lokayuktas in some laws. Even such power vests in some of the foreign Ombudsmen. The Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble High Courts are already very much burdened with public interest litigation but if jurisdiction in the matters of grievances is conferred on Lokayuktas along with matters relating to abuse of power and corruption etc., the burden of the Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble High Courts will be reduced to some extent and relief can be granted promptly.

Justice M.C.Jain

परिशिष्ट–''डी–1''

Speech by Justice M.C.Jain
Lokayukta, Rajasthan and Vice President
All India Association of Lokayuktas/Lokpals/Upa-Lokayuktas (Ombudsmen)

Hon'ble the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, His Excellency the Governor of Uttaranchal, Shri Sudarshan Agarwal, Hon'ble the Chief Minister of Uttaranchal, Shri Narayan Dutt Tewari, Hon'ble Mr.Justice N.Venkatachala, Lokayukta of Karnataka and President of the All India Association of Lokayuktas/Lokpals/Upa-Lokayuktas (Ombudsmen), Hon'ble Mr. Justice S.H.A.Raza, Lokayukta of Uttaranchal and Convenor of the Conference, brother Lokayuktas, Lokpals, Upa-Lokayuktas, other esteemed guests, participants, invitees, media representatives, officers and staff of the Lokayukta organisations, ladies & gentlemen,

We have assembled in this Session to hear our beloved Prime Minister, who is a renowned scholar, academician and universally acclaimed economist.

He is always very soft, mild spoken, smiling but very firm. We are extremely grateful to him for having spared some time, to address this Conference after hectic foreign tour with crucial assignments.

The issues raised in this Conference are of great significance and it would give us opportunity to have his views on the burning issues so that the country may make progress, development resulting into corruption free society and good governance.

History and development of Ombudsmen

The roots of the modern ombudsman can be traced back to the Justitie ombudsman (ombudsman for justice) of Sweden, which was established in 1809. The Swedish word "Ombudsman" refers to a person commissioned to protect citizen's right against maladministration, corruption, delay, inefficiency, non transparency and abuse of position etc. The institution did not spread to other countries until the twentieth century, when it was adopted by other Scandinavian countries, Finland (1919), Denmark (1955) and Norway (1962). The popularity of the ombudsman office increased since early 1960s, as various Commonwealth and other, European, countries established the office: for example, New Zealand (1962), United Kingdom (1967), most Canadian provinces (starting in 1967), Tanzania (1968), Israel (1971), Puerto Rico (1977), Australia (1977 at the federal level, 1972-1979 at the state level), France (1973), Portugal (1975), Austria (1977), Spain (1981), and the Netherlands (1981). Besides this, 7 offices of Ombudsman in Africa, 17 in Asia (other than India), 11 in Australia & pacific, 10 in Caribbean & Latin American countries, 41 in European countries, 6 in Canada and 10 in U.S.A. were established.

Unfortunately, we do not have a Lok Pal at the Centre, which is yet to become a reality. But, the Institutions of Lokayuktas/ Lok Pal came in existence in 17 States namely: Orissa (1970) & re-enacted in 1995, Maharashtra (1972), Rajasthan (1973), Bihar (1974), Uttar

Pradesh (1977), Madhya Pradesh (1981), Andhra Pradesh (1983), Himachal Pradesh (1983), Karnataka (1984), Assam (1986), Gujarat (1988), Delhi (1995), Orissa (1995), Punjab (1996), Kerala (1998), Haryana (1997) re-enacted in 2002 enforced from 1st August 2004, but no appointment so far made, Chhattishgarh (2002) and Uttaranchal (2002).

Corruption Scenario in India

In the last two decades, corruption has assumed vast proportions. It has become a burning national problem. Unless, it is curbed and eradicated, development and good governance is not possible. Our declarations are for 'zero' tolerance. Every Government makes its declarations. Declarations of transparent, honest, responsive and corruption free Governance by the Government remains a simple verbal utterance. We have seen in these two decades that development has been blocked and delayed because of corruption. Corruption is not only anti-development, but also anti-people and anti-national. Ombudsmen movement has gained worldwide acceptance, as the goal of all Governments is good governance. Slogan of development will not work unless we establish corruption free society. Pace of development will be very fast in a corruption free society.

According to the Transparency International's Report-2003, India ranks 83 out of 133 countries in Corruption Perception Index for 2003 and scored only 2.8. Seven out of ten countries score less than 5 out of a clean score of 10, while five out of ten developing countries score less than 3 out of 10. Nine out of ten developing countries urgently need practical support to fight corruption. Transparency International India also conducted an empirical study on corruption-India.

According to the study by Washington DC based Centre for Public Integrity, India has been ranked as one of the most corrupt countries in the world. The study was the first ever-international probe into the extent of openness, accountability and governance in 25 democratic countries. India finds 18th place in the 25-member list as reported in the Indian Express dated 5th May 2004.

India has become the country of scams, scandals, Swindlers, smugglers, racketeers, money launderers, and Hawala operators. India has seen scams like Urea Scam, Telecom Scam, Fodder Scam, Securities Scam, Bank Scam, Defence Deals Scam, P.S.C.'s Scam, Paper Leak Scams (CAT, CPMT, IIM etc.), UIT Scam, Telgi Stamp paper Scam, Taj Corridor, Multi crore disproportionate property Scam and most of others. Ghoos, Ghapla's, Ghotala's, Galore. Newspapers all over the country are full of such reports. Number of editorials, letters to the editors, articles in papers and journals, magazines have appeared.

Virtually no department can claim that it does not suffer from this malaise. A few of them are Revenue, Police, Medical & Health, Education, U.P.S.C & P.S.C., Local Self Government, P.H.E.D., Electricity, Telecommunication, Income Tax, Commercial Tax, Defence, P.W.D., Social Welfare, Mining, Forest, Commerce and Industry, Financial Institutions, Banks, Excise & Customs, Pass Port.

This malaise affects constitutional bodies, public sector undertakings and even judiciary.

It is said that Capitals of the country have not only become capitals of crime but also capitals of corruption. Every seat of power, howsoever, high or low, by and large, has become seat of corruption. What to say about corruption in India. Today a philosophy is very popular in common man which पे **"सब चलता है"** i.e. life goes on, as it is. Hundred percent tolerance. Another philosophy is **"पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं"** is very common. These views and philosophies have taken roots.

Inaugurating a two-day national seminar on "access to justice", organised by the Supreme Court Advocates on Record Association in association with the United Nations Development Programme, His Excellency the President of India Dr. A.P.J.Abdul Kalam said that with the rising all-round awareness and a demand for a clean and corruption-free public life, the burning issue of probity in public life was increasingly coming into focus.

> "Conduct and behaviour in public life are, like never before, under very close scrutiny". It was essential that the three pillars of democracy - Legislature, Judiciary, and Executive - "are strong in structure, pure in form and uncorrupted and unblemished in conduct".

The President made it clear that "if we cannot make India corruption-free, then the vision of making the nation developed by 2020 would remain as a dream". (The Hindu April 27, 2003)

> Shri Soli Sorabjee, former Attorney General of India has stated that:
> We have been crying hoarse about corruption. Laws have been enacted but to no avail. The cancer continues to spread. Open and shut cases linger on endlessly; The corrupt gentry brazenly flaunt their wealth and position in society with impunity. A law, which requires strict implementation, is the one, which deprives the corrupt of the fruits of their misdeeds by confiscating their properties, which are the outcome of corruption. This will pinch more than imprisonment because the jail authorities can be fixed and the prison cell will be provided with the comforts of a five star hotel.
>
> The Unites Nations has recently drafted a Convention against Corruption. About 120 governments met in Mexico on 9th December 2003 for the signing ceremony of the first legally binding international agreement to combat corruption. After signing the Convention, governments will embark on the process of bringing their laws and practices in accord with the Convention and obtaining national ratification. Thirty ratifications are needed for the Convention to enter into force. The Secretary General in his message stressed that corruption violates the socio-economic human rights of the people especially in the developing countries because funds meant for roads, wells, hospitals, schools and other basic necessities are siphoned off and deposited in safe havens abroad.
>
> It must be realised that a corrupt public servant is in reality a human rights violator and should be perceived and treated as such. Unfortunately there is no social ostracism in our country. Persons with well-earned reputation for massive corruption are lionised and are invited to inaugurate schools and hospitals. Apparently there is tacit acceptance of corruption. Erudite seminars and routine

fulminations about corruption are mere sound and fury signifying nothing. And so it will be unless there are speedy trials and convictions coupled with vigorous mobilisation of public opinion against corruption. Incidentally when will the Lok Pal Bill become law? Are bookies prepared to offer any odds? Probably not. It is such a dull and boring subject. (The Sunday Express dated January 4, 2004).

The Hon'ble Supreme Court in the case of High Court Of Judicature At Bombay Versus Shiris Kumar Rang Rao Patil And Another[2] has observed as under: -

"Corruption appears to have spread everywhere. No facet of public function has been left unaffected by the putrefied stink of corruption. Corruption, thy name is depraved and degraded conduct. Dishonesty is thine true colour, thine corroding effect is deep and pervasive; spreads like lymph nodes, cancerous cells in the human body spreading as wild fire eating away the vital veins in the efficacy of public functions. It is a sad fact that corruption has its roots and ramifications in the society as a whole. In the widest connotation, corruption includes improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office. The root of corruption is nepotism and apathy in control on narrow considerations, which often extend passive protection to the corrupt officers. The source and succour for acceptability of the judgment to be correct, is upright conduct, character, absolute integrity and dispassionate adjudication as hallmarks."

In another judgment, their Lordships of the Supreme Court in State Of M.P. v. Ram Singh[3] have observed as follows:-

"Corruption in a civilized society is a disease like cancer, which if not detected in time, is sure to malignise (sic) the polity of the country leading to disastrous consequence. It is termed as a plague, which is not only contagious but if not controlled spreads like a fire in a jungle. Its virus is compared with HIV leading to AIDS, being incurable. It has also been termed as royal thievery. The socio-political system exposed to such a dreaded communicable disease is likely to crumble under its own weight. Corruption is opposed to democracy and social order, being not only anti-people, but aimed and targeted against them. It affects the economy and destroys the cultural heritage. Unless nipped in the bud at the earliest, it is likely to cause turbulence-shaking of the socio-economic-political system in an otherwise healthy, wealthy, effective and vibrating society."

The Supreme Court of India in the case of State of Andhra Pradesh v. V.Vasudeva Rao [reported in 2003(9) Scale Page No.569] has observed as under:-

"Corruption is one of the most talked about subjects today in the country since it is believed to have penetrated into every sphere of activity. It is described as wholly widespread and spectacular.

Corruption as such has reached dangerous heights and dangerous potentialities. The word 'corruption' has wide connotation and embraces almost all the spheres of our day-to-day life the world over. In a limited sense it connotes allowing decisions and actions of a persons to be influenced not by rights or wrongs of a cause, but by the prospects of monetary gains or other selfish considerations.

---

2 (1997) 6 Supreme Court Cases 339

3 (2000) 5 Supreme Court Cases 88

> Avarice is a common frailty of mankind, and while Robert Walpole's observation that every man has a price, may be a little generalized, yet it cannot be gainsaid that it is not far from truth. Burke cautioned, "Among a people generally corrupt, liberty cannot last long."

His Excellency the Vice President of India Shri Bhairon Singh Shekhawat in his first ever interview to Shri Mahesh Daga (The Times of India, New Delhi dated 7 April, 2003) since assuming office, the Vice President said:-

> "On the issue of corruption, for instance, we've got to ask ourselves why is it that people in high places, whether in politics or bureaucracy or the police, routinely get away despite having cases registered against them? In the last 55 years, hardly any influential people have been sentenced for corruption. I'd like Parliament to apply its mind to this, so that the guilty are not allowed to get away lightly."

Shri P.Chidambaram, Finance Minister of India in his lecture delivered at the Nehru Centre, Mumbai on February 21, 2004, (excerpt of lecture published in the Sunday Express dated February 22, 2004) said :-

> "Politicians and civil servants have forfeited the trust of the people. They are no longer regarded as the fence that protects; they are seen as the fence that eats the crop. They are seen as a class apart and as a law unto themselves. No one extends any sympathy when a civil servant is arrested and thrown into jail, albeit for a few days, on a charge of corruption. No one sheds a tear when a politician passes away. Government is seen as a necessary evil, and politicians and civil servants are regarded as the praetorian guards of an evil and oppressive system.
>
> We think, without understanding the crucial difference, that 'Rule by Law is the Rule of Law' Under the Rule of Law, "howsoever high you may be, the law is above you." On the contrary, under Rule of Law, a small section of the people arrogates to itself the power to rule. That section remains above the law, bends the law to suit its needs or brazenly breaks the law if it is necessary to achieve its own ends. There is a compact among select politicians, civil servants, judges, businessmen, brokers and criminals, and we live under the shadow of this unholy alliance."

In Magazine Day-After Sunil K Dang, Editor-in-Chief in his Editorial "Is there any cure for corruption?" said: -

> "Are we a dead society? We hear about corruption, we talk about corruption, we read about corruption and shake our heads. But we never do anything about it. The question every one of such must ask, seriously and honestly, is: Is there any cure for corruption? Even If I have a corrupt mind, do I accept corruption without questioning, without protest? Do I compromise rather than combat corruption? If I accept corruption as a part of my environment and daily life, does not that make me a collaborator with corruption. "

He has said that official of Delhi Development Authority, including its vice-chairman and others allegedly amassing huge fortunes. It is time that the DDA is renamed as 'Corruption Development Agency'.

Whistleblowers matter came up for consideration before the Supreme Court through Public Interest Litigation. Having regarding to the views of the Supreme Court, the Central Government has informed the Supreme Court on 26th April, 2004 that it has put in place a mechanism to protect "whistle blowers" bringing to light the corruption in public life. The Ministry of Personnel has notified a resolution empowering the Chief Vigilance Commission to receive all complaints alleging corruption in public life pertaining to the Central Government. On the direction of Supreme Court, guidelines have been framed for protection of "whistle blowers" as an interim measure before Parliament took up a Bill in this regard. The notified resolution, while making leakage of the name of the whistle blower an offence, has given power to the C.V.C. to conduct preliminary inquiry into the complaint and initiate appropriate proceedings against the government servants.

Need of Uniformity in Lokayukta Laws

There is no uniformity amongst the State laws.

The Sixth Conference was inaugurated by Hon'ble the Prime Minister of India on 22nd January, 2001 at Delhi. In his Inaugural Address, he said that there is no uniformity of Lokayukta laws in the country and he also emphasised the need to bring about uniformity. The Lokayukta laws are in force only in seventeen States. As they are State laws, they are very much divergent on various subjects. The divergence is there with regard to jurisdiction over men and matters, over power of search and seizure, over past or present public servants. There is divergence even on the ground of taking cognizance suo moto, Grievances are the subject matter within jurisdiction under some laws, whereas it is not so in other laws. Disproportionate assets constitute a ground for taking cognizance, whereas it is not so in some laws. In some States, laws are in force but the Office of the Lokayukta is lying vacant for a very long time and appointments were not made. The machinery provided in some of the state laws is more effective as compared to other states. Taking all these matters into consideration, the Lokayuktas passed resolution for drafting a Model Lokayukta Bill to be sent to all the States. Thereafter a Model Lokayukta Bill was drafted and it was sent to all the States including those States where such laws are not in force. No State has so far enacted the law where they were not in force and no amendments have been made by the States in the light of the provisions of the draft of the Model Lokayukta Bill. There is, therefore, an urgent need for a Central legislation by the Parliament on the subject. Even such a Central Legislation was thought of as early as 1968, 1971 as the two bills were introduced in these years under the name " The Lokpal & Lokayuktas Bill, 1968 & 1971.

I, II, VI and VII All India Conferences of Lokayuktas and Upa-Lokayuktas passed resolutions for giving constitutional status to the institution of Lokayuktas and Upa-Lokayuktas, but all in vain. However, the Constitution Review Committee has recommended in its report as follows:

> ".....the Commission recommends that the Constitution should contain a provision obliging the States to establish the institution of Lok Ayuktas in their respective jurisdiction in accordance with the legislation of the appropriate legislatures."

The above recommendation leaving the matter to the State legislatures may not serve the purpose, as the provisions would not be uniform on essential subjects and matters.

Even such an amendment has not so far been carried out, though we are for Central Legislation, which will bring about uniformity. Even at present, there are no laws in remaining States. It would be evident from this fact alone that despite the promulgation of law by some States, appointments of Lokayuktas are not made and posts are lying vacant for long time. The State of Haryana has recently enacted the Haryana Lokayukta Act, 2002, which was notified on 27th January 2003, but so far no Lokayukta has been appointed. At present, therefore, there are no Lokayuktas in Himachal Pradesh, Gujarat, Punjab, Assam and Haryana.

I have also come to know that the Director, Common Cause has filed a writ petition No. 26 of 1995 Common Cause, a registered society v. Union of India and Others before the Hon'ble Supreme Court. Inter alia, following prayers have been made:-

"iv) Pass an appropriate writ, order or orders directing the State Governments Respondents to indicate to the Hon'ble Court as to when they propose implementing the specific suggestions which have been made for strengthening and improvement of the functioning of the system of Lokayukta, including inter alia, the following:

a) To ensure expeditious establishment of the institution of Lokayukta and Upa-Lokayukta in every State;
b) To achieve uniformity in the provisions of various Lokayukta and Upa-Lokayukta Act; and
c) To confer Constitutional status on the institution of Lokayukta."

Institutes of Public Administration, Media and N.G.Os., Intellectuals, Social Scientists and Activists and the common man should study the Lokayukta laws in the country. From such study, they will be able to have the first hand knowledge of the divergence in Lokayukta laws. The deficiencies, lacunae and weaknesses, which exist in such laws, after study thereof, they would be able to raise a voice for bringing about the changes in Lokayukta laws through amendments. But still uniformity may not be possible as the State legislatures may not be able to legislate on such fundamentals of uniformity. It is only then they will feel the need of central legislation to overcome the deficiencies, lacunae and weaknesses. It is some times commented upon that the Lokayukta institutions have not served the purpose for which it was established, but blame does not lie in the system but at the door of lawmakers.

Submission of Property Statements

There is should be a provision in all Lokayukta laws for submission of property statements by all public servants and public functionaries, for which there should be uniform definition, up to 30th of April annually. The property statements should be sufficiently publicized and if people have any objections against the same, the same can be filed in the office of Lokayukta. Property statements should be accompanied with affidavits with clear mention of the fact that there are no properties, which are benami. If affidavits are found false, power of prosecution should be vested in the Lokayukta.

Property in the name of near relations be also mentioned along with the names of the relations with their telephone numbers, if any. If objections are submitted, they have to be

investigated. Property in excess of the known sources of income would liable to be forfeited and benami properties shall also be forfeited. Such provisions should be there in the Lokayukta laws. Such a provision would be punitive and deterrent. Besides that, there should be exchange of informations available with all the Vigilance bodies in this regard, so that such bodies may be able to adopt such course of action as may be permissible under the law.

Role of Media and N.G.Os. to combat corruption

To eradicate corruption, Media as well as N.G.Os. have a very vital role to play. They have to make it a people's movement. A spirit of Zero Tolerance has to be imbibed amongst citizens. If such awareness is created in public at large, it would be possible to some extent to curb corruption. Their role should be to decry such nefarious activities of persons in public life occupying higher positions. Media has to decry such personalities, who do not deserve any honour from the public. People should not be prepared to honour such personalities. Those who misuse their authority, those whose integrity is doubtful, those whose image is low, do not deserve any honour from the public on any stage. Media and N.G.Os. should propagate to bring about transparency and the accountability of those, whose duty is to perform a particular public duty. It is seen that Media and N.G.Os. indulge in making such public figures as heroes. They are not icons or persons, who deserve any emulation. By cheap publicity, they gain the status of hero. The society should honour only those, who deserve such honour.

Media and N.G.Os. should also consider it to be their duty to find out as to how each department is working and who performs what tasks and what duties. What works of the public can be performed in what time. Funds allocated for a particular development work have been utilized for that work or not, if so, to what extent. Public has a right to know as to how much money is allocated, for which developmental work, to be spent by which authority. It becomes also the duty of the establishment to make it known to the public that for which particular development project, what amount has been allocated, to which institution or office.

Media has another important role to play of engaging itself in investigative journalism. This should be possible only when necessary information can be obtained. How and in what manner, that information can be gathered is required to be undertaken. In case, information is not being given or supplied, some steps are required to be taken on the basis that the people have a right to know as to how their money has been utilized. Every possible information in this regard, should be obtained, if necessary, through Public Interest Litigation. N.G.Os. can constitute Jan Satarkta Samitis to keep vigil on all offices and engage themselves in social audit, surveillance and vigilance.

I have visited 28 Districts out of 32 Districts in Rajasthan and addressed meetings of District Level Officers and N.G.Os. of the District along with representatives of Media. To the District Level Officers, I said that they are not public rulers, they are public servants. They have to serve in that spirit. They are the public servants through whom all policies of the Central and the State Governments are implemented. They are the medium. If they perform well, it will enhance the image of the Government. In case of non-performance, image will go down. Image of the Government is in their hands. There are Departments having direct contact with the public. The officers should make themselves

accessible; hear their grievances and complaints. Bring transparency in the office work. Prescribe some time limit for the performance of a particular work, task or business; monitor it. Accountability be fixed in case of non-performance. They should see that the common man, who visits their office, should go satisfied. Surveillance be made in case of all development works to be completed within the given time.

As suggested by Hon'ble the Chief Justice of India Justice R.C.Lahoti, the office holders of such institutions instead of confining themselves to enquiries, investigations and prosecutions should also assume the role of educators aiming at propagating the prevention of corruption, inefficiency and maladministration in governance. For this, the law does not need any amendment. Let it be by way of voluntary movement on Gandian principles.

As regards N.G.Os., I found most of them are only letter pad organisations organising some functions in a year and get publicity from such functions. No regular social service as such is done. There are few good N.G.Os., who are wholeheartedly engaged in human service or social service in sectors like Education, Health, Environment, Dalit Upliftment, Women Empowerment.

I stressed for a drive against corruption, abuse of power, favouritism, nepotism, motivated actions, but no NGO came forward to undertake such social service. I told them to constitute Jan Satarkta Samitis, which can undertake this service, which is also a great service for the common man. Corruption is anti-people, anti-development and anti-national. Unless such surveillance or vigilance bodies come up, it will not be possible to curb corruption. They have to make it a people's movement.

The Indian Express dated July 2, 2003 in its editorial under the caption "We've been here before" stated:-

> "First, there's the overwhelming deja vu. The clearing by the Cabinet of the Lokpal Bill sets the stage for yet another outing of what must surely rank as the longest pending piece of legislation in our country. The proposal to set up an institutional watchdog to check corruption in high places has had a remarkably tortuous career from the time the Bill was first introduced in Parliament in 1968. Over the years, the loud efforts by successive governments to talk up the legislation without ever seeing it through into the statute book have imbued it with a powerful symbolism. It has come to signify the unwillingness of the country's political class to take action against corruption in high places. It has embodied the system's resistance to scrutiny and accountability.
>
> Having said that, it must be pointed out just passing the Lok Pal Bill after all these years cannot be deemed to be achievement enough. Questions must be asked in an outside of Parliament, and a public debate initiated, to refine its provisions. Is the Lokpal's ambit broad enough? Is it given the statutory and financial teeth, and the structural autonomy, that alone can enable it to function with credibility? Or will it be just another ineffectual gesture, like the Lok Ayukta in the state? The experience of the state-level ombudsman has been an unequivocally unhappy one. Baring too few exceptions, the Lok Ayuktas have been rendered virtually impotent by little power, limited funds and overbearing political interference. When they have not willingly succumbed to the diktat of the government of the day, that is.

> While the cases of wrongdoing and corruption that demand their attention have multiplied over the years, sadly the Lok Ayuktas still do not do anything efficacious in response.

In a landmark decision of the Supreme Court in the Institution of A.P. Lokayukta Up a-Lokayukta, A.P. and others Versus T. Rama Subba Reddy and another (1997) 9 Supreme Court Cases page 42, the question arose as to whether the recommendation made by Lokayukta or Upa Lokayukta u/s 12(3) of the Andhra Pradesh Lokayukta Act, 1983 is binding. The provision was not mandatory in character. Their Lordships of the Supreme Court expressed their opinion relating to the Institution of Lokayukta & Upa Lokayukta with reference to section 12 sub-section 3 of the Andhra Pradesh Act & observed as under:

> "The legislative intent behind the enactment is to see that the public servants covered by the sweep of the Act should be answerable for their actions as such to the Lokayukta who is to be a Judge or a retired Chief Justice of the High court and in appropriate cases to the Upa-Lokayukta who is a District Judge of Grade-1 as recommended by the Chief Justice of the High Court, so that these statutory authorities can work as real ombudsman for ensuring that people's faith in the working of these public servants is not shaken. These statutory authorities are meant to cater to the need of the public at large with a view to seeing that public confidence in the working of public bodies remains intact When such authorities consist of high judicial dignitaries it would be obvious that such authorities should be armed with appropriate powers and sanctions so that their orders and opinions do not become mere paper directions. The decisions of Lokayukta and Upa-Lokayukta, therefore, must be capable of being fully implemented These authorities should not be reduced to mere paper tigers but must be armed with proper teeth and claws so that the efforts put in by them are not wasted and their reports are not shelved by the disciplinary authorities concerned. When we turn to Section 12, sub-section (3) of the Act, we find that once the report is forwarded by the Lokayukta or Upa-Lokayukta recommending the imposition of penalty of removal from the office of a public servant, all that is provided is that it should be lawful for the Government without any further inquiry to take action on the basis of the said recommendation for the removal of such public servant from his office and for making him ineligible for being elected to any office etc. <u>Even if it may be lawful for the Government to act on such recommendation, it is nowhere provided that the Government will be bound to comply with the recommendation of the Lokayukta or Upa Lokayukta. The question may arise in a properly-instituted public interest litigation as to whether the provision of Section 12(3) of the Act implies a power coupled with duty which can be enforced by a writ of mandamus by the High Court or by writ or any other competent court but apart from such litigations and uncertainty underlying the results thereof, it would be more appropriate for the legislature itself to make a clear provision for due compliance with the report of Lokayukta or Upa-Lokayukta so that the public confidence in the working of the system does not get eroded and these institutions can effectively justify their creation under the statute."</u>

Expectations of the civil society from the institution of Lokayukta are very high but much depends on the laws under which they are constituted. If they are powerless, they will serve no purpose. Teethless body would only be decorative. For this, as well movement

has to be built by the Media and the people. People of this country should not expect much from the establishment, administration and bureaucracy. The present national leaders are not the icons and role models for the society. People have to assert themselves adopt such course of actions and measures and devise such ways and means so that the establishment may move towards good governance and our dream of corruption free society materialised.

Media has become most potent weapon since long, more particularly after technological advances made in the 20th Century. A free media is best check on excesses of any kind by any one or any entity having the potential and the inclination to inflict excesses without any fear or restraint. Media may be independent and also divided. Each political party may have its organ; each N.G.O. may have its organ. They may propagate their philosophy, ideologies and views but so far as the issue of good governance is concerned, they should adopt such strategies and policies, whereby the menace of corruption, abuse of power, lack of integrity etc. may be curbed. They must not act as agents or middleman to protect such persons.

Hon'ble the Chief Justice of India Justice R.C.Lahoti in his message has conveyed as follows:-

> "It cannot be denied that the existence of this institution has failed to achieve the required deterrent effect. They need to be provided with more teeth. The investigation and prosecution agency association with this institution must be an independent cadre totally free from political and bureaucratic influence.
>
> I am sure this conference provides an excellent opportunity for discussing the problems faced by the office holders of such institutions and finding out solutions for the same as also for innovating and initiating a thought process aimed at prevention in addition to cure. "

I hope, the Conference would pass necessary resolutions and proceed, and take steps and act in directions pointed by Hon'ble the Chief Justice of India to achieve the goal for which the Institutions exist.

I thank you all for your gracious presence in this august gathering.

Justice M.C.Jain

परिशिष्ट–''डी–2''

Minutes of the Exclusive Meet of All India Lokayuktas/Lokpals /Upa-Lokayuktas Held on 29th September, 2004 At the Convocation Hall, Dehradun

The following Resolutions were passed at the 8th All India Lokayuktas/Lokpals/Upa-Lokayuktas Conference after detailed discussion on 29th September, 2004 at the Convocation Hall, Dehradun.

Resolution No. 1

The Association places on record its debt of gratitude to His Excellency the President of India for graciously inaugurating the 8th All India Lokayuktas/Lokpals/Upa-Lokayuktas Conference 2004 and for his valuable guidance.

The Association also places on record its debt of gratitude to the Hon'ble Primce Minister for delivering valedictory address expressing commitment of the Central Government to strengthen the Lokayukta Institution by taking suitable constitutional, legislature and administrative measures in order to provide clean, transparent and accountable governance to the people.

The Association also places on record its deep debt of gratitude to His Excellency the Governor of Uttaranchal, Hon'ble Chief Minister, Uttaranchal and Hon'ble Lokayukta, Uttaranchal for their support to strengthen the Lokayukta Institution so that the people may be provided clean, transparent and accountable government and also to provide support to the success of the 8th All India Lokayuktas/Lokpals/Upa-Lokayuktas Conference.

The Association is also thankful to the officers and staff of Uttaranchal Administration, the Forest Research Institute, Dehradun, the Uttaranchal Government and the Institution of Lokayukta, Uttaranchal for their contribution in making the 8th All India Conference of Lokayuktas, Lokpals and Upa-Lokayuktas Conference a grand success.

Resolution No.2

The President of the Association shall address letters to Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Union Home Minister, Hon'ble Union Law & Justice Minister, Hon'ble Union Minister for Parliamentary Affairs and Hon'ble Leader of Opposition in Lok Sabha requesting them to take necessary steps for making provisions in the Constitution of India, so as to oblige every State and Union Territory in India, to have the Institution of Lokayukta and also to ensure its independent and effective functioning and also to make central legislation in this regard on the pattern of Model Lokayukta Bill.

Resolution No.3

The President of the Association shall sent a letter of request to the Chief Minister of the States where offices of Lokayuktas are now lying vacant to appoint Lokayuktas.

Resolution No.4

All the offices of Lokayuktas/Lokpals shall create web site as early as possible so that cheapest and fastest communication system amongst the offices of Lokayuktas/Lokpals of the country may be made available.

Resolution No. 5

The Central Office of the Association shall take steps for the following:-

1. Publication of News Letter.
2. Publication of Journal, quarterly or sixth monthly, as the case may be.
3. Publication of Judgments of the Supreme Court & of the High Courts on Lokayukta Acts and Rules.
4. Publication of Rules & Important notifications under Lokayukta Acts.
5. Publication of Consolidated Annual Reports of all Lokayuktas.
6. Establishment of contacts and interaction with Institutes of Public Administration and departments of public administration in various Universities in the Country.
7. Establishment of Website of the Association.
8. Establish a section of competent staff for the working of the Central Office so that Central Office may function smoothly, meaningfully and may become the Central focus for spreading Lokayukta movement for good governance in the Country.

परिशिष्ट–''डी–3''

Role of Media, Political Parties and N.G.Os. in eradicating corruption and mal-administration.

By Justice G.L.Gupta,
Lokayukta, Rajasthan

1. In recent years, corruption has been increasingly recognized as among the most ruinous problem afflicting many countries. The widespread condemnation of corrupt activities is a seismic shift in the national mood of many countries including India. Several events during the past decade – notably the Asian financial crisis and corruption scandals involving the highest officials in several countries – have helped catalyze the change in the public perception of these practices. It has been widely realized that the corruption is a virus capable of crippling government, discrediting public institutions and private corporations and having a devastating impact on the human rights of populations, and thus undermining society and its development, affecting in particular the poor.

2. To combat the dragon of corruption, there is need of adopting multi-pronged strategy, which includes institutional restraint, political accountability, civil society participation etc. Here we are discussing role of media, NGO, and political parties, which comes under the heading Civil Society Participation.

3. Role of Media.

It is now widely accepted that the media- may be print media or electronic media- can act as a force against corruption in ways that are both tangible and intangible. The tangible readily identifiable ways, in which the media perform this function include those in which some sort of visible outcome can be attributed to a particular news story or series of stories, the launching of investigation by authorities, the scrapping of a law or policy that fosters a climate ripe with opportunities for corruption, the impeachment or forced resignation of a crooked politician, the firing of an official, the launching of judicial proceedings, the issuing of public recommendations by a watchdog body like Lokpal and Lokayukta and so on. Intangible effects, by contrast, are those, which arise from the broader social climate of enhanced political pluralism, enlivened public debate and a heightened sense of accountability among politicians, and public bodies, which are by-product of a hard hitting and independent news media.

The role of the media is critical in promoting good governance and controlling corruption. It not only raises public awareness about corruption, its causes, consequences and possible remedies, but also investigates and reports incidences of corruption.

The media often referred to as the Fourth Estate coming after the Executive, Legislature and the Judiciary play probably a more important role than the other Estates since it is through the mass media that a nation communes with itself and

with other nations beyond. The advantage of the media is that the population can be reached easily through circulation of newspapers or radio and television.

The effectiveness of the media, in turn, depends on access to information and freedom of expression, as well as a professional and ethical cadre of investigative journalists.

The freedom of expression is expressly provided in our Constitution under Article 19 and access to information is also available under the Right to Information Act 2005. The media, therefore, now can play effective role in earthing out corruption by highlighting the incidents of corruption of public servants. Their honest attempt will certainly lessen the corruption among the public servants because of fear of public humiliation, loss of prestige, etc.

We may state some of the instances, which indicate how the media was successful in exposing corruption of the important personalities throughout the world.

In Brazil, Collor was President in 1991. The newspaper carried a story that the funds set apart by the President in the name of charity actually went in the hand of relatives of his wife. The investigation based on documents forced the President to step down.

So also in U.K. There was 'Cash for Question' scandal in 1997. The Members of ruling Conservative government were caught by reporters agreeing to accept cash payments from private parties in return for lobbying for their interests by asking public questions to ministers in the House of Commons. The resultant effect was the defeat of John Major Government and landslide victory of Tony Blair's party.

Why go abroad, the success of media in exposing corruption can be seen in our country also.

Some Members of Parliament had to resign their seats because of effective action i.e. sting operation of the media in which the said members were caught accepting cash for asking question in the Parliament.

So also the success of media was hall marked when in the sting operation in a department of Delhi Government, most of the employees, which included officers, were seen accepting bribe money for doing work of the public.

4. Role of N.G.Os.

Civilisations have sometimes crumbled, governments have fallen and leaders have sometimes robbed their own people and fled with the booty to foreign lands - all because of the incapacity of the people at large to assert their will and resist the evil of corruption and arrogance of power. This can best be done by NGOs, who are not aligned with any political party or sectoral interests, nor are interested in political power or position for themselves. However, they have to exercise selfless vigilance, which is the price of liberty, and taking purposeful action. The office bearers and managing committee members of such NGOs have to practice in their

own lives what they preach to others. Under all circumstances they have to be above board and also appear to be so.

The N.G.Os. have played effective role in combating corruption of public servants in Rajasthan. One N.G.O. known as Mazdoor Kisan Shakti Sansthan (MKSS) formed in 1990 in Rajasthan by agriculture and famine labour was successful in triggering broad debate and a nationwide demand for the public's right to scrutinize official records - a crucial check against arbitrary governance. This has led to passing of the Right to Information Act, which has given a valuable right to people in general including media to get information of official records and detect corruption. This right has enabled the labour to get timely information about their attendance in the Muster Roll and get due wages. It has helped in detecting corruption and mal-administration.

Similarly, N.G.Os. known as 'COMMON CAUSE' and 'KAL CHAKRA' in north India, 'PUBLIC AFFAIRS CENTRE' in Bangalore, 'LOK SATTA' in Hyderabad and 'A DIFFERENT INDIA' in Bombay are doing commendable job of making people aware of the harms of corruption and ways of its eradication.

5. Role of Political Parties.

Political corruption in high places is the mother of all corruptions. The Lok Sevak Sangh and Transparency International India have been jointly conducting relentless campaigns to control and eliminate political corruption in India because, unless this is done, there is no way of controlling corruption at the lower micro level. It has been aptly said that for cleaning a staircase, one has to begin at the top.

Political parties in order to strengthen their base in the nation's politics are required to chalk out code of conduct for good governance. They must prescribe certain moral standards for their members, who are elected as Members of Parliament or Members of Legislative Assembly, and also strict action, if someone violates the code of conduct. This will certainly eradicate corruption.

Time has come when the law of compulsory audit of the accounts of political parties is made. It is also the need of hour that electoral reforms are made to eliminate money power, muscle power, and ministerial power. There is also a need of prevention of criminalisation of politics.

6. To conclude, it may be stated that the media, the political parties and N.G.Os. can play effective part in eradicating corruption in our country.

परिशिष्ट–''डी–4''

RESOLUTION

WHEREAS the 9th All India Conference of the Lokayuktas/Lokpals/Upa-lokayuktas held at Bangalore on 22nd and 23rd September 2007 has taken note of the resolution No. 58/4 of 31st October 2003, which was adopted by the UN General Assembly to which India is a party. Article 36 of Convention states:-

"Each State party shall, in accordance which the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement. Such body or bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of the legal system of the State party, to be able to carry out their functions effectively and without any undue influence. Such persons or staff of such body or bodies should have appropriate training and resources to carry out their tasks."

Also has taken note of the remarks made by the Hon'ble Prime Minister, Dr. Manmohan Singh in his Valedictory Address at Dehradun Conference held on 27th and 28th September 2004 in which he stated that he would see that the Lokpal Bill pending in Parliament is enacted and brought into force, expressing his considered view that only a democratic institution, like Lokayukta Institution comprising of Judges of Country's superior courts can function as watchdog of Governmental functions, so as to ensure good governance and combat corruption against the public servants, including the Ministers concerned.

Also taken note of the experience of several decades of functioning of Lokayuktas/Lokpals in different parts of the country and the need to accord constitutional status to the institution and to enact uniform law in the entire country by making suitable amendments in the constitution and also by enacting central legislation forgiving effective machinery for the redressal of the grievances of the common man and in ensuring administrative response to people and also to combat corruption, nepotism and favouritism among the public servants, including Ministers and the conference hereby resolves that the necessary amendments be made in the Constitution of India and by enacting central legislation so as to accord constitutional status to the institution of Lokayukta and to ensure uniform law for the entire country, so that the institution will be the effective machinery to redress the grievances of the common man.

Also resolves that apart from the Chief Ministers, Ministers and Members of Parliament, bureaucrats should also be subjected to the jurisdiction of Lokayukta and the recommendation of the second Administrative Reforms Commission to exclude the bureaucrats from the jurisdiction of Lokayukta would not be consistent with the need to have effective institution of Lokayukta and well renowned institution with teeth and claws.

Further resolves that the Central Government be impressed to enact amendments to the Constitution and also to enact Central law for the purpose of providing suitable institution of Lokpal at the Central level and Lokayukta at the States' level on the basis of the draft Bills, which the Association has already submitted to the President of India, the Prime Minister of India and group of Ministers constituted by the Union Cabinet, in the next session of Parliament, to ensure probity in public life and clean administration, free from corruption and mal-administration.

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदास्थापना अवधि

लोकायुक्त			
क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.8.1973	27.8.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.8.1978	5.8.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.8.1979	7.8.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	4.4.1984	3.1.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	4.1.1985	3.1.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.1.1990	6.3.1990
7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.8.1990	30.9.1993
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.1.1994	16.2.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.7.1994	6.7.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	1.5.2007	निरन्तर
उप-लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	5.6.1973	25.6.1974

* कार्यवाहक लोकायुक्त ।

- लोकायुक्त का पद 8.8.1982 से 3.4.1984 तक, 4.1.90 से 15.1.1990 तक, 7.3.1990 से 9.8.1990, 1.10.1993 से 20.1.1994 तक, 17.2.1994 से 5.7.1994 तक, 7.7.1999 से 25.11.1999 तक एवं 27.11.2004 से 30.4.2007 तक रिक्त रहा है ।
- उप लोकायुक्त का पद श्री के.पी.यू.मेनन के दिनांक 25.6.74 को त्याग पत्र दिये जाने के बाद से निरन्तर रिक्त चला आ रहा है।

9वें अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त/ऑम्बुड्समैन सम्मेलन, 2007 बैंगलोर

उद्घाटन से पूर्व का छायाचित्र

दांये से प्रथम जस्टिस जी.एल.गुप्ता, लोकायुक्त

बांये से तृतीय जस्टिस जी.एल.गुप्ता, लोकायुक्त

बांये से द्वितीय जस्टिस जी.एल.गुप्ता, लोकायुक्त
माननीय न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय से मिलते हुए

बांये से द्वितीय न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय
के पीछे जस्टिस जी.एल.गुप्ता, लोकायुक्त

दांये से प्रथम जस्टिस जी.एल.गुप्ता, लोकायुक्त

बांये से तृतीय जस्टिस जी.एल.गुप्ता, लोकायुक्त

अपने भाषण का वाचन करते हुए जस्टिस जी.एल.गुप्ता, लोकायुक्त

अपने भाषण का वाचन करते हुए जस्टिस जी.एल.गुप्ता, लोकायुक्त

अपने भाषण का वाचन करते हुए जस्टिस जी.एल.गुप्ता, लोकायुक्त

जस्टिस जी.एल.गुप्ता, लोकायुक्त को बुके भेंट करते हुए